नवम माला, खंड 1, अंक 4

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1989

30 अग्रहायण, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(नौवीं लोक सभा)

...AMENT L...
No. ...62
Date... 26-11-91...

(खंड 1 में अंक 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1989/30 अग्रहायण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
16	नीचे से 2	"श्री ए०आर०अन्तुले" के स्थान पर "श्री ए०आर०अन्तुले" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1989 / 1911 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1989 / 30 अग्रहायण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1, 38
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	1-2
मंत्रियों का परिचय	2
नियम 377 के अधीन मामले	10-13
(एक) कर्नाटक में येलाहंका और बंगरपेट के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
श्री वी० कृष्ण राव	10
(दो) देश में अमोनिया सल्फाइड के उत्पादन और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम लाल राही	11
(तीन) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किए जाने और पिछड़े वर्गों को अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री उत्तम राठौड़	11
(चार) उड़ीसा के सुकिंडा क्षेत्र में निकल निकालने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि चरण दास	11
(पांच) सांस्कृतिक विरासत वाले नगरों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पूर्ण विकसित दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनिल शास्त्री	12
(छः) मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक जिलों में खरीद केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	12
(सात) देश में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	12
(आठ) भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	12
(नौ) पंजाब समस्या के सौहार्दपूर्ण हल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री मनधाता सिंह	13

विषय	पृष्ठ
मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव	13-29, 30-37, 38-65, 67-79
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	13, 70
श्री ए० आर० अन्तुले	16
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	30
श्री जनेश्वर मिश्र	38
श्री सोमनाथ चटर्जी	43
श्री इन्द्रजीत गुप्त	46
श्री आर० मुथैय्या	51
श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा	52
श्री नानी भट्टाचार्य	54
श्री चित्त बसु	55
श्री प्यारे लाल हन्डू	58
श्री शिबू सोरेन	60
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	62
श्री वामनराव महाडीक	63
श्री गोपालराव मायकर	67
श्री पी० सी० थामस	68
श्री ए० के० राय	69
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90 विवरण	30
मंत्री द्वारा वक्तव्य	65-67
पनामा में अमरीका हस्तक्षेप के बारे में	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	65
राज्य सभा से सन्देश	80
संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित	80

लोक सभा

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1989/30 अग्रहायण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें, जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत)

11.02 म० पू०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 11 अक्तूबर, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् आठवीं लोकसभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1989

(2) नागालैण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 1989

(3) प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1989

2. महोदय, मैं 11 अक्तूबर, 1989 को सभा को सूचित करने के पश्चात् आठवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता है:—

(1) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1989

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1989

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विधेयक, 1989

(4) सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1989

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): महोदय, मैं अपने साथियों का आपसे और, आपके माधयम से सभा से परिचय कराता हूं।

श्री अरुण कुमार नेहरू	वाणिज्य और पर्यटन मंत्री
श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी	पेट्रोलियम और रसायन मंत्री
श्री राम विलास पासवान	श्रम और कल्याण मंत्री

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जाएंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटक): अन्य विषय को लेने से पहले, मुझे एक निवेदन करना है। मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। कल एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है। अमरीका ने पनामा पर हमला किया है और वहां सरकार को अपदस्थ कर दिया है। अब बहुत से देशों ने व्यापक रूप से इसकी निन्दा की है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी इस विश्व-व्यापी निन्दा में शामिल होना चाहिए। यहां तक कि सुरक्षा परिषद की भी वहां बैठक हो रही है। और इससे भी वहां उस संस्था के सदस्यों को एक दृढ़ रवैया अपनाने में सहायता मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में विदेश मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं मैम्बरान से कहूंगा कि आप जो नोटिस दे रहे हैं उसके ऊपर विचार होगा। अभी तो जो काम मैं कर रहा हूं उसको करने दीजिए। अभी तो मैं नियम 377 के दरम्यान श्री कृष्णराव को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इस पर चर्चा बाद में हो सकती है लेकिन सरकार को इस पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को अमरीकी आक्रमण की कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिए।.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अमरीकी आक्रमण का विषय दलगत मामला नहीं है। सम्पूर्ण सभा को इसकी निन्दा करनी चाहिए.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। सरकार ने आप लोगों की बात सुन ली है। सरकार को जो करना है, वह करेगी।

[अनुवाद]

श्री ईरा अनबारासु (मद्रास मध्य): मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है कि एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ ने तंजावूर से सीमा शुल्क के पांच कर्मचारियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। गत 11 दिनों में उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विदेश मंत्री एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री ईरा अनबारासु: पनामा पर आक्रमण के बारे में भी मैंने एक नोटिस दिया है.... **(व्यवधान)**

श्री पी॰ चिदम्बरम (शिवगंगा): आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल जाने के मामले को इस सभा में उठाने के लिए मैंने आपकी अनुमति मांगी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सरकार इसके बारे में अलग-अलग बातें कह रही है। उत्तर प्रदेश में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, पटना में विमान नहीं उतरे हैं। विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है। सरकार इस पर पूर्ण चुप्पी साधे हुए है। उन्हें आज ही एक वक्तव्य देना चाहिए कि इस संबंध में उनकी स्थिति क्या है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला): पनामा में अमरीकी कार्यवाही के संबंध में कृपया मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। दूसरा, मैंने देश में सम्प्रदायवाद के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और मैंने नियम 193 के अन्तर्गत भी एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भागलपुर में क्या हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन थे, इस संबंध में मैं पूर्ण चर्चा चाहता हूं। अतः कृपया नियम 193 के अन्तर्गत उसकी अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसको देखूंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र): सरकार ने पनामा में अमरीका की कार्यवाही को नोट किया है। सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त कर दी है। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सदन में आएं और भोजन अवकाश के बाद वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): स्पीकर सर, मैंने एक नोटिस दिया है। आप मुझे सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, बोलिए।

श्री जगपाल सिंह: मैंने एक नोटिस आरक्षण के बारे में दिया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्रेसीडेंट ने अपने अभिभाषण के पैरा नंबर 13 में 10 साल की अवधि बढ़ाने की बात कही है और प्रधान मंत्री का कमिटमेंट है, लेकिन देवी लाल जी ने 17 और 18 तारीख में आरक्षण के खिलाफ बयान दिया है। मैं जानना चाहता हूं... **(व्यवधान)**... हिन्दुस्तान के मुख्य पत्रों में, मुखपृष्ठ पर वे खबरें छपी हैं। स्पीकर सर, देवी लाल जी की आरक्षण के बारे में जो नीति है वह प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? यह बड़ी सीरियस बात है... देवी लाल जी ने कहा है कि सदन में और सदन के बाहर इस बात के लिए आंदोलन करुंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस आंदोलन के पीछे देवी लाल जी का हाथ है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

डा॰ राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर): अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जनजीवन ठप्प हो गया है.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने राजेन्द्र कुमारी जी को बोलने के लिए कहा है।.... **(व्यवधान)**

डा॰ राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी: पूरे उत्तर प्रदेश में जनजीवन ठप्प पड़ गया है। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। दो विद्यार्थियों की जान जा चुकी है और बसेस का चलना रुक गया है, स्कूल-कालेज बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और रेलों का चलना भी बंद हो गया है। ऐसी हालत में सरकार इस तरफ अभी तक मौन साधे हुए है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या नीति है?

श्री लालू प्रसाद (छपरा): अध्यक्ष महोदय यह आरक्षण का जो सवाल माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया है, आरक्षण के संबंध में तो विधेयक आ रहा है, इससे मंशा साफ जो जाएगी कि कौन किसके पक्षधर हैं। असल में बात यह है कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: चिदम्बरम जी, यह ठीक नहीं है, आप जरा इनको सुन लीजिए!

श्री लालू प्रसाद: माननीय सदस्य जगपाल सिंह जी बार-बार चौधरी देवी लाल जी का नाम लेते हैं। असल में जगपाल सिंह जी जनता दल से उम्मीदवार का टिकट लेना चाहते थे और देवी लाल जी ने इनको टिकट नहीं दिया।

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन): हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ईंट पत्थर से मारा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार हमारी टीम को पाकिस्तान से न खेलने दे। हिन्दुस्तान में भी खेल होता है तो खेल के दरम्यान ऐसी घातक बातें नहीं होती। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि टीम को पाकिस्तान से न खेलने दें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, आज की कार्य सूची में एक मद असम चुनाव के बारे में है। मैं इसकी पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं। लेकिन उससें पहले, चुनाव स्थगित करने का बुनियादी विचार यह देखना है कि मतदाता सूची से देश के नागरिकों के नाम न काटे जाएं। लगभग 8 लाख नाम काट दिए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): बशर्ते कि उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाए, न कि आपके निर्वाचन क्षेत्र की तरह।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, इसके बारे में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए। अन्यथा मतदाताओं के नामों के बिना वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता। मैं चाहता हूं कि इस पर वह वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): अध्यक्ष जी, आरक्षण के बारे में जो सवाल सदन में उठे हैं हमारी सरकार ने बार-बार बोला कि यह आरक्षण कनटीन्यू रहेगा जब तक इसमें कुछ हो नहीं जाता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी,... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम: महोदय, मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न किया है। सरकार मेरे प्रश्न पर एक वक्तव्य दे।

श्री वाई॰एस॰ राजाशेखर रेड्डी (कुड्डापाह): महोदय, प्याज की मजबूरन बिक्री के बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। प्याज उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है क्योंकि 'नेफेड' को 120/- रुपये प्रति बैग की दर से प्याज खरीदनी थी लेकिन वह इससे मुकर गई है और प्याज उत्पादक भूख हड़ताल पर हैं। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 'नेफेड' द्वारा प्याज की खरीद के बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। अब श्री बनातवाला बोलें।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी): स्पीकर सर, मैं आपके सामने बहुत ही गम्भीर मसला रख रहा हूं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जबर्दस्त खून-खराबा और दंगे फसादात हुए हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। भागलपुर की हालत यह है कि वहां हजारों लोग कैम्पों में पड़े हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में उनके पास पहनने के लिये कपड़ा तक नहीं है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर हुकूमत क्या कर रही है? इस मसले पर हुकूमत का एक बयान आना चाहिये और उस पर हाऊस में बहस होनी चाहिये।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: स्पीकर सर, मैंने 193 में इस पर डिसकशन मांगा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आवश्यक यह हो गया है कि सरकार अपनी सामाजिक नीति स्पष्ट करे और गृह मंत्री उस पर बयान दें। जिन लोगों के हाथों से सरकार खिसक गई है वे देश की स्थिति को खराब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अविलम्ब इस पर एक बयान दें। सरकार की सामाजिक नीति स्पष्ट होनी चाहिये। ऐसे लोग जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके साथ सरकार को कड़ाई से निपटना चाहियें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): कश्मीर की जो हालत है, जिस तरह होम मिनिस्टर की लड़की को किडनैप किया गया, जिस तरह से वहां कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार है, जिस तरह से वहां पाकिस्तानी झंडे फहराये गये, उन सब के बारे में मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बयान दें। आज ही कश्मीर की सरकार को डिसमिस किया जाये और एंटी-नेशनल ऐक्टिवीटिज को सख्ती से कुचला

जाये व आर्टिकल 370 को वहां से हटाया जाये।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, बिहार में भागलपुर में साम्प्रदायिक दंगे अभी तक समाप्त नहीं हो रहे हैं। मुंगेर में बम विस्फोट की घटनायें दो दिन पहले हुई। वहां लगातार साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति है। अभी तक भागलपुर में नर कंकाल मिलते चले जा रहे हैं। वहां की कांग्रेस सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है उन साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में। कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां बहुत खराब है। लगातार आरक्षण विरोधी आन्दोलन को वहां की सरकार शह दे रही है और आरक्षण विरोधी आन्दोलन को उकसा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि केन्द्र की सरकार इंटरवीन करे और बिहार की सरकार को बर्खास्त करे।

[अनुवाद]

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल): अध्यक्ष महोदय, आरक्षण की समस्या पर इस देश में अत्यंत नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आरक्षण आने वाले कम से कम 10 वर्षों तक जारी रहेगा। लेकिन माननीय उप-प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ तथा अन्य जगह पर भी एक वक्तव्य दिया था कि वह पार्टी के अन्दर तथा सरकार में इस बारे में संघर्ष करेंगे कि आरक्षण आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हो। उप-प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य ने उत्तर प्रदेश में इस आन्दोलन को उत्पन्न किया है जहां पर उप-प्रधानमंत्री के चेले श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं। **(व्यवधान)** मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य दें कि सरकार के दो वक्तव्यों में से किसे लागू रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं। श्री के० सी० त्यागी बोले।

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़): श्री मुलायम सिंह यादव पिछले 40 सालों से कांग्रेस में हैं जब इनका कहीं पता भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में जो आन्दोलन चलाया वह उन्होंने नहीं चलाया, उनकी सरकार को तो कुछ ही दिन हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के अगुआ बने हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज): महोदय, कुमारी रूबैया सईद की अपहरण की घटना पर मेरा प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि क्या उनके अपहरण और बन्धक रहने के दौरान उनकी आखों पर पट्टी बांधी गई थी जैसा कि सभी जगह कुछ बन्धकों के साथ हुआ है अथवा क्या जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसकी उन्हें जानकारी थी। हम यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा सरकार को क्या कहा है और कुछ प्रश्नों पर चुप्पी क्यों रखी गई है जिनके बारे में मेरे विचार से देश जानना चाहता है। उदाहरण के लिए उन्हें कहां पर रखा गया, कौन सा मार्ग था, उनकी बन्धक के रूप में क्या गतिविधियां थीं और क्या गृह मंत्रालय ने बन्धकों और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की है अथवा क्या इस विषय पर सरकार तथा आतंकवादियों के बीच कोई बातचीत हुई है जिन्होंने एक भारतीय का अपहरण किया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: इस "चेला" शब्द को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली कारपोरेशन और दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनाव पिछले 3 साल से टाले जाते रहे। दिल्ली कारपोरेशन चार साल के लिए चुनी गई थी लेकिन इम्मोरली, अनएथीकली, इल्लीगली, अनडैमोक्रेटिकली कांग्रेस ने लगातार 1-1 साल करते हुए 7 साल तक उसको एक्सटेंशन दे दिया। मैट्रोपोलिटन काउंसिल 5 साल के लिए चुनी गई थी, उसको एक्सटेंशन देते-देते 7 साल निकल गये। प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को मट्रोपोलिटन काउंसिल और कारपोरेशन दोनों को फौरी तौर पर डिजोल्व करना चाहिए। यह टोटली इम्मोरली, अनएथीकली, अन डैमोक्रेटिकली कांग्रेस ने जो एक्सटेंशन दी थी, उसको खत्म करना चाहिए। दोनों को फौरी तौर पर डिजोलव करना चाहिए। उसमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर कांग्रेस के लोग नवयुवकों को भड़का रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति खतरे में पड़ गई है। वहां पर गोलियां चल रही हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसलिए वहां कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। वहां लॉ एण्ड आर्डर की समस्या गम्भीर हो गई है और कांग्रेस की सरकार यह सारे आन्दोलन को हवा दे रही है इसलिए कानून और व्यवस्था समाप्त हो गई है इसलिए कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत बरखास्त करना आवश्यक हो गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। सब बैठ जायें, मैं बोल रहा हूं। मैं अभी 377 ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निवेदन करने का बहुत मौका मिलेगा, कान्फीडेंस वोट पर भी मौका मिलेगा, इसलिए मैं अभी 377 ले रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सुन रहा हूं। मैंने सेट साहब को बोलने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

कृपया मुझे कार्यवाही आगे बढ़ाने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी बगैर अनुमति के बोल रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप बैठ जाइए। मैंने श्री सुलेमान सेट साहब को पुकारा है।...**(व्यवधान)**...

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम जो पीछे बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं पीछे वालों का ज्यादा ध्यान रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काम्युनल सिचुएशन की तरफ आपकी तवज्जह मबजूल कराई है ...**(व्यवधान)**... इस पर यहां डिसकशन होना चाहिए, काम्युनल सिचूएशन पर, लेकिन आपने कहा है कि 377 में डिसकशन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि काम्युनल सिचूएशन पर डिसकशन कब होगा और सरकार की इसमें क्या पोजीशन है और सरकार कब स्टेटमेंट देने वाली है। जो फसादात नागौर राजस्थान में और भागलपुर में हो रहे हैं और

आज भी लाशें बरामद हो रही हैं, यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इस पर सदन में डिसकशन होना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

श्री बनवारी लाल पुरोहितः अध्यक्ष महोदय, काश्मीर के अन्दर जो भी घटना हुई है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, उतनी कम है। परिस्थिति यह है कि इस देश में गृह मंत्री की कन्या को हरके ले जाया जाता है, परन्तु उस के बदले में यह कैसी जोड़-तोड़ है, कैसा समझौता होता है कि टैररिस्ट लोग जिन्होंने कि हज़ारों कत्ल किए, हज़ारों खून किए, उन लोगों को बदले में छोड़ा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): आप कश्मीर सरकार से पूछिए।...(**व्यवधान**)...

श्री बनवारी लाल पुरोहितः अगर किसी साधारण नागरिक की कन्या को हर के ले जाया जाता, तो क्या उसके बदले में इस तरह का समझौता हो सकता था। यह सही मायनों में हमारे देश के ऊपर, कानून के ऊपर एक तरह से कलंक है। हम सरकार से जवाब चाहेंगे, जिन्होंने कि हज़ारों खून किए, जिन्होंने इतने अपराध किए, उनको आपने किस बूते पर छोड़ा। कौन से कानून के अन्तर्गत छोड़ा है। हम सरकार से जवाब चाहेंगे। सही मायनों में कायदे-कानून व्यवस्था को ताक पर रखा गया है।...(**व्यवधान**)...इसके उपर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का जवाब हमारी यह संसद चाहेगी और पूरा देश जानना चाहेगा कि सरकार की इसमें भूमिका क्या है। इस बारे में देश की जनता भी जानना चाहती है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदयः जो मेरी बिना अनुमति के बोलेंगे, उनकी बात रिर्काड में नहीं जाएगी। मैं सब को मौका दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन): महोदय, हम सरकार से एक वक्तव्य की मांग करते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह आरक्षण विरोधी आन्दोलन तथा उप-प्रधान मंत्री के विवादास्पद वक्तव्य पर भी एक वक्तव्य दे। हम एल० टी० टी० ई० द्वारा भारतीय सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों के अपहरण पर भी एक वक्तव्य चाहते हैं। दोनों ही राष्ट्रीय महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री पी० चिदम्बरमः आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह मेरा काम नहीं है कि मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं। एक बार में एक सदस्य ही बोले।

श्री नाथू सिंह गुर्जर (दौसा): हर कोई प्रश्न कर रहा है जबकि यह प्रश्नकाल नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह शून्य काल है या प्रश्न काल है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। एक सदस्य बोल रहे हैं, पहले उनको सुनिये।

श्री नाथू सिंह गुर्जरः अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने भी जम्मू-कश्मीर की

समस्या के सम्बन्ध में नोटिस दिया है। ला एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण वहां जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि आतंकवादियों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि केन्द्रीय सरकार के दबाव के कारण आतंकवादियों को छोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय यह गलत है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन खराब हुई है उसके लिये वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। उस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है और उस पर आपका निर्णय जानना चाहता हूं। क्या आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तत्काल संक्षिप्त वाद-विवाद की अनुमति दी है। राष्ट्रपति सुबह सभा में उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर बोले हैं। ये सभी मुद्दे निर्णायक महत्व के हैं। इन्हें उठाने और इन पर चर्चा करने का समय तब होगा जब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरु करेगी। मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूं। इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने समर्थकों पर अंकुश रखें ताकि हम आज का कार्य शुरु कर सकें। आज सुबह उठाया गया एकमात्र नया मुद्दा पनामा पर अमरीकी आक्रमण है। सरकार इस विषय पर पहल करने तथा एक वक्तव्य देने के लिए राजी हो गई है। इसलिए अब हमें इस विषय पर विदेश मंत्री को सुनना चाहिए। कल हम सब ने आपको अध्यक्ष के रूप में सभा का संचालन करने में पूर्ण समर्थन तथा सहयोग देने का प्रण किया था। इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वचन निभाएं और इस सभा का आज का कार्य करने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या हम कार्य शुरु करें? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था बनाए रखिए। श्री पी॰ उपेन्द्र को सुनिए।

(व्यवधान)

श्री आर॰ एन॰ राकेश (चैल): अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण का जो मामला है यह एक संवैधानिक मामला है और इस पर संसद् को फैसला लेने का अधिकार है। प्रधान मंत्री ने आरक्षण के बारे में पहले ही संसद् से बाहर बयान दे कर के संसद् की अवहेलना की है। यह उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के विरुद्ध कार्य किया है। मेरा आरोप है कि उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। आरक्षण के मामले में यह जो आंदोलन चल रहा है इसके लिये एकमात्र प्रधान मंत्री का बयान जिम्मेदार है। उपप्रधान मंत्री ने भी संसद् का अपमान किया है, उन्होंने भी उसके बारे में बाहर बयान दिया है जिसके बारे में संसद् को फैसला करना है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये।

श्री केसरी लाल (घाटमपुर): पूरे हिन्दुस्तान में इन्होंने गड़बड़ी की स्थिति पैदा कर दी है।

अध्यक्ष महोदय: आपके मंत्री खड़े हैं, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को भी सुनें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी॰ उपेन्द्र: महोदय, कृपया यह सुनिश्चित करिए कि जब आप किसी को अनुमति दें, तो वे अनुशासन रखें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰ उपेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए हैं। हमें अनेक समस्याएं विरासत में मिली हैं, सिर्फ उन द्वारा उठाई गई समस्याएं ही नहीं, बल्कि और भी अनेक समस्याएं विरासत में मिली हैं। इनमें में कुछ राष्ट्रपति के अभिभाषण में हैं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन दिन का पूर्ण वाद-विवाद करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार किसी भी समस्या से दूर नहीं भागेगी। उन्होंनि जो मुद्दे उठाए हैं, हम सबका उत्तर देंगे। जब मंत्री तथा प्रधानमंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो वे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक विषय पर बोलेंगे और मुद्दे स्पष्ट करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं। श्री कृष्ण राव।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **कर्नाटक में येलाहंका और बंगरपेट के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता**

श्री वी॰ कृष्ण राव (चिकबल्लापुर): अध्यक्ष महोदय, येलाहंका और बंगरपेट के बीच रेल लाइन बहुत पुरानी है तथा यह जनता की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर पाती है। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तुरंत परिवर्तित किया जाए क्योंकि यह कर्नाटक की जनता विशेषतः चिकबल्लापुर और शिओला घाट क्षेत्रों की जनता की एक प्रमुख मांग है।

इन क्षेत्रों के किसानों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इन लोगों द्वारा उत्पादित आलू नष्ट हो जाता है तथा प्रतिमाह लाखों रूपयों का नुकसान होता है। किसानों को सिंगापुर, रंगून और अन्य दूसरे देशों को आलू का निर्यात करना होता है। इस लाइन के परिवर्तन से किसानों के अतिरिक्त हजारों अन्य व्यापारियों और प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा।

इसलिये माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की शीघ्रातिशीघ्र जांच की जाए।

[हिन्दी]

(दो) **देश में अमोनिया सल्फाइड के उत्पादन और उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की आवश्यकता**

श्री राम लाल राही (मिश्रिख): मैं भारत सरकार का ध्यान सल्फास नामक अत्यन्त जहरीली औषधि के बढ़ते प्रचलन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अमोनियम सल्फाइड जो सल्फास के नाम से जानी जाती है खेतों में फसलों और अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह दवा इतनी जहरीली और घातक है कि व्यक्ति यदि एक टिक्की इस्तेमाल कर लेता है तो उसके प्राण बचाना किसी भी डाक्टर के वश में नहीं रह जाता।

हमारे पारिवारिक जीवन में जब कभी नव-जवान और नवयुवतियों में किन्हीं कारणों को लेकर रोष और घृणा घर बनाती है तो आत्म हत्या पर उतारू हो सल्फास का ही इस्तेमाल आम तौर पर कर बैठते हैं। परिणाम-स्वरूप उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मेरे अनुमान के अनुसार उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सल्फास खाने से आत्महत्या की घटनायें वर्ष में लगभग पांच हजार से ऊपर पहुंच जाती हैं। मैंने जुलाई सन् 1978 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था, 'जांच हुई, परन्तु इसकी खुले आम बिक्री पर प्रतिबन्ध लगना सम्भव नहीं हो सका।

सरकार से मेरी मांग है कि अमोनियम सल्फाइड (सल्फास) की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण रूपेण प्रतिबन्ध लगाया जावे और फसलों और अनाज की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी दवा का निर्माण सुनिश्चित किया जावे जो मानव तथा पशु के लिए प्राणघाती न हो।

[तीन] **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किये जाने और पिछड़े वर्गों को अधिक सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली): भारत सरकार पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत अधिक सुविधायें देने का आश्वासन दे रही है। अनेक आयोगों के बावजूद भी इन आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार के इस रवैये से पिछड़े वर्गों को निराशा हुई है।

अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची का संशोधन अभी तक नहीं किया गया है।

सरकार को इन दोनों प्रस्तावों पर तुरन्त विचार करने और कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

[चार] **उड़ीसा के सुकिंडा क्षेत्र में निकल निकालने के लिये प्रस्तावित परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): भारत सरकार ने 1974 में उड़ीसा के सुंकिडा क्षेत्र में, जहां भारी मात्रा में (155 मिलियन टन) निकल अयस्क उपलब्ध है, निकल दोहन के लिये एक परियोजना को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित परियोजना का शिलान्यास भी हो चुका है। पन्द्रह वर्षों के बाद भी इस परियोजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है तथा निकल के आयात पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है जबकि देश में भारी मात्रा

में निकल अयस्क उपलब्ध है। इसलिये मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को शुरू किया जाए इससे एक तरफ स्थानीय विकास होगा और साथ ही सामरिक सामग्री का उत्पादन होगा और दूसरी तरफ पर्याप्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

[पांच] **सांस्कृतिक विरासत वाले नगरों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पूर्ण विकसित दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री अनिल शास्त्री (वाराणसी): सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों में दूरदर्शन केनदर स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिये सरकार को वाराणसी जैसे शहरों में पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए। मेरा सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि इस दिशा में अविलंबनीय आधार पर कार्यवाही की जाए।

[छः] **मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक जिलों में खरी; केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पांडे (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं:—

"कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रय केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब के कारण मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक जिलों को विशेषतः निमाड़ क्षेत्र में किसानों को भारी आर्थिक हानि व परेशानी उठानी पड़ रही है। कॉटन कार्पोरेशन की नीति के फलस्वरूप किसानों को करोड़ों रूपए का नुकसान पहुंचा है। अतः सरकार से आग्रह है कि मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक जिलों में क्रय केन्द्रों की स्थापना अविलम्ब की जाए।"

[सात] **देश में पारिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए कदम उठाय जाने की आवश्यकता**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं:—

"समूचे भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक सर्वान्गसम कानून होना चाहिए और जनता उसका पालन करे इसके लिए जनता में सामाजिक चेतना पैदा करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जनता में जागरुकता पैदा करनी होगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि देश में नेशनल पार्कों की संख्या बढ़ाएं ताकि देश में पर्यावरण सन्तुलन वरकरार रहे।"

[आठ] **भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला): विगत में भारत को पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के लिये अपने प्रयासों का अनुकूल जवाब नहीं मिला है। यह सच है कि विगत में अनेक बार भारत की सद्भावना के प्रति पाकिस्तान का उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रहा है लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मित्रता के लिये प्रयास करना चाहिए। दोनों देशों के बीच मित्रता परस्पर लाभदायक है।

कुछ क्षेत्रों में सामान्य संबंधों के लिये हर हालत में शुरुआत की जाए। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इन समझौतों को कार्यान्वित करने तथा उन्हें और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

सरकार को श्रीनगर-रावलपिंडी सड़क खोलने के प्रश्न की पहल करनी चाहिए तथा पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह सच है कि पासपोर्ट और वीजा संबंधी प्रतिबन्ध लगाए जायें परन्तु उन्हें कुछ कम कठोर बनाया जाए।

केन्द्रीय सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि रूस की प्रैस्ट्रोइका ने समूचे विश्व को विशेषतः यूरोप और यूरोप के पूर्वी भाग को अत्यधिक प्रभावित किया है। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गयी है। कश्मीर और

पंजाब के बीच मुख्य सम्पर्क सड़क के रूप में प्रयोग होने वाली सड़क को सावधानीपूर्वक क्यों नहीं खोला जा सकता। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद दूर करने तथा संबंधों को सामान्य बनाने में काफी सहायता मिलेगी।

[नौ] पंजाब समस्या के सौहार्दपूर्ण हल के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मनधाता सिंह (लखनऊ): वर्तमान सरकार द्वारा पंजाब में घाव पर मरहम लगाने से पंजाब समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशसत हुआ है। अब सरकार को जल विवाद, राज्य सीमा विवाद, इंदिराजी की हत्या के संबंध में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन, 1984 के दंगों के बारे में मिश्र आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने जैसी कठिन समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए इससे बहादुर सिख समुदाय की पीड़ित भावनाओं को राहत पहुँचेगी और देश में भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अलगाववादी ताकतें अलग-थलग हो जायेंगी।

11.46 म॰पू॰

मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री बोलें।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

एक माननीय सदस्य: क्या कोई इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सैकेंड नहीं होता है भाई।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र): महोदय, मैं प्रक्रिया संबंधी पहलुओं के बारे में एक अथवा दो बात कहना चाहता हूं। यद्यपि हमने यह सोचा था कि इस प्रस्ताव का आशय सरकार के बहुमत का मूल्यांकन करना है अतः हम इस पर चर्चा के बिना तुरंत मतदान करा सकते थे परन्तु जब हमने विपक्ष के माननीय नेता के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो वह चर्चा करना चाहते थे और सरकार इस चर्चा के लिए सहमत है। उनका यह भी सुझाव था कि प्रत्येक दल के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाए। आपकी अनुमति के लिये मेरा अनुरोध है कि हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं तथा प्रत्येक दल के एक सदस्य को बोलने के लिए कहा जाए। जवाब और मतदान सहित हम कुल चार घण्टे नियत कर सकते हैं। इस प्रकार, हम चार बजे तक चर्चा कर सकते हैं, प्रधान मंत्री चार बजे जवाब दे सकते हैं तथा साढ़े चार बजे मतदान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या हम मध्याह्न भोजन करेंगे अथवा नहीं?

श्री पी॰ उपेन्द्र: महोदय, यह आप पर निर्भर करता है। यदि सदस्य अधिक समय चाहते हैं तो हम मध्याह्न भोजन के समय की चर्चा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: महोदय हमें मध्याह्न भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए।

श्री पी॰ उपेन्द्रः जो सदस्य मध्यान्ह भोजन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वह जाकर वापस आ सकते हैं और सदन अपनी चर्चा जारी रख सकता है।

जहां तक मत-विभाजन संबंधी प्रक्रिया का प्रश्न है, प्रत्येक सदस्य को विभाजन संख्या आवंटित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप इलैक्ट्रोनिक मशीन के परिचालित नहीं किये जा सकने के कारण, मत विभाजन की एक अन्य सुलभ प्रक्रिया के अनुसार सदस्यों की संख्या को गिनकर किया जा सकता है तथा संभवतः यही तरीका बेहतर होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः वह बाद में देखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी॰ उपेन्द्रः मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण विदेश मंत्री द्वारा एक वक्तव्य चाहते थे। आपके आदेशानुसार हमने इसका समय 5 म॰ प॰ निश्चित किया है।

मत विभाजन की प्रक्रिया जल्द संपन्न करने के लिये मेरा सुझाव है कि सदस्यों की गिनती की जा सकती है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी): माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मत विभाजन की प्रक्रिया के संबंध में अपनी परिकल्पना से सदन को अवगत कराया है। उन्होंने कुछ मुद्दे दर्शाएं हैं। सर्वप्रथम, उन्होंने कहा है कि इसके लिए चार घंटे का समय आवंटित किया जा सकता है और इसके अनुसार ही हम इसका जवाब पा सकते हैं। मेरे विचार से समय की पाबंदी को कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि, हमारे अनुभव के अनुसार, जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे बाद में बोलने वाले सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए समय कम उपलब्ध होता जाता है। अतः इसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि प्रत्येक दल के एक सदस्य को बोलने के लिये पूरा वक्त अवश्य प्रदान किया जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः फिलहाल चार घंटा है।

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ बनातवालाः दूसरे, उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से कहा है कि हमें मध्यान्ह भोजन काल में भी बैठक जारी रखनी चाहिए और जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, वह बाहर जाकर भोजन लेने के पश्चात् वापस आ सकते हैं। **(व्यवधान)** यह एक गंभीर मुद्दा है। इसको इस सहज ढंग से नहीं लिया जा सकता है। हमें प्रत्येक सदस्यों की बात को सुनना चाहिए। इसलिये, सभा के समक्ष ऐसे सहज ढंग से बात नहीं की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः शोर करने की क्या जरूरत है, यह जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ उपेन्द्र: महोदय, इसे सहज ढंग से नहीं कहा गया है। **(व्यवधान)** मध्यान्ह भोजन के दौरान बैठक जारी रखना कोई नई बात नहीं है। मैंने उस पक्ष की तरफ से भोजन काल के संबंध में की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सभा के दोनों सदनों में ऐसा अनेक बार हो चुका है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसमें यहां कोई विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या हम मध्यान्ह भोजन के लिए सभा की बैठक स्थगित करने के पक्ष में हैं।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अतः मध्यान्ह भोजन दौरान भी बैठक जारी रहेगी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: फिलहाल चार घंटे इसके लिये रखे हैं। बाद में देखेंगे कि क्या करना है। जो हाऊस चाहता है, उसको मैंने जान लिया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी (अमेठी): यह प्रश्न मध्याह्न भोजन काम का ही नहीं है। हम मध्याह्न भोजन के संबंध में निर्णय ले लेंगे। समस्या यह नहीं है। मध्याह्न भोजन काम के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार सदन का है। परन्तु यहां प्रश्न यह है कि सदन से इसकी पूर्वानुमति नहीं ली गई है। मेरे विचार से यह सदन की अवमानना है।...**(व्यवधान)**...

श्रीमति गीता मुखर्जी (पंसकुरा): सभा को गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। ऐसा जो भी कह रहे हैं, उनसे मैं आशा करती हूं कि वे वास्तव में सदन में उपस्थित रहकर चर्चा को सुनेंगे।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा सदन के समक्ष है। मैंने इस संबंध में श्री अन्तुले को बोलने के लिये आमंत्रित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हमें श्री अन्तुले के वक्तव्य को सुनना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री अन्तुले के अलावा किसी और को बोलने की अनुमति नहीं दी है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: यह* है। सीमेंट का क्या हुआ?...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: जो मैंने सुना है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। वह अनपार्लियामेंटरी है और वह *रिकार्ड में नहीं आयेगा।

मैंने जो सुना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, वह अनपार्लियामेंटरी है, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा। आप बैठिये, हरीश जी।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप सुनये न। आप रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। आपके प्रधान मंत्री ने मोशन मूव किया है, आप बैठिये।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैं माननीय सदस्यों से सम्मानजनक तरीके से वार्ता करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अन्तुले...

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले (कोलाबा): महोदय, मैं आपके विनिर्णय के लिये धन्यवाद देता हूं। आज इस सभा में हमारे समक्ष एक प्रस्ताव है। न तो मुझे विश्वास है और न ही यह याद है कि संसद के इतिहास में-निश्चियपूर्वक इस लोक सभा के इतिहास में, पहले कभी भी ऐसा प्रस्ताव सभा-पटल पर रखा गया हो।

अब ऐसे प्रस्ताव की क्या आवश्यकता थी ऐसे प्रस्ताव को चर्चा के लिये सभा-पटल पर रखा जाना ही इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री के पद् पर नियुक्ति के समय जितना बहुमत इस सरकार को चाहिए था, उसमें कमी थी या फिर इसमें संदेह था। महोदय, इसके परिणामस्वरूप ही राष्ट्रपति ने पहली बार प्रधानमंत्री को यह दिर्नेश दिया कि वे सभा में अपना बहुमत सिद्ध करें।

श्री राम नायक (बम्बई उत्तर): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अब श्री अन्तुले का भाषण सुनेंगे।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर:): आप पाइण्ट ऑफ आर्डर के लिए मना नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप अपना व्यवस्था संबंधी प्रश्न सुनाएं। **(व्यवस्था)**

[हिन्दी]

श्री राम नायक: मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि अभी कुछ डिवेट शुरू नहीं हुई है। समय कितना दिया जाना चाहिए और कितना नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर चर्चा है। मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि डिवेट शुरू होने पर वह पहले स्वीकार हैं क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वाद विवाद शुरू हो चुका है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ए॰ आ॰ अन्तुलें: महोदय, हमारे विशाल देश की परम्पराएं बहुत प्राचीन हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी प्रजातांत्रीय व्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है।

•

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद): आपको इनकी क्लास लेनी पड़ेगी।

श्री फूलचन्द वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बातें तो भाषण में भी कह सकते हैं आप।

12.00 **मध्याह्न:**

श्री ए॰आर॰ अन्तुले: स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हमने महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश में लोकतंत्र को अपनाया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह श्री अन्तुले के भाषण के बीच बाधा न डाले क्योंकि यह उनका पहला भाषण है। यह इस सदन की सुस्थापित प्रथा रही है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्थान ग्रहण करें। हां, तो श्री अन्तुले आप बोलिए।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: हमारे जैसे देश में जहां एकता में अनेकता है, पंडित जी ने ठीक ही कहा था कि हमें एक शक्तिशाली केन्द्र की जरूरत है और इस बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जिस प्रकार की संघीय प्रणाली की भारत के संविधान में व्यवस्था है, उसके अनुसार देश की एकता और अखण्डता स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सुनिश्चित करना केन्द्र का काम है।

निश्चित रूप से यह अल्पमत सरकार है। इस अल्पमत सरकार को दो अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है। लोक सभा में हमारा दल सबसे बड़ा अकेला दल है **(व्यवधान)** भारत के लोग प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं। मतदाताओं ने हमे चुनकर भेजा है...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया है।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: नहीं, उन्होंने हमें अस्वीकार नहीं किया। मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह कहना गलत है कि लोगों ने इस सरकार को अस्वीकार कर दिया है इसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित की है। ऐसी बात नहीं है। यह बात सही है कि लोगों ने हमें इस देश पर शासन करने का पूर्ण अधिकार नहीं दिया। **(व्यवधान)** इसके साथ ही लोगों ने जनता दल को भी इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं दिया, जिसके सदस्यों की संख्या इस सदन की कुल संख्या का केवल एक चौथाई ही है। यदि लोगों ने उन्हें चुना होता तो उन्हें बहुमत के साथ भेजा होता जिसे लोगों का आदेश माना जा सकता था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह क्या है। **(व्यवधान)**

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: मुझे अपनी बात कहने दें। **(व्यवधान)** उनमें सुनने की सहनशक्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री आर॰ गुण्डु राव (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: हां, तो श्री गुण्डु राव, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री आर॰ गुण्डु राव: अध्यक्ष महोदय ने श्री अन्तुलें को बोलने की इजाज़त दी है...**(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

थोड़ा आराम से बैठिये।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री अन्त में जवाब देंगे। वह इस पुनीत सदन के नेता है और इसके साथ ही श्री अन्तुले भी इस पुनीत सदन के सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है और वह बोल रहे हैं तो उन्हें बीच में टोकना उचित नहीं है। यदि वह चाहते हैं कि जब इस सदन के माननीय नेता, प्रधान मंत्री बोलें, तो हम भी यही कुछ करें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

ऐसा बोलने से आप लोग क्या समझते हैं?

[अनुवाद]

आप में थोड़ी शालीनता होनी चाहिए।

व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री राव, अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आर० गुंडु रावः हम तो यह बोल सकते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्षपीठ के लिए हमारे दिल में बहुत सम्मान है।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे सहमत हूं।

श्री आर० गुंडु रावः और इस सदन के प्रति भी हमारे दिल में बहुत सम्मान है। वह सोचते हैं कि जब विपक्ष का कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो वह उसमें बाधा डाल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके नेता का उन पर कितना नियंत्रण है। जब उनके नेता बोलेंगे, हम भी यही कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवस्था बनाए रखें। श्री अन्तुले को भाषण के दौरान कोई नहीं टोकेगा। हां तो श्री अन्तुले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री ए०आर० अन्तुलेः सत्य कड़वा होता है किन्तु यह कहना भी होता है और सुनना भी पड़ता है। लोकतंत्र की सुस्थापित परम्पराओं के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। किन्तु राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि सदन में सबसे बड़ी एकल पार्टी के नेता ने उदारतावश इन्कार कर दिया है...**(व्यवधान)** जी हां, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, जिसे इतिहास के पृष्ठों से मिटाया नहीं जा सकता ...**(व्यवधान)**... ठीक है उन्हें गठजोड़ करके परिवर्तन करने दें, ताकि भारत के लोगों को पता चल जाए कि वह शासन नहीं चला सकते जैसा कि वह 1977 में नहीं चला सके। महोदय, वास्तव में यह उस समय अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी जिसे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त था। आज स्थिति

इसके विपरीत है। कानूनी विशेषज्ञों की राय जो भी हो, उसकी तुलना उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत दी गई राय से नहीं की जा सकती। कानूनी, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक दृष्टि से इस संसद का कार्यकाल 14 जनवरी, 1990 तक चल सकता था। महोदय, राष्ट्रपति का चुनाव भी इस अवधि की समाप्ति से पहले कराया जाना होता है। तो भी नया राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पद के लिए जल्द चुनाव कराए जाने का यह अर्थ नहीं है कि जो राष्ट्रपति कार्य कर रहा है वह उसी समय अपना पद छोड़ देंगे। उन्हें अपना पद नहीं छोड़ना होता। हमारे नेता श्री राजीव गांधी जिनके लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है, भारत के संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक मापदण्डों के अनुसार तथा सुस्थापित परम्पराओं और परिपाटियों के अनुसार 14 जनवरी, 1990 तक अपने पद पर बने रह सकते थे। **(व्यवधान)**

इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप भारत के संविधान को हंस कर नहीं उड़ा सकते। आप भारत के संविधान को नजर अन्दाज नहीं कर सकते। न ही आप भारत के लोगों की आवाज को खामोश कर सकते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हम इस सदन में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को यह पता चले कि संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वास्तविक स्थिति क्या है। **(व्यवधान)** मैं उनकी सभी आपत्तियों और व्यवधानों की भर्त्सना करता हूं जिसके वह हकदार हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर मेरी बात सुनी जाए क्योंकि इस बारे में काफी भ्रान्ति है। मैं फिर से स्पष्ट करता हूं। राष्ट्रपति का चुनाव लगभग डेढ़ या दो महीने पहले हो जाता है। किन्तु नया चुना गया राष्ट्रपति तब तक पद ग्रहण नहीं करता जब तक मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। जो राष्ट्रपति पहले से इस पद पर है पहले वह अपने पद का त्याग करता है और नया राष्ट्रपति गरिमापूर्वक केन्द्रीय कक्ष में लाया जाता है। यदि यह संवैधानिक प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के संविधान का संरक्षक है, के लिए सही है तो यह बात भारत के प्रधान मंत्री, जो कि उनका पहला सलाहकार हैं, के लिए भी सही है किन्तु, हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने इसके स्थान पर लोक सभा भंग करने की सिफारिश की तथा उनका कार्यकाल डेढ़ महीने पूर्व समाप्त हो गया।

इसलिए, उन्होंने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया हालांकि वह ऐसा कर सकते थे।

अनेक माननीय सदस्य: कैसे?

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: वह मुझसे पूछ रहे हैं "कैसे"। वह इसे मौजूदा कार्यपालिका से अधिक गरिमापूर्ण तथा बेहतर तरीके से कर सकते थे। हमने यह सरकार उनसे बेहतर तरीके से गठित की होती।

एक माननीय सदस्य: कृपया स्पष्ट करें कैसे। क्या यह श्री भजनलाल के ढंग से किया जाता।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: महोदय वह फिर पूछ रहे हैं कि कैसे। उन्हें श्री चन्द्रशेखर से पूछना चाहिए, जो कहते हैं कि इस सरकार का जन्म पाप और धोखाधड़ी से हुआ है। और श्री चन्द्रशेखर कोई कांग्रेस (ई॰) के सदस्य नहीं हैं; उनके 'कैसे' का जवाब श्री चन्द्रशेखर ने स्वंय दिया है। **(व्यवधान)**

हम न्यायोचित, लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से सरकार बनाने का प्रयत्न कर सकते थे और राष्ट्रपति ने हमारे नेता को प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई होती और उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए समय दिया होता, जैसा कि मौजूदा प्रधान मंत्री को दिया है। किन्तु हमारे नेता ने उदारता से काम लिया। हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। हमने इंकार कर दिया किन्तु, जिस दिन से उन्होंने सरकार का गठन किया है वह परेशान हैं। यह बात साबित होने जा रही है। जैसा कि श्री चन्द्रशेखर ने कहा यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण

दिन था। राजीव जी ने अपना पद छोड़ दिया और लोक सभा भंग करने की सिफारिश की।

एक माननीय सदस्य: श्री त्रिपाठी के विषय में आप क्या कहेंगे।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: श्री चन्द्रशेखर, श्री त्रिपाठी जी से बहुत छोटे हैं **(व्यवधान)** वे सच्चाई को दबा नहीं सकते। किन्तु भारत की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। भारत की प्रभुसत्ता इस सदन से कहीं बढ़ कर है। यह सदन प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है। भारत की जनता प्रभुसत्ता सम्पन्न है।

इसलिए, मैं यह कहना चाह रहा था कि इस तथ्य के बावजूद कि दक्षिण के लोगों ने मोर्चे के अध्यक्ष के नेतृत्व की सरकार का बोरिया बिस्तर समेट दिया.... **(व्यवधान)** वह इसे मोर्चे की सरकार कहते हैं। किन्तु इसके अध्यक्ष को इतिहास के गर्त में डाल दिया गया।

जनता दल के उपाध्यक्ष को भी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया..... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: जिगर थाम कर बैठो मेरी बारी आई।

[अनुवाद]

इस प्रकार सारे दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कांग्रेस (आई) के पक्ष में मत दिया। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो प्रधान मंत्री अथवा उनकी तरफ से कोई अन्य बाद में मेरे कथन को सही कर सकता है लेकिन मैं बीच में टोका जाना पसंद नहीं करता। मैं उनसे घबराता अथवा डरता नहीं हूं लेकिन इससे मेरा समय बर्बाद होता है। इसलिए दक्षिण और पूर्वोत्तर..... **(व्यवधान)**

इस प्रकार भारत के लोगों ने, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, सोच समझ कर कांग्रेस (आई) को, जिसके नेता श्री राजीव गांधी हैं, सभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाया है तथा जनता दल को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तथा साम्यवादियों को चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है। **(व्यवधान)**

महोदय, लोकमान्य तिलक ने कहा है कि नौ वर्ष की दो लड़कियों से एक वधु नहीं बन सकती। लोकमान्य तिलक ने यह सही कहा है और हर व्यक्ति यह बात जानता है। **(व्यवधान)** इसलिए मैं समझता हूं कि वे यह समझ गए हैं। अब हम घोषणा पत्र को देखते हैं जो कथित मोर्चे ने लोगों के सम्मुख रखा था क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह मोर्चा मौजूद है, सिवाय श्री उन्नीकृष्णन और यदि मैं गलत नहीं हूं तो श्री गोस्वामी के.... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: वह सदस्य नहीं हैं.... **(व्यवधान)**

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: मैं यह नहीं कहना चाहता था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या शायद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अर्थात् भारतीय जनता पार्टी और साम्यवादी पार्टी के घोषणा पत्र में लोगों से क्या वायदे किए गए थे और मतदाताओं को क्या आश्वासन दिए गए थे? **(व्यवधान)** सुबह जब मैंने शून्य काल के दौरान सुना कि सरकार से विभिन्न प्रश्न किए जा रहे हैं तो स्वयं मुझे सरकार की दयनीय स्थिति पर दया आ रही थी। वे अपने आप एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे यदि मंत्रिमंडल में भी किसी प्रश्न का उत्तर देना हो जहां गुप्त चर्चा

होनी चाहिए जो कि किसी अन्य को नहीं बताई जाती, वहां भी प्रधान मंत्री को पहले तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और फिर चौथी सबसे बड़ी पार्टी से सलाह मशविरा करना पड़ेगा और फिर श्री देवीलाल से परामर्श करके निश्चय करना पड़ेगा। मैं उप-प्रधान मंत्री का स्थान नहीं बता रहा कि क्या वह वास्तव में चौथे या पांचवें स्थान पर हैं . . . . .**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः डिक्टेटरशिप नहीं है।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुलेः डिक्टेटरशिप नहीं है तो अटर केयास भी नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जीः तब आप यह मान रहे हैं कि पहले तानाशाही थी।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुलेः अत्यधिक अव्यवस्था। **(व्यवधान)**

इसी कारण मुझे सरकार का वैकल्पिक स्वरूप पुनः याद आ रहा है। वे वैकल्पिक स्वरूप की बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार में रहते हुए वे कुछ और नहीं कह सकते। यह वैकल्पिक स्वरूप क्या है — राष्ट्रपति प्रणाली? वैकल्पिक स्वरूप के तहत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली से मतलब नहीं है, यह स्वरूप तो पहले से ही अपनाया जा रहा है। वे एक विकल्प की तलाश में इस स्वरूप से बाहर जाना चाहते हैं। यह स्वरूप.... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्यः बोफोर्स का प्रतिरूप?

श्री ए॰ आर॰ अन्तुलेः नेहरू, इन्दिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री अथवा राजीव गांधी का प्रतिरूप. . . . **(व्यवधान)**

सरकार के प्रमुख और उप-प्रमुख तथा उनके सभी साथियों से क्षमापूर्वक यदि मैं इस सरकार का वर्णन करूं तो यह दो सिरों तथा तीन टांगों वाली सरकार है। **(व्यवधान)**

मैं तो समझता हूं कि लोग बदले में यह नहीं चाहते थे। वे उन लोगों के हाथों ऐसे व्यवहार से कहीं बेहतर के लायक थे जो कि अब सरकार चला रहे हैं इसका समर्थन कर रहे हैं और देश के कार्य चला रहे हैं।

इसलिए मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। यहां पर हमारे सभी मित्र कह रहे हैं कि सरकार को देश के सम्मुख सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। क्या वे किसी भी मुद्दे पर, या इस गठन पर अपना मत स्पष्ट कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

क्या वे ऐसा कर सकते हैं? यह निःसन्देह अत्यंत निन्दनीय बात है कि गृह मंत्री की पुत्री का अपहरण हो जाए। हम इसकी निन्दा करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्हें प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन किस कीमत पर? देश की प्रभुसत्ता का समर्पण करके?

आज ऐसे पर्चे बांटे जा रहे हैं कि वे अन्य सभी का भी अपहरण करेंगे। **(व्यवधान)** यह शोर मचाने का मुद्दा नहीं है यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है, प्रभुसत्ता और प्रजातन्त्र के भविष्य के लिए, देश के भविष्य का प्रश्न है। **(व्यवधान)** मैं उन चरणों को बहुत पहले ही पार कर चुका हूं जब

मुझे चिल्ला कर चुप कराया जा सकता था। व्यक्तिगत आरोपों तथा चरित्र हनन करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: बहुत अच्छा।

श्री ए० आर० अन्तुले: इसलिए देश के लिए यह अत्यंत चिंता का विषय है, क्या वे भी ऐसा समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों की तरफ से लोकतन्त्र के इस मन्दिर में बैठे सदस्यों से इस देश में आम आदमी यह अपेक्षा करता है कि वे उचित व्यवहार करें। अब आज वे यह भूल रहे हैं कि वे सत्ताधारी पार्टी में हैं। वे विपक्ष में रहते हुए गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करते थे। वे जो पिछले तीन वर्षों से कर रहे थे उसे अब भी जारी रखे हुए हैं। **(व्यवधान)** अब, क्या माननीय प्रधान मंत्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर अपना मत स्पष्ट कर सकते हैं? मैं एक सरल सा प्रश्न करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इस सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे श्री आडवाणी जी इस मुद्दे पर अपना मत स्पष्ट करें। नहीं। क्या वे इस मुद्दे पर मिल कर भी अपना मत स्पष्ट कर सकते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली): बाहर।

एक माननीय सदस्य: आपका मत क्या है **(व्यवधान)**

श्री ए० आर० अन्तुले: दुर्भाग्य से वे एक स्वर में कुछ नहीं कह रहे। सरकार को बनाने वाली तीन पार्टियां ही न हीं बल्कि प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री भी एक जैसा नहीं सोच सकते। देश को यह जानने का हक है कि महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति उनका मत क्या है?

आप पिछले दो-तीन सप्ताह से सत्ता में हैं। हर दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने उचित ही कहा है कि वक्तव्य सोमवार या मंगलवार को दिया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से जो गलत बातें हो रहे हैं वे रुक नहीं सकती; आप उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आप अलग-अलग विचारों से तथा भिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं और उनके स्वर भी भिन्न है। आपकी विचारधाराएं भिन्न हैं। आप देश को इस प्रकार नहीं चला सकते। **(व्यवधान)** आप राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्रीय सहमति की बात कर सकते हैं। मैं कल सरसरी तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ रहा था। मैं अब इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए विशेष वाद-विवाद है। राष्ट्रीय सर्वसम्मति तथा राष्ट्रीय समन्वय का बार-बार उल्लेख किया जा रहा है। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? इस पक्ष को कितने मत मिले हैं? कितने लोगों ने जनता दल को मत दिया है जो कि जनता पार्टी तथा अन्य पार्टियों, छोटे गुटों और मोर्चों से जनता दल बनने से पूर्व पार्टियों का घटक था। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि इन कथित सत्ताधारी समूहों को भी प्रधान मंत्री के रूप में ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना पड़ा जो कि कांग्रेस (आई) से अलग हो गया है। आपको इसी पक्ष से ही किसी को लेना पड़ा । **(व्यवधान)** यहां पर ऐसे माननीय सदस्य मौजूद हैं जो दो वर्ष पूर्व हमारे नेता श्री राजीव गांधी के प्रति विश्वास और निष्ठा रखते थे।

एक माननीय सदस्य: आपको अपने बारे में क्या कहना है। **(व्यवधान)**

श्री ए० आर० अन्तुले: मैं कहना चाहूंगा कि आज के हमारे प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ जी ने तब सारे देश से यह वायदा किया था कि यदि वह एक साधारण कांग्रेसी भी रहेंगे तब भी कांग्रेस (आई) का झण्डा ऊंचा रखेंगे यदि उन्हें पार्टी के हरेक भाग से निकाल दिया जाता है तब भी वह एक कांग्रेसी ही रहेंगे। "मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता।" अब, क्या वह कांग्रेसी होने का दावा करते हैं? मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं अथवा क्या वह जनता दल का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः अन्तुले कांग्रेस का क्या हुआ?

श्री ए० आर० अन्तुलेः अन्तुले कांग्रेस कांग्रेस-आई से अलग नहीं थी।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी, तुमको निकाला गया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जीः वह उपदेश दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० आर० अन्तुलेः मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं। इसे इस तरह मत समझिये। मैं सचाई बता रहा हूं जो आपको अच्छी नहीं लग रही।

श्री सोमनाथ चटर्जीः आपने कैसी शुरूआत की है।

श्री ए० आर० अन्तुलेः महोदय, मैं माननीय सदस्य के आशय को समझ सकता हूं। परन्तु यह उन्हें शोभा नहीं दे रहा है।

एक माननीय सदस्यः वह जनता दल का समर्थन करने के लिये बाध्य हैं—क्या किया जाए—यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री ए० आर० अन्तुलेः महोदय, वे श्रीलंका के तमिलों के बारे में क्या करेंगे?

अभी यहां तमिलों के अपहरण के संबंध में कुछ कहा गया था। वह भी स्पष्ट नहीं है। सरकार को इन सभी जबाबों के बारे में सोचना चाहिए। पनामा पर आक्रमण के संबंध में भी सरकार की तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मुझे यह नहीं बताया गया कि कम से कम क्या प्रतिक्रिया हुई है। मैं नहीं जानता हूं। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या वामपंथियों, भाजपा तथा जनता दल ने पनामा के आक्रमण के बारे में कोई मिलीजुली व्यवस्था की है। मैं यह नहीं जानता हूं।

महोदय, इस प्रकार न तो स्वदेशी मामलों में उनके दृष्टिकोणों और नीतियों का पता चलता है और न ही अर्न्तराष्ट्रीय मामलों में। इसका कारण है साफ-साफ कहूं तो और मैं कम से कम औसतन बुद्धिमान हूं—राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुझे राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय मामलों के बारे में कोई नीति दिखायी नहीं दी है। यह सब-सम्मान पूर्वक-निरर्थक है। कोई भी ठोस दृष्टिकोण नहीं है सभी विचार अस्पष्ट हैं।

मुझे या तो भारत के संविधान में अन्तर्निहित मौलिक कर्तव्यों अथवा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के, जिनकी भारत के संविधान में व्यवस्था है, के संबंध में स्मरण कराया गया है। इस अभिभाषण में उनमें से कुछ को अल्पविराम और अर्धविराम के अतिरिक्त शब्दों में हेरफेर कर शब्दशः प्रस्तुत किया गया है। ऐसा किया गया है। उनको उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोहराये जाने की जरूरत नहीं है। ये बाते वहां कही गई हैं। मैंने इसका अध्ययन किया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में ऐसा कहा गया है। मौलिक कर्तव्यों में इनका उल्लेख है। आपको यह कहने की आवश्यकता है कि आप उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे, आप इसे किस प्रकार लागू करेंगे, आप जनता को किस प्रकार की सरकार देंगे, किस प्रकार की नीति होगी, किस प्रकार का आर्थिक कार्यक्रम चलायेंगे तथा किस प्रकार का राजनैतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे आज इस प्रकार की सरकार से देश चल रहा ०।

महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अधिक गर्व की बात है। यह चिंता की बात है। परन्तु मुझे अधिक चिंता है। उस पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्तिगतरूप से मेरे विपरीत नहीं है तथा मैं नहीं सोचता कि वे ऐसा सोचते हैं। मैं भी ऐसा नहीं सोचता हूं। वे सब भले मित्र हैं तथा उन्हें यहाँ सभी के साथ भले मित्रों के रूप में व्यवहार करना चाहिए तथा मुझे आशा है कि वे ऐसा ही करेंगे। परन्तु जब मेरे नेता, हमारे नेता तथा विपक्ष के नेता ने "रचनात्मक सहयोग" के लिये कहा तो उनका अभिप्राय महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी द्वारा प्रतिपादित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ढ़ाँचे के अन्तर्गत नीति तथा सिद्धान्तों के सहयोग से था।

महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जब मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन में से, जो हमने 1976 में प्रस्तुत किया और पारित कराया, कुछ बातें उद्धत देखी तो मुझे कुछ संतोष हुआ था यद्यपि अभिभाषण में भी इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है । मुझे इससे संतोष मिला था । मैं यह इसलिए कहता हूँ कि अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों को इस तरफ केवल आपने ही नहीं किया था बल्कि मेरे विचार से किसी समय उपाध्यक्ष भी इसी तरफ थे। असली विपक्षी सरकार तभी आयेगी । जब वामपंथी अथवा भाजपा को ऐसा करने के लिए पर्याप्त बहुमत मिलेगा । उस समय तक यह संकट में होगा। मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री बनने से पहले कहा थाः "यदि मैं प्रधान मंत्री बनूँगा तो एक संकट होगा" उन्होंने ऐसा कहा था। यह बात समाचार पत्रों में छपी थी। महोदय मैं नहीं जानता था कि उनके शब्द इतने भविष्य सूचक होंगे। उन्होंने कहा थाः "मैं कोई पद नहीं चाहता परन्तु यह पद श्री देवी लाल जी ने जबरदस्ती दे दिया था" ...**(व्यवधान)** देवी लाल जी को दल का नेता बनाया गया था, उचित ढंग से उनका नाम प्रस्तावित किया गया, उसका समर्थन किया गया तथा अनुमोदन किया गया। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और कहाः "मैं आपको मुझमें विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ" और उन्हें नेता घोषित कर दिया गया। अब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं उसका जबाब दे रहा हूँ। अब श्री देवी लाल ने अपने व्यक्तिगत अधिकार से कहाः मैं अमुक को नियुक्ति करता हूँ...**(व्यवधान)** क्या आम राय है। क्या लोकतंत्र है। किस प्रकार का लोकतंत्र है...**(व्यवधान)** अगले दिन प्रधान मंत्री को शपथ ग्रहण करनी थी। कुछ समय पहले सहयोगी होने के कारण शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए मैं टेलीवीजन देख रहा था। उनके मित्रों को और भारत की जनता को आश्चर्य हुआ जब श्री देवी लाल उप प्रधान मंत्री बने...**(व्यवधान)**

महोदय, शपथ ग्रहण के बारे में आपने विनिर्णय दे दिया है परन्तु तथ्य यह है कि संविधान में तीन प्रकार की नहीं बल्कि दो प्रकार की शपथ निर्धारित की गयी हैं। चाहे श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल या श्री मोरारजी भाई अथवा कोई अन्य उप प्रधान मंत्री थे अथवा नहीं यह अप्रासंगिक है। उन्होंने उप प्रधान मंत्री के रूप में नहीं बल्कि मंत्री के रूप में शपथ ली थी। यदि आप रिकार्डों का अध्ययन करें अथवा परामर्श लें — मैंने पहले भी राष्ट्रपति भवन में प्रयास किया है — तो श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली थी, तत्पश्चात् पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें उप प्रधान मंत्री नियुक्त किया था। ऐसी ही स्थिति श्री मोरारजी भाई के साथ थी जब उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने उप प्रधान मंत्री नियुक्ति किया था। उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली थी और तत्पश्चात उन्हें उप प्रधान मंत्री नियुक्ति किया गया था...**(व्यवधान)** यह न्यायालय में विचाराधीन हो सकता है अन्ततः यहां जनता द्वारा चुने गए माननीय सदस्य हैं और अंततः न्यायालय इसका निर्णय कर सकता है। लेकिन, औचित्य क्या है न्यायालय इसकी कानूनी और संवैधानिक रूप से जांच करेगा परन्तु संविधान और कानून से लोकतंत्र नहीं चल सकता । यह परम्पराओं से चल सकता है। परम्परायें संविधान के अंग नहीं हैं। परम्परा क्या है? उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के आदेश की तीन बार उपेक्षा की थी। मैं

देख रहा था। भारत के राष्ट्रपति ने कहाः "इस प्रकार दोहराएं।" और यह नंबर दूसरे जो आज यहां...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः "ताऊ" **(व्यवधान)**

श्री ए॰ आर॰ अन्तुलेः यह एक अच्छा नाम है और मैं इसे पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह इसी प्रकार व्यवहार करेंगे। परन्तु उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना की थी। क्योंकि शायद देवी लाल जी ने सोचा था कि यदि उन्होंने उप प्रधान मंत्री के रूप में शपथ नहीं ली तो शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना विचार बदल सकते हैं क्योंकि इस देश के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो मेरे पुराने मित्र हैं, संशयात्मक हैं। वह समस्या का सामना नहीं कर सकते। वह दुविधा में रहते हैं—उप प्रधान मंत्री बनाएं अथवा नहीं बनाएं, स्वयं प्रधान मंत्री बनें अथवा न बनें. क्या यह एक संकट होगा अथवा नहीं। मेरे विचार से उस हद तक देवी लाल जी की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने सोचाः "कि यदि मैं उप प्रधान मंत्री के रूप में शपथ नहीं लूंगा और उस समय शपथ लिये बिना राष्ट्रपति भवन से घर चला गया तो इस देश के प्रधान मंत्री अपना विचार बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने मंत्री के रूप में शपथ ली है इसलिये आप मंत्री हैं।" वह दो प्रकार से निश्चित करना चाहते थे। इतना ही नहीं उसी शाम को उनके पुत्र ने हरियाणा के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे राजवंश की बात बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। उन्हें किसने मनोनीत किया था? वे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वे तानाशाही की बात कर रहे हैं...(व्यवधान) वे राजीव जी की बात कर रहे हैं। उनकी किसी प्रकार से आलोचना की जा सकती है। किसी भी झूठ को उनके मत्थे मढ़ा जा सकता है। मैंने स्वंय सुना था, देखा है और पढ़ा है कि तत्कालीन विपक्ष और "इंडियन एक्सप्रेस" राजीव गांधी को जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समान सम्मान दे रहे थे। गोयनका जी ने कहा था, "राजीव का भारत।" राजीव जी ने कभी दावा नहीं किया कि भारत उनके अधीन है। राजीव ने हमेशा महात्मा गांधी का भारत कहा था। भगवान का शुक्र है कि प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रारूप तैयार करते समय महात्मा गांधी को नहीं भूला था। इसके बारे में मुझे ईमानदार होना चाहिए। मुझे दुख हुआ। मैंने विश्वनाथ जी से इसकी आशा नहीं की थी। अपने पहले प्रसारण में, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना था, वह राष्ट्रपिता को भूल गये थे। किसी को पिता को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे उनके समर्थकों की भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। आखिरकार भाजपा ने भी दावा किया था कि यह गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। वे सब भी 1977 में महात्मा गांधी की समाधि पर गये थे तथा उन्हें जयप्रकाश जी द्वारा शपथ दिलायी गयी थी। उन्होंने शपथ दिलायी थी। अब वे पंड़ित जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के निर्माता थे तथा सामान्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार देनें का श्रेय जिन्हें जाता है की भी बात नहीं कर रहे हैं। उस समय भी प्रबुद्ध लोग कहते थे कि जब तक किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति न हो या वह व्यक्ति साक्षर या पढ़ा-लिखा न हो, तब तक उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मैं उन लोगों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता। यह उचित नहीं होगा। उनमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन संविधान सभा के इसी केन्द्रीय कक्ष में पंडितजी ने दृढता से कहा थाः "मुझे इस देश के सामान्य नागरिकों की बुद्धिमता और देशभक्ति में ज्यादा विश्वास है।" और पंडितजी ने उन्हें मतदान का अधिकार दिया था। आप उन्हें एक महान समाजवादी नेता को भुला रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के निर्देश पर सन् 1936 में, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, कहा था कि इस देश के लिये समाजवाद ही एक मात्र रास्ता है।

[हिन्दी]

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवीलाल): अच्छा लाये थे सोशलिज्म को।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: सोशलिज्म अच्छा है या बुरा है, वह समझने के लिये अकल चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि प्रधान मंत्रीजी ने जय प्रकाशजी राम मनोहर लोहियाजी का उल्लेख किया। लेकिन मुझे उनसे राष्ट्रपिता और पंड़ित जवाहरलाल नेहरूजी और सुभाषचन्द्र बोसजी और लाल बहादुर शास्त्रीजी के बारे में भी ऐसी ही आशा थी जिन्हें...**(व्यवधान)** पंड़ित जवाहरलाल नेहरूजी पर श्री राजीवजी का एकाधिकार नहीं है। उनका सम्पूर्ण राष्ट्र से संबंध है और हम सभी उनके आभारी है। **(व्यवधान)** मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कोई वंश परम्परा के कारण नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री नहीं बनी अपितु कोई और भी बीच में था। पंड़ित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी अपने लोगों को हमेशा के लिए नियुक्त नहीं किया जैसा कि श्री चौटालाजी को...**(व्यवधान)** इंदिराजी की हत्या के उपरांत, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने कांग्रेस संसदीय दल की सलाह पर श्री राजीव गांधी को नियुक्त किया, तब उन्होंने लोगों का जनादेश मांगा और उन्हें लोगों का भारी जनादेश प्राप्त हुआ। वह भारत के लोगों के प्रधान मंत्री थे न कि आज के प्रधान मंत्री जैसे **(व्यवधान)** अतः महोदय, आज लोग इस सरकार से पंजाब के आनन्दपुर साहिब समझौते, हथियारों की तस्करी, हथियारों की सीमा पार से तस्करी, दुकानें बंद करने की धमकी, जो इन क्षेत्रों में दी जाती है, उस संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, यह देश आज जानना चाहता है? **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्यः वे असहाय हैं।

श्री ए॰आर॰ अन्तुलेः यदि वे शासन करने में लाचार है, तो हम उनकी सहायता करने को तैयार हैं। यदि आप लोग इस देश का शासन चलाने में असमर्थ हैं तो हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। अतः महोदय हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। यदि सरकार का दृष्टिकोण वही है और यदि वह लोगों को पता चल जाये ...**(वयवधान)**...

एक माननीय सदस्यः आपके शासनकाल में पंजाब में क्या हुआ था?

श्री ए॰ आर॰ अन्तुलेः उससे ज्यादा खराब अब हुआ है। **(व्यवधान)** महोदय, यह संकल्प क्रिप्स मिशन पर आधारित था। इसी के आधार पर एक सूत्र प्रकाशित किया गया था। दिवंगत श्री जिन्ना ने उस समय कहा था, "मैं इसमें भावी पाकिस्तान देख रहा हूं।" जैसा कि आप जानते हैं कि उसी तरह हाल ही में एक संकल्प पारित किया गया था। सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है, यह मुझे नहीं मालूम है।

महोदय, अब वे देश की अखंडता की बात कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि देश का क्या होगा? देश पहले की तरह ही एक रहेगा। हमने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में एक संगठित देश, एक संगठित भारत सौंपा है... **(व्यवधान)**... और दुर्भाग्यवश आप इसको समाप्त करने में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो। महोदय, मेरा आशय यह है कि मात्र देश की अखंडता, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय तालमेल के संबंध में जिक्र करना और एक धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के प्रति जो गलत धमकियां दी जा रही हैं, उन पर मौन साधे रहना उचित नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से ही इसका उत्तर चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हम प्रस्ताव का विरोध करने जा रहे

है, हम प्रस्ताव का विरोध न करके केवल मतदान नहीं करेंगे क्योंकि जब तक प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी यह नहीं दर्शाते कि जो भी वे करने जा रहे हैं वह कांग्रेस के ढांचे के अंतर्गत है, जिसके कि वे हाल तक एक सदस्य रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति सदन के इस सबसे बड़े दल की अवहेलना नहीं कर सकता है। आप कोई भी प्रारूप तैयार करके हमारे नेता के समक्ष लाकर यह नहीं कह सकते कि, 'यह मतैक्य है।' **(व्यवधान)** ऐसे ही मतैक्य के संबंध में आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात कर रहे हैं। यह मतैक्य है क्या? **(व्यवधान)** मतैक्य चर्चा के उपरांत बनता है, इसे पहले से तैयार करके प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसलिये, महोदय, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उसी मुद्दे पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जो आवश्यक है और जिसका उल्लेख मैं एक देशभक्त नागरिक होने के नाते अपनी ओर से पूरा प्रयास करके करूंगा। **(व्यवधान)** अब्दुल रहमान अन्तुले उतने ही देशभक्त हो सकते हैं जितने कि श्री आत्माराम रामचन्द्र अन्तुले। यह वास्तविकता है जिसे आप गलत नहीं कह सकते। ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्व भी हैं जो मंत्रियों की निष्ठा पर संदेह करते हैं। पैगम्बर मुहम्मद की एक कहावत है कि: "हुब उलवतन अली अलईमान" **(व्यवधान)** इसका मतलब यह है कि देश के प्रति प्रेम इस्लाम का एक अंग है। जब तक आप अपने देश से प्रेम नहीं करते तब तक आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। वे क्या बातें कर रहे हैं। मात्र यह कहने से कि मैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: महोदय, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह बैठ जाएं और इस गलतफहमी में न रहें कि चूंकि यह मेरा पहला भाषण है अतः वह हो-हल्ला करके मेरी आवाज दबा सकते हैं। मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं और मैंने कभी भी पहले अपना मुंह नहीं खोला। अतः मैं कह रहा था कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता बरकरार रखी जानी चाहिए। देश सर्वप्रथम है लेकिन दुर्भाग्यवश यह देखने को मिल रहा है कि कुछ समय से और विशेषकर जब से नई सरकार आयी है तब से देश की एकता और प्रभुत्ता बर्बाद हो रही है। इसके कारण न तो समाजवाद, अर्थात् आर्थिक प्रजातंत्र और न ही धर्मनिरपेक्षता, सर्व धर्म समभाव, न ही राजनीतिक प्रजातंत्र, जो कि मतदाताओं के बहुमत को दर्शाता है, कायम रह पाएगी। महोदय, आप जाने माने समाजवादी हैं और आप जानते हैं कि मुझे आप के प्रति आदर और लगाव है क्योंकि हम दोनों 10 या 12 साल पहले संसद में एक साथ थे। आर्थिक नीतियों के संदर्भ में आपके विचार सराहनीय हैं और उनका अनुसरण किया जाना चाहिये। महोदय, मैं आपके विचारों और आपकी धर्मनिरपेक्ष और आर्थिक विचारधारा का आदर करता हूं। परन्तु यदि विश्वनाथ जी अपने कार्यक्रमों को वह विशेष दिशा देने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे बहुमत के समर्थन से किसी भी प्रकार गद्दी पर बैठे रहना चाहते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि

[हिन्दी]

उन्नीस बीस ही का फर्क है।

[अनुवाद]

पूर्णतया विरोधी विचारों वाले दलों, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों से समर्थन प्राप्त इस अल्पसंख्यक, नाबालिग सरकार के हाथों इस देश का भविष्य क्या होगा। इसके बारे में मुझे नहीं मालुम। मेरा यह कहने का मतलब यह नहीं है कि यह सरकार गिर जाए। नहीं। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम इस सरकार के लिए मंगल कामना करते हैं। यदि हममें से कोई भी सदस्य यह सोचता कि यह सरकार असफल रहे तो हम इस सरकार को बनने ही नहीं देते और अपनी सरकार बना लेते। क्या राजीवजी ने नहीं कहा था। "ठीक है आप अपनी सरकार बना लें।" आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। प्रजातंत्र की परम्पराओं और

परिपाटियों के अनुसार ही उन्होंने कहा था कि "सत्ता के लिए मैं अपना दावा पेश नहीं करता।" हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। जब श्री मोरारजी भाई की सरकार गिर गई तब भी यशवंतराव चौव्हाण, जो कि सबसे बड़े दल के नेता थे उन्हें सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया था। सर्वप्रथम उन्हे सरकार बनाने को कहा गया था। इसके लिये उन्होंने सात दिन का वक्त मांगा था परन्तु उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। अतः हमारे देश की अपनी परम्परा है, मैं केवल ब्रिटिश परम्परा की ही बात नहीं कर रहा हूं अपितु मैं तो अपने देश की परम्परा की बात कर रहा हूं और इसी सदन में आज से कुछ वर्षों पूर्व जो हुआ है उसका उल्लेख कर रहा हूं। अतः मेरे विचार से राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजीव गांधीजी को सरकार बनाने के लिये ठीक ही आमंत्रित किया था और यह उनका अधिकार था कि वे सरकार बनाएं। यदि वह देश के प्रधान मंत्री बनना स्वीकार कर लेते तो मुझे 200 प्रतिशत विश्वास है कि वह अपना बहुमत निश्चय ही सिद्ध कर सकते थे। (व्यवधान) चूंकि यह 'खुली' सरकार है अतः कुछ भी गोपनीय नहीं है और सभी बातों का पता चल जाता है। वास्तव में 'खुली' सरकार से उनका क्या अभिप्राय है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यदि सरकार की सभी बातें स्पष्ट है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह किस कीमत पर है। मैं स्वयं प्रधान मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, न कि उनके बदले श्री आडवाणी जी या किसी अन्य व्यक्ति से, की किस कीमत पर वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के सहयोग से सत्तारूढ़ हैं। श्री आडवाणी जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुणदोष के आधार पर समर्थन प्रदान किया है। यदि मुझे अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मेरे विचार से गुणदोष के आधार पर और रचनात्मक दोनों एक ही हैं। हमारे नेता ने उन्हें रचनात्मक सहयोग देने की पेशकश की है जबकि श्री आडवाणीजी ने कहा कि वे गुणदोष के आधार पर समर्थन कर रहे हैं। मेरे विचार से यह 'जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ' वाली बात है। अतः आडवाणीजी ने कुछ चीजों को अपने तक ही रखा है। यदि सरकार कुछ ऐसी बातें कहती है जो कि उनके घोषणापत्र के विरुद्ध है, तो मैं नहीं समझता कि वे श्री विश्वनाथजी की इच्छानुसार समझौता करेंगे। इसी कारण उन्होंने अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन यहां है जो मेरे अच्छे दोस्त है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।

[अनुवाद]

जिस का वे स्वप्न देखते हैं उसी के लिए वे चिल्ला सकते हैं। इसके लिये मैं उनको दोषी नहीं ठहराता। हमारे नेता द्वारा रचनात्मक सहयोग के आश्वासन के बावजूद भी यदि वे उस स्तर की संसदीय चर्चा की आज्ञा नहीं देते जैसा कि अपेक्षा की गयी थी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस देश का शासन कैसे चलाएंगे। हमारे नेता ने यह नहीं कहा कि वह जो भी कहेंगे हम उसका विरोध करेंगे, उन्होंने मात्र यही कहा है कि उनकी नीति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और जो कांग्रेस के संविधान के अन्तर्गत हो। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि इस सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है। सरकार को विश्वास प्राप्त है क्योंकि वह कभी बांये और कभी दांये मुड़ती है। (व्यवधान)

पता नहीं वे वास्तव में क्या है, लेकिन कभी उन्हें इधर घूमना पड़ता है तो कभी उधर। किसी ने मज़ाक में कहा था कि विश्वनाथजी के बांयी ओर वामपंथी लोग हैं और दांयी ओर दक्षिणपंथी बैठे हैं और सरकार को इसके बीच होना चाहिए। युद्ध और राष्ट्रीय संकट के अलावा कभी भी इतिहास में ऐसी स्थिति नहीं आयी जिसका कि देश को आज सामना करना पड़ रहा है।

1.00 म॰ प॰

ऐसा कभी नहीं था। माफ कीजिए, मैं "दया" शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे बेहतर शब्द नहीं मिला, एक भी ऐसा उदाहरण आप दीजिए जहां कि दक्षिण-पंथियों की दया पर और वामपंथियों की उदारता पर सरकार कायम रही हो।

अध्यक्ष महोदय: अब एक बज चुका है। क्या अपनी बात समाप्त करने में आप अधिक समय लेंगे?

श्री ए॰ आर॰ अन्तुले: मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मैं समझता हूं कि मैंने सभी मुद्दों का उल्लेख कर दिया है।

इस सभा में हमें लोकतंत्र के भविष्य पर, स्वतंत्र भारत के भविष्य पर, स्वयं इस देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। मैंने ऐसा किया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि शोर-गुल के बावजूद भी आपने व्यवस्था बनाये रखी।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 म॰ प॰ पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

1.01 म॰प॰

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये
2.00 म॰प॰ तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म॰प॰

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.00 म॰प॰ पर पुनः समवेत हुई।

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

सभापति महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: सभा के समक्ष कोई मुद्दा नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री इन्द्रजीत: यह मुद्दा विश्वास-प्रस्ताव का है।

सभापति महोदय: इन्द्रजीत जी आप कृपया नियमों का अध्ययन करें। सभा के समक्ष यदि कोई विषय विचाराधीन नहीं है तो आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत: संविधान को गलत उद्धृत किया गया है और मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं। प्रो॰ मधु दंडवते को अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) प्रस्तुत करनी है।

2.01 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): मैं वर्ष 1989-90 के लिए बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—[जारी]

सभापति महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली): श्रीमन् सभापति महोदय, नवें आम चुनाव के साथ हिन्दुस्तान की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, एक नई सरकार पदारूढ़ हुई है, एक नये प्रधान मंत्री ने देश की बागडोर संभाली है और कल ही इस सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपना प्रमुख नीति वक्तव्य संसद् के सामने रखा है। सामान्यतः सबसे पहला काम, जो संसद् हर इस प्रकार की स्थिति में करती है, वह है उस अभिभाषण पर चर्चा करना या उस अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस करना। इस मामले में तो अंतुले जी का यह कहना बिल्कुल सही है कि यह एक प्रकार की अभूतपूर्व बहस है कि उस अभिभाषण की चर्चा करने से भी पहले एक और प्रस्ताव सदन के सामने यहां पर लाया गया जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है। वैसे कल कांग्रेस के कुछ मित्रों के सामने हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर इस पर बहस न हो, केवल मतदान हो, इस बात के लिए वे सहमत हों तो सरकारी पार्टी, हम, हमारे मार्क्सवादी सदस्य, वे भी बिना बहस के मतदान करने के लिए तैयार हैं लेकिन जैसे संसदीय कार्य मंत्री ने आज प्रातःकाल बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि इस पर बहस होनी चाहिए, चाहे छोटी बहस हो, हर एक दल से एक-एक वक्ता बोले। उसी के कारण यह बहस हो रही है। हमारी तरफ से जब यह बात सुझाई गई, तो उसका उद्देश्य यह नहीं था किसी भी प्रकार से बहस पर मर्यादा लगाई जाए, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि आज के इस प्रस्ताव का कारण सरकार नहीं है, आज के इस प्रस्ताव का कारण प्रमुख रूप से राष्ट्रपति का निर्देश है। मेरे पास वह काम्यूनिके है, जो राष्ट्रपति जी की ओर से एक तारीख को, एक दिसम्बर को जारी किया गया, मैं इंग्लिश में कोट कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

> "चूंकि नौवी लोक सभा में सबसे अधिक स्थान प्राप्त करने वाले दल कांग्रेस (आई) ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, मैंने दूसरे सबसे बड़े दल अर्थात् जनता दल/राष्ट्रीय मोर्चे के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया है और पद ग्रहण करने के लिए 30 दिनों के अन्तर्गत विश्वास का प्रस्ताव अपने पक्ष में करने के लिये कहा है।"

[हिन्दी]

मैं ये शब्द जानबूझ कर कोट कर रहा हूं, क्योंकि आज प्रातःकाल कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता थे, श्री अन्तुले, उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने सरकार बनाने से इन्कार किया...

[अनुवाद]

> "उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया जैसे कि उन्हें सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया था जिसे उन्होंने मना कर दिया और इस प्रकार उन्होंने यह सरकार आपको सौंप दी।"

[हिन्दी]

मैं उस पर आता हूं, काम्यूनिके में यह एस्टैबलिश किया है कि कांग्रेस पार्टी ने, यद्यपि वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी,...

[अनुवाद]

उन्होंने सरकार बनाने का अपना दावा भी नहीं किया। उन्होंने अपनी सीमाओं को महसूस किया। मैं इसे उदारता कहूंगा।

[हिन्दी]

मैंने तो यह माना और मैं यह इन्टरप्रिटेशन देने को तैयार था, अन्तुले जी के भाषण से पहले और अन्तुले जी के भाषण के बाद, मैं किसी भी प्रकार से चैरिटेबिल इन्टरप्रिटेशन करने के लिए तैयार नहीं हूं। अन्यथा, मैंने माना कि कांग्रेस पार्टी जो अभी पिछली बार 400 से अधिक सीटें प्राप्त करके 1984 के चुनाव में विजयी हुई थी, जैसी विजय इससे पूर्व किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं मिली। पंडित नेहरू को नहीं मिली और श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं मिली—वैसी विजय प्राप्त करने के बाद और उसके तुरन्त बाद जो चुनाव होता है, जिस चुनाव में सत्तारूढ़ दल जब चुनाव लड़ने जाता है तो...

[अनुवाद]

इस आशा से जाता है कि उसे चुनाव में वैसा ही जनादेश प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

वह कोशिश करता है कि अगर पिछली बार 400 सीटें मिलीं थी, तो इस बार 450 सीटें मिलनी चाहिएं और उसके आधार पर निर्णय करता है कि जनता हमारे राज से प्रसन्न है या अप्रसन्न है, वह हमको स्वीकार करती है या स्वीकार नहीं करती है। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ है, जब आज अन्तुले जी ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि:

[अनुवाद]

"यह सोचना गलत होगा कि भारत के लोगों ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है।"

इस प्रकार के वक्तव्य सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। (**व्यवधान**) अग्रवाल जी, मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

2.08 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अंतुले जी अगर होते तो मैं उनसे बहस करने को तैयार था। शायद उनकी कुछ बातों से मैं सहमत भी होऊंगा, क्योंकि जैसा वे कहते हैं कि यह कोई जनता दल के लिए मैनडेट नहीं है। शायद उन्होंने पढ़ा होगा, जब मैंने पत्र लिखा था जनता दल या नैशनल फ्रन्ट के नेताओं को, मैंने अपने पत्र में कहा था अपने दल का विश्वास देते हुए कि हम समर्थन करगें। उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि यह निर्णय इस बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, वह परिवर्तन के पक्ष में है, लेकिन किसी एक दल के पक्ष में नहीं है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जब वे कहते हैं और इस बात का मुझे विश्वास है कि हमारे सत्तारूढ़ दल वाले लोग भी इंकार नहीं करेंगे। जो असलियत है, उसको हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज के प्रसंग पर अगर वास्तव में चर्चा ही कर ै है तो वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी हो सक्ती है। आज तो बिना चर्चा

के भी राष्ट्रपति के इस आदेश का पालन हो सकता था। लेकिन अगर फिर भी चर्चा ही करनी है तो उसका सचमुच में एक सीमित दायरा है। वह सीमित दायरा यह है कि हिन्दुस्तान की जनता ने 1989 के चुनाव में एक जनादेश दिया है।

[अनुवाद]

नौवें आम चुनाव में जनादेश का स्वरूप क्या है?

[हिन्दी]

यह एक सीमित संदर्भ है। इससे आगे इधर-उधर जाना कम से कम आज की चर्चा के लिए अपरासंगिक है। अंतुले जी ने वैसे कई सारी बातें कहीं। उनहोंने पंजाब का जिक्र किया। उन्होंने गृह मंत्री जी की लड़की के अपहरण का जिक्र किया। उन्होंने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का जिक्र किया और दुनियाभर के सवाल उन्होंने सरकार से पूछे। मैं समझता हूं कि जब हम सोमवार से ले कर के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस करेंगे तो ये सारे के सारे सवाल प्रासंगिक होंगे। उनका उपयुक्त अवसर होगा। इसलिए मैं इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या-क्या किया है, शुरू से ले कर आज तक का पूरा विवरण प्रस्तुत कर सकता हूं। अयोध्या के मामले में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार की नीति अपनायी इसका भी मैं विस्तार से वर्णन कर सकता हूं। कश्मीर में जो आज परिस्थिति पैदा हुई उस परिस्थिति के बारे में आज मान्यवर सदस्य ने सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि राजीव जी ने तो आपको एक सुगठित देश दिया

[अनुवाद]

आज देश बर्बाद हो रहा है।

[हिन्दी]

जिस समय राजीव जी से सरकार संभाली थी उस समय तो बहुत अच्छा स्थिति थी। ये शब्द उन्होंने व्यक्त किए।

[अनुवाद]

आज यदि देश बर्बाद हो रहा है तो यह इस सरकार के दस दिनों अथवा चौदह दिनों के शासन का परिणाम नहीं है। यह पांच वर्षों के शासन का परिणाम है।

[हिन्दी]

पांच साल तक आपने शासन किया, उसके बाद आपके प्रवक्ता कहते हैं कि पांच साल के आपके शासन के बाद जो एक देश था।

[अनुवाद]

आज वह बर्बाद हो रहा है। क्या यह एक बयान है? क्या यह एक स्वीकारोक्ति है? क्या यह अपने आपको दोषी सिद्ध करता है? कम से कम मैं इस सरकार का मूल्यांकन आज नहीं कुछ समय बाद करूंगा।

[हिन्दी]

आज तो उन्होंने सरकार संभाली है। **(व्यवधान)** इसी से आप संतोष कर लीजिये। **(व्यवधान)** लेकिन अध्यक्ष जी मैं हर चीज पर, जो अपनी पार्टी का रवैया है उसका उल्लेख करूंगा।

मान्यवर, पहली बात तो यह साफ होनी चाहिये कि जिस स्थिति में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और उनके नेशनल फ्रंट ने दावा पेश किया कि वे सरकार बनाने की स्थिति में हैं तो उस समय उनके अलावा और कोई दावेदार नहीं था। सिर्फ एक ही दावेदार था। यह प्रसंग तब आता जब दो, तीन या चार दावेदार होते और फिर राष्ट्रपति कहते कि आप बताइये कि आपको किस-किस का समर्थन प्राप्त है। मेरे पास सेंट्रल-स्टेट्स रिलेशंज की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"तथापि जब किसी एक दल ने संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया हो तो मुख्य मंत्री का चुनाव राज्यपाल को अपने विवेकानुसार करना है।"

[हिन्दी]

राष्ट्रपति जी का डिस्क्रिशन था, उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए वे लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुला सकते हैं—

[अनुवाद]

"इस प्रकार की सिथति में राज्यपाल के मत में अब तक जिस दल को विधान सभा में सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

आप उस समय श्री अंतुले की सलाह पर दावा भी करते और राष्ट्रपति जी से जा कर के राजीव गांधी यह कहते कि वे सरकार बनाने को तैयार हैं और सरकार बनाने के बाद वोट आफ कांफिडेंस लाते, जिसको कि श्री अंतुले कहते हैं कि वे दो सौ परसेंट स्योर हैं कि वे यहां पर मेजोरिटी ले आते। यह उनका दावा दो सो परसेंट स्योर मेजोरिटी पर है।

यहां पर जो पार्टियां बैठी हुई हैं उन पार्टियों का जैसा रवैया था और पार्टियों का इन्टरप्रीटेशन था उसके आधार पर इस प्रकार की कल्पना करना एक प्रकार से या तो मिथ्या कल्पना था या फिर उसके संकेत बड़े भयावह हैं, बड़े चिंताजनक हैं।. .**(व्यवधान)**. .मैं एक क्षण के लिए कहता हूं कि अगर श्री राजीव जी इनकी सलाह पर चलकर राष्ट्रपति जी को कहते कि मैं सरकार बनाने की स्थिति में हूं तो मेरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी उनको सरकार बनाने के लिए नहीं कहते। क्योंकि वे कहते हैं कि मेरे पास नैशनल फ्रंट की ओर से भी दावा आया है। आप बताइये कि आपके पास जो 193 लोग हैं इनके अलावा कौन-कौन हैं जिसके आधार पर आप सदन में बहुमत का विश्वास करते हैं। तो आप ए०आई०डी०एम०के० का बता देते, मुस्लिम लीग का बता देते और मामला 210 या 215 तक पहुंचकर अटक जाता। दूसरी तरफ वी० पी० सिंह जी से राष्ट्रपति जी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राष्ट्रपति जी को पूछने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दावेदार रहा नहीं।

[अनुवाद]

सिर्फ वही एक दावेदार थे, उनके सिवा अन्य कोई दावेदार नहीं था।

[हिन्दी]

- लेकिन अगर पूछते तो उसी समय कह सकते थे कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की यह चिट्ठी है, जिसके 86 सदस्य हैं, मेरे पास वामपंथी दलों की ये चिट्ठियां हैं जिनके 52 सदस्य हैं और ये कुल मिलाकर मेरी

नैशनल फ्रंट की मैम्बरशिप और भारतीय जनता पार्टी की मैम्बरशिप तथा लैफ्ट पार्टियों की मैम्बरशिप 280 से ज्यादा हो जाती है, 285-290 हो जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उस समय भी आप ही को कहते कि आप सरकार बनाइये, दावेदार कोई रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप सरकार बना दीजिए, शपथ ग्रहण करवा देते हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं कि आपके समर्थक कौन-कौन हैं। आप 30 दिन के अंदर-अंदर सदन की बैठक बुलाकर विश्वास का प्रस्ताव अपने पक्ष में प्राप्त कर लीजिए। मैं समझता हूं कि यह एक सही प्रेसीडैंड हमारे रारपति जी ने स्थापित किया है। बहुत सही प्रेसीडैंट है। यद्यपि ऐसे लोग हैं, मैंने कुछ लेख पढ़े हैं, जिनमें कहा गया कि इसकी क्या जरूरत थी, यह कहना कि दूसरा दावेदार नहीं, वे कहते कि आप सरकार बनाइये, अगर किसी को अविश्वास का प्रस्ताव लाना होगा तो वह ले आएगा। मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रपति जी ने दिशा अपनायी है, पथ अपनाया है, तरीका अपनाया है वह हमेशा के लिए एक सही परंपरा बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्पमत की सरकार बने और बनने के बाद 6 महीने तक संसद का अधिवेशन न बुलाए। मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं वह है कि आज का यह जो प्रस्ताव इस सदन के नेता और देश के प्रधान मंत्री ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसका कारण राष्ट्रपति जी का निर्देश है। उसका कारण यह नहीं है कि ये इस समय कोई नीतियां हमारे सामने प्रतिपादित कर रहे हैं, उन नीतियों पर बहस करेंगे। जब हम इन बातों पर आयेंगे कि इनहेंने जो नीतियां रतिपादित की हैं वे क्या गलत हैं या सही हैं, मैंने सारा अभिभाषण बड़े ध्यान से पढ़ा है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जो सरकार की नीतियों को प्रतिपादित करता है, जब बहस करने का मौका आएगा और मेरे साथी बोलेंगे तो मुझे विश्वास है कि एक-एक नीति को सही रूप से निरूपित करेंगे और बता सकेंगे कि इस सरकार ने वास्तव में सारे देश के वातावरण को समझ कर और जिस प्रकार की हमारी नयी सरकार बनी है, नयी राजनीति की दिशा है, उसको सही पहचाना है। क्योंकि मुझे चिंता है और मैं पिछले पांच सालों से लगातार बोलता रहा हूं कि आपके सारे प्रश्न—महंगाई का हुआ, भ्रष्टाचार का हुआ, इन दोनों ने आम जनता को प्रभावित किया है निश्चित रूप से, लेकिन जो राजनीति के बारे में विचारशील लोग हैं, चिन्तन करते हैं उनका सबसे बड़ा अगर क्लेश है तो वह यह है कि पिछले पांच सालों में संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है। राष्ट्रपति की संस्था से लेकर ऑडीटरजनरल की संस्था है उसकी चिंता है मुझे और उस दिशा में भी जो सही कदम उठाए जायेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि उस दिशा में जो भी सही कदम उठाये जायेंगे, मैं आशा करता हूं कि केवल मार्क्सवादी पार्टी ही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं जैसे 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी भूल को पहचान करके इमरजेंसी के समय जो 42वां संशोधन स्वीकार किया गया था, हमने सदन में उसको बदलने के लिए कहा तो हमारा साथ दिया वैसे ही आप सारे सही कदमों में सरकार का साथ देंगे। आपको सोचना चाहिए कि जिसके कारण चुनाव से 15 दिन पहले जिस चीज़ को लगातार आपकी पार्टी कहती रही कि रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्तता देना खतरनाक है कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप अपने घोषणा-पत्र में लिख देते हैं कि एक सोमर साल्ट करके कि कांग्रेस पार्टी भी रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के पक्ष में है। फिर एक मंत्री कहता है कि हमने फंक्शनल एटोनोमी की बात कही है। मैं जाकर देखने लगता कि इसमें कहीं कोई फंक्शनल एटोनमी की बात है, वह कहां है। वहां कोई फंक्शनल एटोनमी नहीं थी। वहां तो एटोनोमस कार्पोरेशन की बात थी। जनमत का जो निर्णय है आप उसके सामने झुकने को तैयार हैं। आपको दिखाई देता है कि यह हमारे हाथ में भविष्य में नहीं रहेगा तो कम से कम इस सरकार के हाथ में भी न रहे। स्वायत्त हो जाये तो अच्छा हो। मैं इन चीजों का उल्लेख इसलिए करता हूं कि मैं मानता हूं कि इस मामले में केवल शब्दों द्वारा कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की बात करना पर्याप्त नहीं है। रचनात्मक विरोध करेंगे, केवल शब्दों में ही यह पर्याप्त नहीं है। क्रिटिकल सपोर्ट करना चाहिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप विरोध कर रहे हैं। मैं जब क्रिटिकल सपोर्ट कर रहा हूं उसमें क्रिटिकल शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है। उसका कारण मैं यह भी मानता हूं किं जो सरकारी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं वे भी अपनी सरकार का सपोर्ट करते हुए क्रिटिकल सपोर्ट करें ताकि पार्टी में यह परंपरा रहे। आपकी पार्टी से यह परंपरा निकल गई। एक समय था, जब आपकी पार्टी में भी ऐसा होता था। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि चूंकि यहां पर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टी एक साथ आई हैं।

[अनुवाद]

इस प्रकार यह एक विलक्षण आकृति बन गयी है जिसके दो सिर और तीन पैर हैं।

[हिन्दी]

यह जो चिंता है, यह वादा है कि अगर आप एप्लाई करें। **(व्यवधान)**

आपने कहा मैंने नहीं कहा यह जो शब्द है वह मेरे दिमाग में हिटलर की प्रतिध्वनि होती है, वह कहता था कि डेमोक्रेसी क्या है इसमें इतने सारे लोग राज करते हैं।

[अनुवाद]

यह एक ऐसी आकृति है जिसके अनेक मुख हैं।

[हिन्दी]

इसीलिए शायद मुझे उनके शब्दों में हिटलर की प्रतिध्वनि दिखाई दी। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो पहली-पहली सरकार थी, हिन्दुस्तान की जो पहली सरकार पण्डित नेहरू ने बनाई थी उस पण्डित नेहरू की सरकार में ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जैसे डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर जो जिन्दगी भर कांग्रेस पार्टी के कटु आलोचक रहे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगा कि अगर मैंने डा॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को या डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर को अपनी सरकार में मिला दिया तो वे टू हैडेड मल्टी हैडेड हो जायेंगे। मतभेद रखते हुए भी अगर कोई सरकार आज से 6 महीने बाद, एक साल के बाद आपको लगे कि इस सरकार की दिशा नहीं है तो आलोचना करिये। मुझे लगे कि सरकार की दिशा नहीं है तो मैं आलोचना करूंगा, फिक्र मत करिये। मैंने जैसा आपको कहा कि इस प्रकार की स्थिति में आलोचना की अपेक्षा इस सरकारी पार्टी से भी होगी, आपके दल ने तो आंख बन्द कर दी थी, आपके यहां बन्द हो गई थी, गलत परम्परा थी...

[अनुवाद]

आप मुझे पथभ्रष्ट करने की कोशिश न करें। मैं अपने सीमित लक्ष्य पर अडिग हूं। आज का यह जो जनादेश है उस जनादेश के सही स्वरूप को पहचानेंगे तो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यद्यपि यह किसी एक दल के पक्ष में दिया गया सुस्पष्ट जनादेश नहीं हो सकता है, यह कांग्रेस दल के विरुद्ध तथा एक परिवर्तन के पक्ष में दिया गया स्पष्ट जनादेश है।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का अफसोस है कि एक गलती और वह अकेले अंतुले जी ने नहीं की है हिन्दुस्तान के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने की है, वे पूरी देर इस बात को, इस जनादेश को उत्तर और दक्षिण के टर्म्स में सोचते हैं। यह मैंने कहा कि गलती अकेले अंतुले जी ने की है, अंतुले जी को यह कहना सूट करता है, इसीलिए वह कह रहे हैं। नहीं तो मैं भी कह सकता था कि आज से 4 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि इसका क्या कारण है कि उनका राज्य चाहे उत्तर के सभी प्रदेशों में है, दक्षिण के 4 प्रदेशों ने इनको रिजैक्ट कर दिया, मैं कह सकता हूं , लेकिन मैं कभी भी इसको उत्तर और दक्षिण की डायकाटोमी के रूप में सोचता नहीं हूं और आज भी मेरी धारणा यह है कि जिस प्रकार से परिवर्तन की इच्छा सारे देश में थी

और वह परिवर्तन की इच्छा कुल मिलाकर के जो जनादेश लोक सभा के चुनावों में से मिला है वह प्रकट हुआ है। लेकिन जहां-जहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं वहां पर एंटी एस्टाब्लिशमेंट का जो फैक्टर था उस ने, उस परिवर्तन की इच्छा को या तो म्यूट किया है या चेंज कर दिया, या तो उसको हलका कर दिया या बिलकुल ही रद्द कर दिया, नकार दिया। तेलुगु देशम की सरकार आंध्र प्रदेश में थी, मार्क्सवादियों की सरकार केरल में थी और डी॰एम॰के॰ की सरकार तमिलनाडु में है और उसके कारण और भी होंगे, लेकिन उस समय वहां पर एंटी एस्टाब्लिशमेंट फैक्टर था, उसी प्रकार से कर्नाटक में कुछ समय पहले तक जनता पार्टी की सरकार थी और इसी कारण शायद बाकी प्रदेशों में जैसे उत्तर भारत के प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्यप्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां पर जैसे परिणाम आए, उतने अच्छे परिणाम हरियाणा में नहीं आए, यह एक सही बात है। जिस सही बात को जानकर के हमको उत्तर-दक्षिण के टर्म्स में सोचना जरा कम करना चाहिए। पूरी देर अगर हम यह समझते हैं कि उत्तर भारत में यह है और दक्षिण भारत में यह है, तो हम कोई राष्ट्रीय राजनीति को सही दिशा नहीं देते हैं। इस बात को समझकर, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि पिछले 5 सालों में मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया भर में किसी लोकतंत्र में कोई राजनेता इतने थोड़े समय में जनता की नजर में इतना ऊंचा उठा हो और इतने थोड़े समय में जनता की नजर में इतना नीचा गिरा हो जितने कि हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता। उसके कारण कोई आत्मालोचन होना चाहिए , कुछ आत्मचिन्तन होना चाहिए बजाय इसके कि यह तो हमारे खिलाफ है ही नहीं।

[अनुवाद]

श्री जी॰ देवरिया नायक (कनारा): वे भूल गये हैं कि कांग्रेस दल संसद में सबसे बड़ी पार्टी है।

[हिन्दी]

मैं यह नहीं भूला हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसीलिए मैं तो यह समझता था कि आप और कुछ नहीं, तो कम से कम यह दावा जाकर जरूर करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है हमको पहले आप सरकार बनाने दीजिए , लेकिन जिस समय आपने यह दावा नहीं किया, तो मैंने मन में यह सोचा कि आप भी इस जनादेश को सही रूप में जानते हैं कि यह परिवर्तन का जनादेश है और इसीलिए चूंकि आपके खिलाफ जनादेश है, इसीलिए आपने कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं।

अंतुले जी ने सही स्मरण दिलाया — 1979 में चव्हाण साहब ने जब एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जिस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले मोरारजी भाई ने त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उसमें राष्ट्रपति ने यह नहीं देखा था कि चव्हाण साहब की पार्टी के कुल मिलाकर 55 या 60 लोग हैं, मुझे ध्यान नहीं कि कितनी संख्या थी, वह कोई लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं थी, उस समय भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो थी वह मोरारजी भाई की पार्टी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसको स्वीकार करने से पहले या अस्वीकार करने से पहले कैबिनेट ने त्यागपत्र दे दिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रिटेन की परम्परा के अनुसार स्थिति में चाहे वह छोटी पार्टी हो, उसको अवसर दिया जाता है कि आप बताओ कि आप सरकार बना सकते हो या नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं बना सकता, चरणसिंह जी बना सकते हैं तो फिर उसी समय चरणसिंह जी के साथ जगजीवन राम जी ने भी दावा किया और फिर राष्ट्रपति जी द्वारा पूछा गया कि आपका समर्थन कौन करता है, आपका समर्थन कौन करता है और इसलिए साधारणतया आज की परिस्थिति में भी राष्ट्रपति यह निर्णय करते कि यह जनादेश क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है तो यद्यपि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बहुमत प्राप्त है तो भी मैं नम्बर दो पार्टी को बुलाता हूं तो उस पर कोई आपत्ति नहीं कर

सकता था। आपने जब कह दिया कि हम दावा ही नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए सहज हो गया और उन्होंने आकर कहा कि आप सरकार बनाइए , आपको मैं शपथ दिलाता हूं और उसके बाद आप तीस दिन के अन्दर-अन्दर यह दिखाइए कि आपको बहुमत प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी की अन्तिम बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि कम से कम विरोध करने का उन्होंने निर्णय नहीं किया और उन्होंने तय किया कि हम इस मामले में ऐबस्टेन करेंगे। यह स्वंय भी एक प्रकार से स्वीकृति है कि सरकार को बहुमत प्राप्त है। यह बहुत अच्छी बात है और यह एक रकार से सरकार पर दायित्व डालती है कि हिन्दुस्तान राजनीति जो विगत कुछ वर्षों से एक कनफ्रनटेशनिस्ट राजनीति हो गई है, परस्पर विरोधी राजनीति हो गई है, मैं निवेदन करूंगा कि कनसैंसस का जिक्र किया था हमारे अन्तुले जी ने और परसों दो-तीन दिन पहले जब पंजाब के बारे में प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, उसमें कनसैंसस का जिक्र किया था। मैं कहना चाहूंगा कि इतने सालों में मैंने अनेक सर्वदलीय बैठकों में भाग लिया जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुलाई या अभी पिछले दिनों में श्री राजीव गांधी ने बुलाई, उसमें किसी एक अवसर पर भी हमको ड्राफ्ट पहले नहीं दिया जाता था और सभी अवसरों पर हम बैठते थे, चर्चा करते थे। उस चर्चा में एक ड्राफ्ट बनता था और उस ड्राफ्ट पर किसी को कुछ आपत्ति होती थी तो वह आपत्ति प्रस्तुत करते थे, उनके अनुसार संशोधन किया जाता था और अन्तिम रूप में एक कनसैंसस प्रस्ताव निकलकर आता था। यह पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी जिसने यह दावा किया कि हम तो कनस्ट्रकटिव आपोजीशन का रोल प्ले करेंगे, एक रचनात्मक विरोधी दल का रोल प्ले करेंगे, उसने पहली बार और वह भी पंजाब की परिस्थिति के बारे में आकर कहा कि हमको नहीं करना है क्योंकि आपने हमको प्रस्ताव पहले नहीं दिखाया। रात को हमको दो बजे भेजा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तो सुबह नौ बजे देखा और नौ बजे देखकर भी मैंने जो टिप्पणी करनी थी, कर दी। यहां पर भी अगर इस प्रकार का सहयोग का रवैया होगा तो उसको मैं कनस्ट्रकटिव आपोजीशन नहीं कह सकता। मुझे तो इस बात का भी रंज है कि आज अन्तुले जी के इस प्रथम भाषण में हमारी तरफ से टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी और उनको पूरा अवसर देना चाहिए था अपनी बात कहने का और मैं चाहूंगा कि इसके आगे भी सदन की कार्यवाही उसी प्रकार से चलनी चाहिए जिस प्रकार से संसद की कार्यवाही होनी चाहिए और वैसे ही संतुलन के साथ और एक-दूसरे के तर्क सुनने के बाद और विपक्ष को सुनने के बाद चलनी चाहिए। लेकिन यह बात भी समझिए कि अगर आप ऐसी हल्की टीका-टिप्पणी करेंगे, इधर की उधर और टू हैंडेड एण्ड थ्री लैग्ड ऐसी बात करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होनी है और खासकर

[अनुवाद]

जिन लोगों के मकान खुद शीशों के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।

[हिन्दी]

इतना मैं जरूर कहूंगा और इस बात की सावधानी बरतते हुए मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि केवल ऐबस्टेन न करें, अच्छा होगा कि एक नई परम्परा का आरम्भ करें। नई सरकार बनी है, हम भी आपके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं क्योंकि हमने कोई दावा नहीं किया है। आप काम चलाइए , अच्छा काम करके दिखाइए। उसके बाद छः महीने बाद, आठ महीने बाद, एक साल बाद हम निर्णय करेंगे कि आपके प्रति हम अविश्वास का प्रस्ताव रखे या आपके प्रति फिर से विश्वास प्रकट करें। मैं आपसे अपील करते हुए इस प्रस्ताव का जो सदन के नेता प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

2.35 म० प०

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण-[जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें, जिन्होंने शपथ नहीं की है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा (लुधियाना)
श्री राजदेव सिंह (संगरूर)
श्री सुच्चा सिंह (भटिंडा)
श्री जगदेव सिंह (फरीदकोट)

2.41 म० प०

मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव -[जारी]

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, अब तक इस लोक सभा के इतिहास में विश्वास का प्रस्ताव कभी पेश नहीं हुआ था, अविश्वास का प्रस्ताव पेश होता था और हम लोग तब विरोधी पार्टी में रहते थे, उसके पक्ष में बोलते थे और मुझे आज खुशी है कि विश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में भी बोलना पड़ रहा है। यह सही है कि माननीय आडवाणी साहब ने जैसा बताया कि महामहिम राष्ट्रपति का आदेश था कि आपको सदन का विश्वास हासिल करना पड़ेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नाम लेकिन यह भी सही है कि यह बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि सदन में कोई सरकार चलाने वाला नेता खुलेआम आकर कह दे कि मैं खुद विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करता हूं। बहुत नेता रहे हैं, कई बार बड़े-बड़े नामधारी नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व पर कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे हैं लेकिन अपनी तरफ से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कभी भी सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद दूंगा, इस सदन के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को अपनी तरफ से थोड़ा अफसोस जाहिर करूंगा, अन्तुले साहब, हमारे साथियों ने आपके नाम पर हल्ला मचाया है....**(व्यवधान)** हमारे कुछ मित्रों ने आपके नाम पर, आपकी शाल को देखकर हल्ला मचाया। हम सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दामन पर कभी दाग न लगे, यदि कोई बात रहती है, तभी हल्ला मचा करता है। आप जो गुस्सा कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, जो कुछ नये सदस्य आये हैं, उनके ऊपर। आप खुद सोचिएगा, कितनी इन्क्वायरीज, कितने मैटल डिटैक्टर थे। हर सदस्य जो यहां आ जाता है, वह माननीय सदस्य हो जाता है और उसका सम्मान बराबर का होना चाहिए लेकिन यहां उसके इतिहास पर बहस करती थी और बहस होगी।

यह चुनाव कुल मिलाकर, यह सही है कि वह गिनती बता रहे हैं कि हम बहुमत में हैं। जनतन्त्र, सही है कि गिनती का खेल है लेकिन जनता अपना मत दिया करती है तो उसका जज्बा भी उसमें जुड़ा रहता है, केवल गिनती नहीं। जनतन्त्र आम जनता के जज्बे का खेल भी है और अगर वह जज्बा भी नहीं होता तो आप इधर से उधर नहीं चले गये होते। मुझे आपके ऊपर और आपके महान नेता के ऊपर दया आती है और मैं सच कहूं, जब चिड़िया शिकार से घायल होकर छटपटाने लगती है, आपकी आवाज केवल वही छटपटाहट की आवाज थी, उस पर दया करने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अपनी तरफ से जानबूझकर कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। महज दया का इस्तेमाल करूंगा। केवल यह गिनती का खेल नहीं, जज्बे का खेल होता

है, आप इसको ज़रूर नोट किये रहियेगा। यह सही है कि आप दो सौ के करीब पहुंचे हैं लेकिन कैसे-कैसे? अब तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं, पहले, किसी प्रधान मंत्री के क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग के नाम पर पोलिंग नहीं हुआ......

श्री कल्पनाथ राय (घोसी): चौधरी चरण सिंह के नाम पर हुआ। **(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र: एक विधायक की हैसियत का नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस पार्टी के जमाने में मंत्री था। बहुत बड़े नेता राजीव गांधी जी के बहुत नजदीक, उनको चुनाव जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान और उसको खुलेआम गोली से मारा गया। उसके पेट के घाव आज भी ठीक नहीं हुए हैं। कम से कम प्रधान मंत्री को तो जनतंत्र की हिफाजत करनी चाहिए, जो प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। उसको प्रधान मंत्री रहते हुए, सूबे की सरकार उसकी, कप्तान कलैक्टर की मौजूदगी में गोलाबारी की घटनायें हों और उसके बाद दो सौ के नम्बर पर हमको घमण्ड दिखा रहे हैं। दौ सौ का नम्बर अगर कल चुनाव हो तो 25 का रह जाएगा।....**(व्यवधान)**....इसलिए मैंने आपके इस नम्बर के घमण्ड पर इशारा किया।.....**(व्यवधान)**.... आपके मन में कई घाव हैं। माननीय नेता सदन में डा॰ लोहिया का नाम लिए, जयप्रकाश जी का नाम लिए, लेकिन जवाहर लाल नेहरू का नाम नहीं लिए, महात्मा गांधी का नाम नहीं लिए और आप हिचकिचा रहे थे कहने में इंदिरा जी के नाम के लिए कि उनका नाम क्यों नहीं लिए। आपको हिम्मत नहीं पड़ी, जिनको आप बहुत नेता मानते थे, उनका नाम नहीं ले पा रहे थे, इंदिरा जी का। हम करें तो क्या करें। आपने नेता सदन पर आरोप लगाया या हम विरोधियों पर, हम विरोधी रहे हैं और शुरू से रहे हैं और कांग्रेस के विरोधी हैं तथा रहेंगे। आप कहते हैं कि हम लोगों ने नेता आयात किया। यह प्रश्न चुनाव के समय हम लोगों से जनता ने भी पूछा था कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तुम्हारा नेता बन गया, क्यों नहीं तुम लोगों के बीच से बना? हमने यह कहा था, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारा नेता नहीं हैं ये चोर की चोरी पकड़वाने में अगुवाई कर रहे थे, इसलिए...**(व्यवधान)**... इसलिए वे हमारे नेता हैं। हम नेता कबूल करते हैं कल को दिनेश सिंह जी को, ब्रह्मदत्त जी को, कल्पनाथ राय जी को और डा॰ राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को, अगर ये लोग भी चोर की चोरी पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे, तो हम उनको नेता मानेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री कल्पनाथ राय: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।....**(व्यवधान)**....आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव....**(व्यवधान)**..... मैं तो बोलूंगा ....**(व्यवधान)**..... रोक लगा दीजिए.... **(व्यवधान)**.... ये हल्ला करेंगे तो हम क्या बोलेंगे।... **(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय: आप मुझ से बोलिए।

श्री कल्पनाथ राय: मैं आप से बोल रहा हूं। ये हल्ला करेंगे तो ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैं उनका प्वाइंट आफ आर्डर सुन लूं।

...**(व्यवधान)**...

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: कोई रूल है, कोई प्वाइंट आफ आर्डर है। हाउस का कोई रूल है। आप बैठ जाइए। नो प्वाइंट आफ आर्डर। किस रूल को तोड़ा गया है?

....**व्यवधान**....

श्री कल्पनाथ राय: जिस रुल के अन्तर्गत वे बोल रहे हैं। जनेश्वर जी का सम्मान करते हुए, मैं उनसे कह रहा हूं कि आदरमीय जनेशवर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव...

अध्यक्ष महोदय: कल्पनाथ राय जी, आप कोई माननीय मुख्यमंत्री को इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं ला सकते हैं। क्या ज़रूरत है। कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

.....**व्यवधान**.....

श्री कल्पनाथ राय: आप क्या बात करते हैं? अगर आप इस तरह से अपमानजनक बात करेंगे तो मैं भी उनका उत्तर दे सकता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये। आपका अगर कोई प्वाएंट आफ आर्डर हो तो मुझे बताइये। मैंने आपको इजाजत दी है। और कोई नहीं बोलेगा।

श्री कल्पनाथ राय: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जनेश्वर मिश्र श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दहिया ट्रस्ट के भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे....

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये। इसमें कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है। श्री जनेश्वर मिश्र।

श्री जनेश्वर मिश्र: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अभी व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे थे। वे हम लोगों की बात भी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। अभी हम बहुमत के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब इस सदन के नेता हैं वे पहले वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। जब वे उन पदों से हटे तो उसके बाद देश के सारे अखबारों में यह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था। उसके बाद सी०ए०जी० ने भी उसकी चर्चा की थी। बाद में श्री अमिताभ बच्चन जो माननीय श्री राजीव गांधी के बगलगीर थी। **(व्यवधान)** उन पर भी आरोप थे। भ्रष्टाचार का यह गंभीर मामला था। उस समय के जो अध्यक्ष थे, आप तो नये-नये अध्यक्ष चुने गये हैं। उस समय के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी कुट्टी के कमीशन का आरोप था। उस समय हम लोग गांवों में यह सोचा करते थे कि यह सब क्या हो रहा है। इस देश में जनतंत्र कैसे चलेगा। जिस देश की विधायिका के अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हों, न्यायपालिका पर और कार्य-पालिका पर आरोप लग रहे हों। इस प्रकार के आरोपों को सुन कर इस देश की जनता, दफ्तरों में काम करने वाले लोग सभी बौखला गये थे। अगर आप लोग उस समय देश को ठीक ढंग से चलाये होते तो आज आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। आज आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। **(व्यवधान)** आज आप यह भी कहते हैं कि हम सरकार बना सकते थे और बना कर के चला सकते थे। जनवरी के चुनाव के बाद पता चल जायेगा कि आप कितने हैं। सभी इधर चले आयेंगे। हम जानते हैं कि सरकारी पार्टी में रहने के बाद मौज लेने के बाद आप वहां नहीं रह पायेंगे ज्यादा दिन तक। हम जानते हैं कि आपके कितने मेम्बर होंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर सवाल उठाया गया, माननीय अंतुले साहब ने इशारा किया। उन्होंने यह कहा कि माननीय प्रधान मंत्री की बगल में दायें बाजू और बायें बाजू है और ये दोनों बाजू साथ नहीं चल

सकते। यह सच है कांग्रेस की संस्कृति रही है कि अब तक देश को दायें बाजू और बायें बाजू के नाम पर लड़ाते रहो और राज करो। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा ने दायें बाजू और बायें बाजू को मिलाकर कहा कि शरीर पूरा नहीं चलता जब तक सारे अंग साथ न हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के संसदीय उप चुनाव में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह खड़े थे तो हमको एक कांग्रेसी ने कहा कि यह कैसे चलेगा कि आडवाणी जी, वाजपेयी जी और दूसरी तरफ शाहबुद्दीन साहब मिलकर वी॰पी॰ सिंह के पक्ष में बोलेंगे। तब हमने कहा था...

श्री आर॰एन॰ राकेश: हाजी मस्तान भी वहां था..

श्री जनेश्वर मिश्र: यह अंतुले साहब से पूछिये कि हाजी मस्तान कहां है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं और आप खड़े हो जाते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: तो हमने यह कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की कलाकारी है और जनता दल की कलाकारी है और विपक्ष की कलाकारी है कि वाजपेयी जी और शाहबुद्दीन साहब एक मंच पर आकर बैठेंगे। इन्होंने कई आरोप लगाये हैं अध्यक्ष महोदय। एक आरोप लगाया है कि माननीय गृहमंत्री की पुत्री का अपहरण हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है कि...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक): आप हिन्दू और मुसलमान को पाट कर राज करेंगे... **(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र: जिन दिनों पंजाब वाला मामला बहुत गर्म हो गया था तो इनके नेता ने अपने बच्चों का नाम सेंट कोलम्बस से कटवाकर घर में बिठा लिया और अपनी कोट के नीचे लोहे की कमीज यानि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर चलते थे। यह जब गाड़ियों पर चलते थे तो इनके आगे-पीछे 20-25 गाड़ियां रखवाली के लिए चला करती थीं। अभी इनके एक भूतपूर्व मंत्री का बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि यूं तो हमारी दिल्ली में तीन कोठियां हैं, लेकिन पुरानी वाली कोठी मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमारी अपनी कोठियां ठीक नहीं हैं। कितने दिन रखोगे यह कोठी, सुरक्षा के लिए आचरण की जरूरत पड़ती है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुबारकबाद दूंगा कि जिस अमृतसर में इनके नेता की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अपने बच्चों को डर के कारण घर पर बिठा लिया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उस अमृतसर में खुली गाड़ी में निकलकर गये। चरित्र में खुलापन लाना पड़ेगा। अगर जिन्दगी को बचाने की कोशिश करोगे तो मारने वाले बहुत से निकल आयेंगे... **(व्यवधान)** गृह मंत्री के बारे में और उनकी बेटी के बारे में इन्होंने कहा। जैसा अंतुले साहब ने कहा है कि यह प्रशासन चल ही नहीं सकता। हमको याद है कि संजय सिंह अस्पताल में थे, उस समय भारत के प्रधान मंत्री उनको देखने के लिए जाना चाहते थे। चार-पांच सौ लोगों ने संजय सिंह के अस्पताल को घेरा हुआ था। हमारे देश के प्रधान मंत्री एक मरीज को देखने नहीं जा सके, डर रहे थे अपने चहेते को देखने के लिए। अब सदा वह कानून और व्यवस्था नहीं चला करती। रह गई बात हमारी बेटी के अपहरण होने की, कांग्रेस के राज में जनता की बेटियों का अपहरण होता था। अब जनता दल और राष्ट्रीय मार्चा की सरकार को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आम जनता की बेटियों के बदले हमारी बेटी अपहरण हो गई। जिस किसी दिन सरकार चलाने वाले लोगों... **(व्यवधान)** ऐसा मत मानकर चलना कि नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा निकलेगा बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और मुसलमान भाई और भा॰ज॰पा॰ के लोग हमारी मदद में हैं, तो बहस के जरिए से रास्ता निकलेगा, तलवार या तोप के जरिए यह रास्ता नहीं निकलेगा। यह बात हम लोग आपको बता देना चाहते हैं।

3.00 म॰प॰

महोदय, यहां पर इस समय आरक्षण के ऊपर सवाल उठाया गया था मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से बात चल रही है। आपके नेता तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं और उस समय गांधी जी ने इसके लिए हड़ताल की थी, पूना में पैक्ट हुआ था। तब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे। पिछड़े समाज में, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं उनका अपना एक दर्द होता है, उनकी अपनी एक टीस होती है। यह कोढ़ की बीमारी है, शरीर में जैसे और बीमारियां होती हैं, उसी तरह यह भी है। जैसे पूंजीवाद की बीमारी है, वह शरीर की खुजली की बीमारी की तरह है। कोई भी रईस इस देश में 4-5 पुस्तों से बड़ा नहीं है। बिड़ला, टाटा, जो बड़े नाम हैं, ये 5 पुस्तों से ज्यादा के नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और हरिजन, ये शब्द तो सालों से हैं। यह कोढ़ की बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में, पं॰ मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कुछ फार्मूले बने थे और उसके बाद जब हिन्दुस्तान का संविधान बना था तो हरिजनों को विशेष अवसर देने के लिए चुनाव में उनके लिए कुछ सीटें निश्चित की गई थीं। ...**(व्यवधान)**

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरिजन को कोढ़ की बीमारी कहा है, जो गलत है।

श्री आर॰ एन॰ राकेशः अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदयः हां, कहिए।

श्री आर॰ एन॰ राकेशः अध्यक्ष महोदय, "हरिजन" शब्द संविधान में नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शब्द हैं, हरिजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः नो पाइंट आफ आर्डर। आप बैठ जाइए।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मेरा आब्जैक्शन यह है कि इन्होंने कहा है कि हरिजन और बनिया इस देश के लिए कोढ़ की बीमारी हैं ये शब्द इन्हें वापस लेने चाहिए। ये इनको वापस लें।

अध्यक्ष महोदयः नो पाइंट आफ आर्डर। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जनेश्वर मिश्रः मनु वाला संविधान खड़ी लाइन वाला हो गया और अम्बेडकर का संविधान पड़ी लाइन वाला हो गया। खड़ी लाइन का मतलब है कि वहां छोटा-बड़ा होता है और पड़ी लाइन का मतलब है कि सब एक समान हैं। यानि मनु के अनुसार एक ऊंचा और एक नीचा होता है और अम्बेडकर के अनुसार सब समान हैं। जो हिन्दुस्तान का संविधान बना वह बड़ी लाइन वाला संविधान बन गया और मनु का संविधान जो था वह नकार दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। तो यह तय था कि पड़ी लाइन में पूरे समाज को बदलना है। तो यह कांग्रेस, राष्ट्रीय मोर्चा या जनता दल का सवाल नहीं रहा है। यह तो समाज के परिवर्तन का सवाल है। इस पर गांधी जी लड़ाई लड़ चुके हैं और न जाने कितने नेता—लोहिया जी, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर और न जाने कितने बड़े-बड़े नेता इस सवाल पर लड़ाई लड़ चुके हैं। इसलिए केवल सदन और राजनीतिक परिधि के दायरे से बाहर सोचना पड़ेगा। हम तो यहां बहस कर लेंगे, लेकिन गांव में इस समय जो बहस हो रही है, जिस तरह का तनावपूर्ण वातावरण इस सदन का है, अगर इसकी परछाई वहां पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। इस लड़ाई को थोड़े बड़े दायरे में सोचने की कोशिश कीजिए। जब कभी-कभी खड़ी लाइन को पड़ी लाइन में बदलने लगेंगे, जो नीचे हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाने लगेंगे तो वही विशेष अवसर का सिद्धांत आ जाएगा वहां पर टकराव होगा ही। यह जाति निहित स्वार्थ बन गया है। अध्यक्ष महोदय, कई बार लोग कह दिया करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया, तो क्यों न यह फार्मूला बना दिया जाए कि चाहे वह

हरिजन का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, एक घर का लड़का अगर कलक्टर बन गया तो दूसरा भी बन सकता है। कई बार लोग कह दिया करते हैं कि एक घर का लड़का अगर कलक्टर बन गया तो उसके परिवार का कोई न बने। लेकिन इस बात के लिए हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह आर्थिक रोग नहीं है। कई तरह की बीमारियां हैं जिनको दूर करने के लिए इलाज ढूंढा जाएगा तो टकराव कहीं न कहीं जरूर होगा। किसी को बड़े पैमाने पर आमदनी करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है और किसी को केवल एक रुपये रोज पर जीवन बसर करने के लिए इजाजत लेनी है। जो सामाजिक सवाल है, समाज के पिछड़े, पिटे हैं, उनकी विशेष सुविधा के लिए आपको कहीं न कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा और यह रास्ता बहुत साल के बाद निकला है। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में आरक्षण होता है तो आंदोलन नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में अहीर का बेटा मुख्य मंत्री हो जाता है तो आंदोलन छिड़ जाया करता है, बिहार में एक नाई का बेटा होता है तो आरक्षण के सवाल पर गरमी आ जाती है। यह हम लोग जानते हैं कि क्यों होता है। हम यह भी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार में आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के युवा शाखा के लड़के विदेशों में जाकर दारू पिया करते हैं, शराब पीकर युवा शाखा के लड़कों ने हमारे साथ बदसलूकी की। यह जो आंदोलन इस समय... **(व्यवधान)** इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सदन से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को एकमत से पास करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाये गये प्रस्ताव का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं और अपने दल की ओर से इस सभा में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनाई गयी सरकार का हम बिना किसी शर्त के समर्थन करते हैं। जिसकी सूचना हमने राष्ट्रपति जी को भी दी थी।

महोदय, पिछले चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जनता ने परिवर्तन लाने के लिये मतदान किया है और पिछली सरकार के विरुद्ध उन्होंने सुस्पष्ट जनादेश दिया है। एक भ्रष्ट तथा अत्याचारी सरकार के चंगुल से अपने आप को मुक्त करने का निर्णय लेने के लिये हम इस देश की जनता को बधाई देते हैं।

महोदय, मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दूं। हम समझते हैं कि विगत चुनावों में कांग्रेस दल की हार इस देश की आम जनता की एक महान उपलब्धि है। उस सरकार की अनेक जनता विरोधी नीतियों और भ्रष्ट प्रशासन जिससे कि वे इस देश को चला रहे थे, के कारण यहां की जनता घोर विपत्ति में थी।

हमें इस बात से बेहद खुशी और संतोष है कि जनता की इच्छा द्वारा राजीव गांधी की सत्ता समाप्त कर दी गयी है और केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार स्थापित की गयी है। विगत चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इस बारे में गंभीर खबरें मिली हैं— न केवल खबरें बल्कि यह प्रमाणित हो गया है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में अनेक ऐसे मतदान केन्द्र थे जिन्हें आवश्यक रूप से कब्जे में लिया गया था और मैं समझता हूं कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को हटाये जाने और उस क्षेत्र के जिलादंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को हटाये जाने में पहली बार चुनाव आयोग इस बात से सन्तुष्ट हुआ कि ये अधिकारीगण इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री की ओर से मतदान केन्द्र पर जबरन कब्जा करने में शामिल थे। इस घटना पर जरा भी अफसोस प्रकट नहीं किया गया। कांग्रेस दल द्वारा भारी मात्रा में मतदान केन्द्र पर कब्जा करनें तथा हिंसा और आतंक का प्रयोग करने के बावजूद वे इस देश के लोगों का मत अपने पक्ष में हासिल करने में असफल रहे। इससे तत्कालीन सरकार के प्रति लोगों का क्षोभ और

घृणा प्रकट होती है। आज लोग एक भ्रष्ट और निकम्मे सरकार से परित्राण पाने का जश्न मना रहे हैं। इस देश के लोग कुछ समय से राजीव गांधी की सरकार को हटाये जाने के लिये संघर्ष करते रहे हैं।

3.13 म० प०

[श्री निर्मल चटर्जी पीठासीन हुए]

और आपको याद होगा कि तत्कालीन विपक्षी दलों द्वारा 30 अगस्त के भारत बंद के आह्वान पर लोगों की जर्बदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। उस दिन इतिहास रचा गया था और यह स्पष्ट इशारा था कि लोग राजीव सरकार के विरुद्ध थे। भ्रष्टाचार सत्ता की लोलुपता, साम्प्रदायिक भेदभाव और कट्टरता की भावना के कारण सरकार भ्रष्टाचार का दूसरा रूप बन गयी थी। वह सरकार बड़े अनौपचारिक तरीके से इतिहास के गर्त में समा चुकी है। और हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के दिये गये जनादेश के विरुद्ध जाता हो।

पिछली सरकार द्वारा जो खराब व्यवस्था छोड़ी गयी है उसे दूर करने के लिए वर्तमान सरकार को कई कार्य करने होंगे। और वर्तमान सरकार को अपने घोषणा-पत्र को लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यही शर्त हमने रखी है।

हमने राजीव जी के नये भक्त का सुबह भाषण सुना। इससे मुझे 8 दिसम्बर, 1984 में समाचार पत्रों में छपी एक टिप्पणी का स्मरण हो आया जिसमें कहा गया था "क्या श्री अंतुले वफादार हो सकते हैं जबकि कांग्रेस (आई) संसदीय बोर्ड द्वारा चुनाव का टिकट न दिए जानेके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।"

यह वक्तव्य श्री राजीव गांधी का है। स्वभाविकतः जब उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया तब उन्होंने अपनी पोर्टी का गठन कर लिया और उन्होंने अपने वर्तमान नेता की आलोचना की थी और उन पर दोषारोपण किया था।

फिर भी वर्तमान स्थिति में उन्होंने उन्हें ही दुबारा अपना नेता चुन लिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। अपने लंबे भाषण में उन्होंने बहुत सी बातों का हवाला दिया लेकिन अपने एक घंटे के भाषण में उन्होंने एक बार भी भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग नहीं किया और यह बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेसी आत्मविश्लेषण में विश्वास नहीं रखते। इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया कि जिस पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला था जिसे बड़े घृणास्पद तरीके से सदन में हमें बार-बार याद कराया जाता है उसकी संख्या घटकर पांच साल में 191 या 192 कैसे रह गयी।... **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल): मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या स्थिति है...?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है **(व्यवधान)** मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है।

महोदय, वर्तमान सरकार की तुलना ऐसे राक्षस से की गई है जिसके दो सिर और तीन पांव है। लेकिन मैं एक सिर वाले असमंजस्य व्यक्ति जिसके दो टेढीमेढी टांगें हों और 191 सदस्यों की लंबी पूंछ हो। से उस दो सिर वाले या तीन टांगों वाले राक्षस को ज्यादा पसंद करूंगा।

आज सदन में प्रस्तुत किये गये अद्वितीय प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। हमने इस राष्ट्र में ऐसे कई मौकों को देखा है जब उनके पसंदीदा राज्यपालों ने राज्य भवनों के अंदर सदस्यों की गिनती की

है। लेकिन मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सही रवैया अपनाया और वर्तमान सरकार को बिना सदस्यों की गिनती करे निर्देश दिया कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध करें।

श्री अन्तुले ने कहा कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह कहने से पहले उन्हें इस चर्चा की समाप्ति का इंतजार करना चाहिए था जब उन्हें यह पता चल जाता कि प्रधान मंत्री को बहुमत का सर्मथन प्राप्त है या नहीं। श्री आडवाणी ने सही ही कहा है कि उनमें इतना साहस नही है कि वह मत-विभाजन की मांग कर सकें जैसा वह पहले भी इंगित कर चुके हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मत-विभाजन का क्या परिणाम होगा।

श्री अन्तुले ने कहा है कि वह एक मजबूत केन्द्र चाहते हैं। क्या मजबूत केन्द्र से उनका आशय यह है कि राष्ट्र के 75 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता एक ही व्यक्ति होगा? क्या इसका आशय यह है कि विभिन्न चुनावी घोषणा पत्र वाली विभिन्न पार्टियों को लोगों के उस निर्णय को जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध और जनता दल जो अन्य दलों द्वारा सर्मर्पित हो के पक्ष में दिया गया हो उसे नकार देना चाहिए। एक मजबूत केन्द्र का आशय यह नहीं है कि जनता दल अन्य दलों के समर्थन से सरकार नहीं बना सकता और राष्ट्र खतरे में पड़ जायेगा। जैसा कि श्री अन्तुले ने टिप्पणी की थी। हम भी मजबूत राज्यों के साथ मजबूत केन्द्र चाहते हैं जहां इस राष्ट्र की संघीय अवधारणा और संघीय ढांचे को समुचित महत्व मिले। यह भी कहा गया है कि अल्पमत सरकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और कम्यूनिस्टों द्वारा किया जा रहा है, महोदय हमने चुनावी परिणाम प्राप्त होने से पहले भी कहा था — क्योंकि लोगों की इच्छा जैसा कि हम भारत बंद के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया से समझे हैं, वह है कि वह इस सरकार को हटाना चाहते हैं। यदि जनता दल सरकार बनाने की स्थिति में है, तो हम उसे बाहर से सर्मथन देगें और हमने अपना वायदा निभाया है।

यह कहा गया है कि श्री राजीव गांधी ने सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश न करके उदारता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है यह शताब्दी का सबसे बड़ा धमाका है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया होता और शायद वह दल-बदल विरोधी कानून पास करके पछता रहे होंगे क्योंकि जो धन उनके पास उपलब्ध था उसे वह अप्रत्यक्ष कार्यों के लिए उपयोग नहीं कर पायें। फिर कुछ विशेष बात कही गयी....

श्री ए० सी० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): आपको कितना मिला?

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कुछ विशेष बात कही गई थी कि श्री राजीव गांधी 14 जनवरी 1990 तक सत्ता में रह सकते थे। उनकी उदारता देखिये। उन्होंने 14 जनवरी 1990 तक सत्ता में बने रहने के अधिकार को छोड़ दिया और वह उनके लिए बुरा दिन था जब श्री वी० पी० सिंह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई। महोदय जरा विचार कीजिए कि कांग्रेसी ऐसा भी सोच सकते हैं कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर 14 जनवरी 1990 तक सत्ता में बने रहने का स्वप्न भी देख सकते हैं, जबकि वह बुरी तरह हार चुके हैं और जनता का सर्मथन खो चुके हैं। महोदय, इस तरह का बर्ताव कांग्रेसी कर रहे हैं।

महोदय उन्होंने कहा कि वह सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे। इस रचनात्मक सहयोग का मजेदार पहलू यह है कि यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार होना चाहिए जिसे राष्ट्र की जनता नकार चुकी है। महोदय, पंजाब समस्या पर समस्त दलों की बैठक में हमें उनके सहयोग का नमूना मिल चुका है।

अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस बात का स्पष्ट आभास दिया कि उनकी ओर से कोई

सहयोग मिलने वाला नहीं है और आज उन्होंने जो इस सरकार द्वारा विश्वास प्राप्त करने के मामले पर बहस कराए जाने की जिद की है उससे यह स्पष्ट होता है कि वह विनाशकारी आलोचना में विश्वास रखते हैं न कि रचनात्मक आलोचना में। इस देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने में कोई भी हमें सहयोग नहीं कर रहा।

महोदय हमने देखा है कि पिछले शासन के दौरान देश की एकता और अखण्डता को कितना खतरा था। हमने देखा है की देश की राजनीति में कितनी विकृति आ चुकी है। हमने देखा है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार ह्रास हुआ है उन्होंने उनके दायित्वों के निर्वाह में किस प्रकार हस्तक्षेप किया है तथा इस देश में लोगों के सम्मान को किस प्रकार धूल में मिला' दिया गया है। और अब हम कहते हैं कि हम देश की एकता और अखण्डता में विश्वास करते हैं, जिस पर राजीव गांधी के शासन काल में सबसे अधिक खतरा बना रहा तथा लोगों के सहयोग से वर्तमान सरकार द्वारा उसे उचित सम्मान दिया जाएगा। मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद अमृतसर का दौरा किया। महोदय, इस सरकार को देश का कार्य भार संभाले अभी दो या तीन सप्ताह ही बीते हैं और कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि उनके पांच वर्ष के कुशासन के दौरान उत्पन्न सभी बुराईयां और समस्याएं रातों रात हल हो जाएं। इससे उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये तथा केवल आलोचना के लिए आलोचना करने की प्रवृति का पता चलता है और मैं देखता हूं कि विपक्ष में बैठे कुछ सदस्य जो पिछली लोक सभा के दौरान दूसरे सदन में कांग्रेस के खिलाफ काफी बोलते थे अब उनसे मिल गए हैं और उनके समर्थन में बोलते हैं।

एक माननीय सदस्य: महोदय आपकी क्या स्थिति है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, श्री अन्तुले ने पूछा है कि कितना मूल्य अदा किया जाएगा। किसके द्वारा मूल्य अदा किया जाएगा? क्या यह कीमत कांग्रेस द्वारा अदा की जाएगी? वह जल्द ही यह अनुभव करेंगे कि इस देश के लोग वर्तमान सरकार के साथ इतनी जल्दी टकराव के इस रवैये को बर्दाशत नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि भविष्य में वह घटती संख्या के साथ उसी ओर महफूज रहे।

महोदय, हमारा देश एक अत्यंत गम्भीर बहु आयामी संकट से गुजर रहा है और यह समस्याएं वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली है और इन्हें हल किया जाना है। अब यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न किया जाए और यह हमारा कर्तव्य है कि इन गम्भीर समस्याओं को हल करने के लिए इस सरकार की मदद करें ताकि आर्थिक संकट, जिसने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, इस देश की एकता और अखण्डता की समस्याएं, जिन पर भारी संकट है, को हल किया जाए, जिसके लिए मैं वर्तमान सरकार को अपने दल का पूरा समर्थन देने का वचन देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव के विषय पर आंऊ, आपकी अनुमति से मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि पिछले तीन-साढ़े तीन घण्टे से हम यह बहस सुन रहे है और मेरे विचार से आपने यह अनुभव किया होगा कि इस सरकार का समर्थन करने वाले दलों से संबंधित लोग आम तौर पर चुपचाप सुन रहे हैं...**(व्यवधान)**... आप मेरी बात नहीं समझे? क्या आपने कम्युनिस्ट या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को चिल्लाते या शोर मचाते सुना है?...**(व्यवधान)**...

महोदय मैं, इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं। मैं इस बारे में कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। किन्तु अभी कुछ ही दिन पूर्व सभी पक्षों की ओर से आशाएं व्यक्त की जा रही थी कि नए अध्यक्ष के संरक्षण में इस नए सदन, नौवीं लोक सभा में यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा कि यहां होने वाला वाद विवाद गम्भीर, अर्थपूर्ण तथा इस प्रकार संचालित हो जिसमें हर एक को अपनी बात बिना किसी व्यवधान

के कहने का अवसर मिले। कभी कभार होने वाले व्यवधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह संसदीय खेल का ही अंग है।...**(व्यवधान)**...

किन्तु, महोदय, दुर्भाग्य से हमने यहां जो देखा है उससे हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं क्योंकि हम चुनावों के बाद पहली बार मिल रहे हैं और एक ऐसे विषय पर बहस कर रहे है जिससे इस सदन में विवाद उठा है। फिर भी, इस सदन के सभी पक्षों को गम्भीरता से प्रयत्न करना चाहिए—इस सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता सहित इन सभी पार्टियों के नेताओं को कोशिश करनी चाहिए; यह उनका कर्त्तव्य है कि वह देखे कि सदस्यगण कम से कम इस सदन में मर्यादा बनाए रखे तथा प्रत्येक को बिना किसी व्यवधान के अपनी बात कहने का मौका मिले क्योंकि यह दो तरफा रास्ता है, यह एक ऐसा खेल है जो सभी खेल सकते हैं और अन्त में इससे फायदा किसी को भी नहीं होगा।

महोदय, दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी समय, यह मैं सरकार पर छोड़ता हूं कि किसी समय, इस वाद-विवाद के अंग के रूप में नहीं बल्कि इसके अंत में या कल विसर्जित होने से पूर्व इस सभा को उन लोगों—उनकी संख्या मैं नहीं जानता—के प्रति खेद प्रकट करना चाहिए जिनकी चुनावों से पहले होने वाली साम्प्रदायिक हिंसा या चुनाव अभियान के दौरान जानें गईं। हम सभी उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पश्चात ही यहां आए हैं। हमे उन लोगों को याद रखना चाहिए। भूतपूर्व सदस्यों और हमारे सहयोगियों के लिए ही निधन संबंधी उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। हम वह पहले ही कर चुके हैं। किन्तु हमें विभिन्न समुदायों के उन लोगों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजली अर्पित करनी चाहिए जो चुनाव अभियान के दौरान मारे गए। तीसरे, अपने दल की ओर से मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब के कुछ सदस्य, जो अभी तक अलग थलग थे, इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने यहां आए हैं। जहां तक इस विषय का संबंध है, मैं वह सब नहीं दोहराना चाहता जो कुछ मेरे सहयोगियों ने कहा। श्री अन्तुले की यह दलील कि श्री राजीव गांधी ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश न करके कितनी उदारता का परिचय दिया है, पहले ही अर्थहीन हो चुका है। यह एक तकनीकी और संवैधानिक मुद्दा है। यदि श्री राजीव गांधी वास्तव में इस बात के प्रति आश्वस्त होते कि उन्हें दूसरे दलों से पर्याप्त समर्थन मिलने की कोई संभावना है तो मुझे विश्वास है कि वह यह उदारता न दिखलाते। उन्हें इसका विश्वास ही नहीं था।

महोदय, मैं नहीं जानता कि राष्ट्रपति जी का उल्लेख करने की अनुमति है या नहीं। जिस दिन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, उससे पहली रात्रि को वामपन्थी दल मिल कर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी को यह बताने गए कि यह सरकार बनाने के लिए उन्हें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को आमंत्रित करना चाहिए और हमारे दल इस सरकार के गठन का बिना शर्त समर्थन करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा, "मैं जानता हूं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वह आ क्यों नहीं रहे हैं, मैं उन्हें सन्देश भेज रहा हूं" इस प्रकार, राष्ट्रपति द्वारा बहुत पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका था। उन्हें मालूम था कि स्थिति क्या है। यदि दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता और यदि "आया राम और गया राम" के दिन होते तो...**(व्यवधान)**...

श्री जी० देवरिया नायक (कनारा): महोदय, वह हमारे माननीय प्रधान मंत्री का अपमान कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: श्री अन्तुले ने इस तथ्य को बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया है कि चार दक्षिणी राज्यों में लोगों ने कांग्रेस को बड़ा भारी समर्थन दिया है। श्री आडवाणी की भांति मैं भी इस विषय पर उत्तर बनाम दक्षिण के आधार पर चर्चा करना नहीं चाहता। यह कहना ठीक नहीं होगा किन्तु इन चार दक्षिणी राज्यों में

कांग्रेस पार्टी ने 139 सीटों में से शायद मेरे आंकड़े बिल्कुल सही न हों— 125 स्थान जीते हैं। यहां बैठे 193 लोगों में से 125 स्थान चार दक्षिणी राज्यों में तथा कुछ स्थान पूर्वोत्तर में जीते गए हैं। तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बल्कि मैं तो यह कहूंगा कारण चाहे जो भी रहा हो अपनी इच्छानुसार वोट देना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, दक्षिण के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का सफाया होने से बचा लिया है। आपको उनका आभारी होना चाहिए।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी): क्या आप सोचते हैं कि केरल के लोग...(**व्यवधान**)...

श्री इन्द्रजीत गुप्तः महोदय, मैं नहीं मानता।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमनः मैं आपसे एक साधारण सवाल करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः उन्होंने दक्षिण के लिये जो सद्भावना व्यक्त की, इस संबंध में आप स्वयं सोचें।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमनः क्या आप इससे सहमत हैं कि केरल के लोग ज्यादा शिक्षित हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः अच्छा है कि हम केरल में मतदान की प्रक्रिया और अन्य चीजों के संबंध में चर्चा न करें। हम इस संबंध में बाद में चर्चा करेंगे कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने आपको और आपके मत में समर्थन दिया। हम इस पर चर्चा करेंगे।

एक माननीय सदस्यः हम इसके लिये तैयार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः मैंने श्री अन्तुले जी की बात ध्यान से सुनी — और उनकी बातों को नोट कर लिया — जिसमें उनके दो कथन बिल्कुल ही एक-दूसरे के विरोधाभास जाते हैं। एक ओर तो वह कहते हैं, "कि हमने आपको एक संगठित देश सौंपा है। जाते हुए हमने आपको एक संगठित देश सुपुर्द किया है।" और दूसरे ही क्षण उन्होंने कहा कि, कि देश की एकता खतरे में है", मेरी समझ में यह नहीं आता। इसका मतलब है कि मात्र 15 दिन में देश की एकता खतरे में पड़ गयी? यदि ऐसा है तो पिछले पांच सालों के दौरान क्या हुआ? इन विघटनकारी तत्वों को इस विस्फोटक स्थिति में कौन लाया है? जबसे यह सरकार सत्ता में आयी है — तब से तो ऐसा नहीं हुआ है।

इन्हीं विघटनकारी तत्वों के कारण आपने अपने एक चोटी के नेता, देश के प्रधान मंत्री को खो दिया है। वर्षों से आप उन विघटनकारी तत्वों को पता लगाने में असमर्थ रहे हैं जिनका इस हत्या के पीछे हाथ हो सकता है साथ ही देश और संसद को विश्वास में लेने में भी आप असमर्थ रहे हैं। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। उन्होंने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तब आपने कहा कि उस रिपोर्ट को आम जनता के लिये प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन अंततः आप को यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए मजबूर किया गया। उस रिपोर्ट पर गौर करने के पश्चात हमने पाया कि — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हम लोगों द्वारा नहीं चुने गये थे — वह आपके नेता द्वारा नियुक्त किये गये थे — न्यायाधीश ने जांच के उपरान्त कहा "कि मुझे षडयंत्र के बारे में कोई बहुत ही निर्णयात्मक सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिन पर संदेह व्यक्त किया गया है।"

3.37 म० प०

[डा० तम्बि दुराई पीठासीन हुए]

मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहां आप सभी जानते हैं कि — इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति

पर हत्या के षडयंत्र के लिये प्रमुख रूप से शक जाहिर किया गया था। लेकिन दूसरे ही दिन आपके नेता ने क्या किया ? उन्होंने उस भद्र पुरूष को अपने प्रधानमंत्री साचिवालय में पुनः नियुक्त कर लिया। यही आदर और सम्मान आप अपने नेता की याद में व्यक्त कर रहे हैं।

मैं वर्षों से इस सदन में चीख-चिल्ला कर कह रहा हूं कि यह आपका कर्त्तव्य है कि आप इस हत्या के पीछे दिये षडयंत्र को देश के नागरिकों के सामने रखें। लेकिन अब तक इसको उजागर नहीं किया गया है।

आप लोगों का क्या स्तर रह गया है? यदि आप ऐसे बर्ताव करते रहे तो लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सोचना पूर्णतया गलत है कि विश्वानाथ प्राताप सिंह जी के नेतृत्व में इस देश की एकता खतरे में पड़ गयी है। मेरे विचार से देश की एकता को खतरा पिछले कई सालों से था और इसमें उस समय के सत्ताधारी दल का विघटनकारी तत्वों को खुश रखने के लिये सक्रिय सहयोग रहा है। मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि उस समय के सत्ताधारी दल के नेता ने अपना चुनाव अभियान फैजाबाद से शुरू किया था। उन्हें अपना चुनाव अभियान शुरू करने के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं मिला। उनका पहला भाषण अयोध्या के नजदीक फैजाबाद में हुआ था। वहां उन्होंने क्या कहा था? "यदि मैं पुनः सत्ता में आया तो मैं आप लोगों को इस देश में राम-राज्य स्थापित करने का वादा करता हूं।" "राम राज " का क्या मतलब होता है, यह मुझे नहीं मालूम। कृपया हमारे लिये इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। अयोध्या क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की भीड़ थो स्वभाविक है, वे लोग प्रधान मंत्री द्वारा इस आश्वासन से बहुत ज्यादा उत्साहित हुए और "हर-हर महादेव, बजरंगबली की जय" का नारा लगाने लगे और आप कहते हैं कि आप निर्दोष हैं। आपने इस अवसर का फायदा उठाने की गर्ज से ही सहयोग नहीं दिया , बल्कि आप तो चुनाव चाहते थे। साथ ही आप विभिन्न प्रकार की ताकतों को खुश करना चाहते थे और उनके साथ गठजोड़ करना चाहते थे। इससे अन्ततः आपने अपना ही नुकसान कराया। और हमारे लिए यह फायदे मंद रहा। यह अच्छा इसलिए रहा क्योंकि यदि यह सरकार अगले पांच वर्षों तक और कायम रहती तो देश का निश्चित ही बेडा गर्क हो गया होता और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।

अतः महोदय, मैं अन्त में मात्र यही कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार को ऐसे अवसर पर समर्थन नहीं प्रदान किया गया तो इसका मतलब होगा कि देश को सरकार विहीन छोड़ना। क्या यह एक विकल्प होगा? क्या मात्र यही एक विकल्प है? सदन में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत होने के कारण मेरे मित्रों का मत है कि हमें इस सरकार को समर्थन नहीं देनी चाहिए। यदि हमने ऐसा किया तो कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं होगी।

श्री जी॰ देवरिया नायक: हमने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यदि आपने ऐसा नहीं कहा है तो कृपया आप विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। आपका इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना ही इस बात का द्योतक है कि आप इस सरकार के विरुद्ध हैं। इसलिये, स्वभाविक ही आप हमारे द्वारा इस सरकार को समर्थन दिये जाने के विरोध में हैं, क्योंकि आप अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं इसलिये आप चाहते हैं कि कोई सरकार नहीं बने, और देश को बर्बादी की ओर जाने दें। आप यही चाहते हैं।

श्री टी॰ वशीर: क्या हर व्क्ति कोई भी व्यक्ति कहा जा सकता है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: हर अन्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो सकता है और आप कोई भी अन्य व्यक्ति

नहीं हैं। आप भी हर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, जो हम सब हैं। आप कोई सुपर व्यक्ति नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं।

मैं इसे स्पष्ट करता हूं। जहां तक हमारा प्रश्न है तो हमने इस सरकार को बिना किसी शर्त समर्थन प्रदान किया है और अपनी सहमति से राष्ट्रपति को अवगत कराया है। क्योंकि इसका विकल्प यह होता कि कोई भी सरकार नहीं बनती।

श्री ए० आर० अन्तुले: यह एक नई स्थिति है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं मानता हूं कि निश्चय ही यह एक नई स्थिति है जिससे हम लोग परिचित नहीं है। इस देश के चुनावी इतिहास से हम इस बात से अभ्यस्त हो गये हैं कि चुनाव द्वारा किसी एक दल को बहुमत या कभी-कभी भारी बहुमत प्राप्त होता है। अनेक वर्षों में इस संसद के लिये आठ या नौ चुनाव हो चुके हैं। हम इस परिस्थिति के कभी आदि नहीं रहे जिसमें कि किसी भी दल ने बहुमत प्राप्त न किया हो, अतः सरकार के गठन और क्रियान्वयन के लिये विभिन्न दलों का समीकरण आवश्यक है। ऐसा अनेक देशों में हो चुका है। लेकिन हम इसके आदि नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना हमारे लिये एक कठिन हो गया। अनेक देशों में भी, जो कि हमसे अधिक विकसित माने जाते हैं, वहां भी इस तरह की स्थिति बराबर उत्पन्न होती है। ऐसे अनेक देश हैं जहां एक वर्ष के भीतर बिना किसी चुनाव के ही चार-पांच बार सरकार बदली है।

ऐसे अनेक देश हैं जिनमें कुछ महीनों में मुख्य मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बदले जाते हैं लेकिन यहां प्रत्येक दो अथवा तीन महीनों में मुख्य मंत्री बदल जाते हैं, तथा सत्ताधारी विधानसभा दलों के सदस्यों को अपने मुख्य मंत्री तथा नेता चुनने की अनुमति नहीं दी जाती ऐसा दिल्ली से निश्चय होता है। यह भी आपकी पराजय का एक कारण है। ऐसा इस कारण है कि जनता नहीं चाहती कि उसके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाए।

श्री जी० देवरिया नायक: हरियाणा में क्या हुआ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: बहुमत बनाने के लिए दूसरे लोगों ने भी दल-बदल के आपके तरीकों को सीख लिया है।

श्री टी० बशीर: आप इन बातों को याद रखिए, भूलिए नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: इसलिये हमने ऐसा निश्चय किया है और राष्ट्रपति को बता दिया है कि यह सरकार बननी चाहिए, हम इसका बाहर से समर्थन करेंगे।...**(व्यवधान)** हम ऐसा क्यों कहते हैं? हमारा एक घोषणापत्र है। हमारे साम्यवादी दलों के अपने कार्यक्रम तथा अपना घोषणा पत्र है। राष्ट्रीय मोर्चा का अपना घोषणापत्र है। दोनों एक समान नहीं हैं। वास्तव में हम यह सोचते हैं कि वामपंथी दलों का हमारा घोषणापत्र और कार्यक्रम राष्ट्रीय मोर्चा के कार्यक्रम से अधिक मौलिक और अधिक व्यापक है। परन्तु हमारी राय में राष्ट्रीय मोर्चा के कार्यक्रम और घोषणापत्र में पर्याप्त बातें तथा मुद्दे हैं।और यदि इन्हें, जिनके कार्यान्वयन की इस सरकार ने प्रतिज्ञा की है, कार्यान्वित किया जाता है तो निस्संदेह वे अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर हैं और यदि वे अपने कार्यक्रम तथा घोषणापत्र को कार्यान्वित करेंगे तो मेरे विचार से इससे देश उन्नति करेगा। यह एक तरक्की होगी। ऐसा वामपंथियों के कार्यक्रम की विचारधारा के अनुरुप चाहे नहीं हो परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अनेक स्थितियों की अवहेलना करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम धीरे-धीरे उन्नति कर रहे हैं। जनता भी यही चाहती थी। वह एक परिवर्तन चाहती थी और वह परिवर्तन लाया जायेगा। हमें विश्वास है कि

राष्ट्रीय मोर्चा हमारे सहयोग से इस कार्यक्रम को गम्भीरता से तथा लगातार कार्यान्वित करता रहेगा। हमारे समर्थन को पूर्ण स्वीकृति नहीं माना जाए।...**(व्यवधान)** प्रत्येक कांग्रेस साथी जिनसे मैंने इस कक्ष के बाहर, लॉबी में अथवा केन्द्रीय कक्ष में, बातचीत की थी, को इतना विश्वास है कि समूची बात बिगड़ जायेगी।...**(व्यवधान)**

श्री जी॰ देवरिया नायक: जी नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है। गलत उद्धरण मत दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या आप नामों का उल्लेख कराना चाहते हैं? मैंने किसी को उद्धृत नहीं किया है यद्यपि मैंने कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया था परन्तु मैं व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं कर सकता। वे कहते हैं: "वे बीच में खड़े हुए हैं। एक तरफ आप पकड़े हुए हैं तथा भा॰ज॰पा॰ दूसरी तरफ पकड़े हुए हैं। यह सरकार कैसे टिक सकती है? यह टूट जायेगी।" कृपया ऐसी आशा मत कीजिए क्योंकि आपके दल ने कम से कम अभी तो इस देश की जनता का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। ऐसा मत सोचिए सब कुछ उचित ढंग से होगा ।

श्री जी॰ देवरिया नायक: यह जनता पर छोड़ दिया गया है, आप पर नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जी हां, आप पर भी नहीं। इसलिए हम इस सरकार का इसके कार्यक्रम और घोषणापत्र के आधार पर समर्थन दे रहे हैं। हम इसके कार्यक्रम और घोषणापत्र के कार्यान्वयन में यथासम्भव सहयोग देंगे। हम इस सरकार की घोषणाओं का स्वागत करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण विषय, जो इस देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो गये हैं, जैसे पंजाब और कश्मीर की समस्यायें, तथा बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि विवाद, इन्हें राष्ट्रीय आमराय से हल किया जायेगा। ये दल की समस्यायें नहीं हैं। इन्हें दलीय मुद्दों की तरह नहीं निपटाया जाना चाहिए। इस सरकार ने कहा है कि इन समस्याओं का सामना करने तथा हल करने के लिए यथासम्भव राष्ट्रीय आमसहमति जुटायी जायेगी। निस्संदेह यह बड़ा कठिन कार्य है।...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य: हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह आपकी सरकार ने कभी ऐसा तरीका नहीं अपनाया। आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने पंजाब की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक कभी नहीं बुलायी। यहाँ सभा में गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री ने बार-बार आश्वासन दिया था: "बहुत जल्दी, हम बैठक बुलायेंगे तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलायेंगे। हम ऐसा करेंगे तथा हम वैसा करेंगे..." परन्तु कुछ नहीं किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की सहमति नहीं ली गई। इसने कतई कार्य नहीं किया। इसलिए हम इस सरकार के दृष्टिकोण तथा उसके प्रयासों का स्वागत करते हैं। आम सहमति में कांग्रेस पार्टी समेत प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होंगे। केवल यही एक तरीका है जो हमें आपस में मिला सकता है और इस देश को बर्बादी से बचा सकता है। यद्यपि हम विगत के बारे में भूल जाते हैं। फिर भी उत्तरदायी कौन हैं तथा वे कितने जिम्मेदार हैं। अब समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार, प्रधानमंत्री तथा अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि वे इस दृष्टिकोण तथा कम से कम इन मुद्दों पर राष्ट्रीय आम सहमति जुटाने के लिए सरकार का समर्थन करें। हमें परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए तथा देश की जनता और इसकी स्वतंत्रता और एकता की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिएं।

श्री आर॰ मुथैय्या (पेरियाकुलम): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तथा अपने प्रिय नेता पुरातची थालैवी जयललिता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक भारत

का सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के संबंध में हमारी और हमारी नेता के भी व्यक्तिगत रूप से कुछ उच्च विचार हैं। परन्तु साथ ही हम उनके मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते और इसका सीधा-साधा कारण यह है कि उनकी सरकार समूचे देश का, विशेषतः यह तमिलनाडु की जनता के विचारों को प्रकट नहीं करती है, प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस चुनाव में उनके दल तथा उनके सहयोगियों को समूचे दक्षिण ने विशेषतः तमिलनाडु ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है। यद्यपि उन्हें जनता के बहुमत का निर्णय नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वे तमिलनाडु की जनता के बहुमत के निर्णय का सम्मान कर सकते हैं। यह सरकार तमिलनाडु की जनता की इच्छाओं और निर्णय के विरुद्ध कार्य कर रही है। मैं कुछ बातों का, जो इस सरकार द्वारा कार्य भार संभालने के बाद हुई हैं, उल्लेख करना चाहता हूं। विशेषतः मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय उप प्रधान मंत्री अपना पदभार संभालने के बाद एक विशेष विमान द्वारा एक शादी समारोह में सम्मिलित होने मद्रास गये जो शिष्टाचार के विरुद्ध है। मद्रास में प्रथम घोषणा के रूप में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार त्रि-भाषा फार्मूला प्रभावी ढंग से लागू करेगी। परंतु आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसका भाषा संबंधी विशेष फार्मूला अर्थात् द्वि-भाषा फार्मूला है जो हमारे राजनैतिक परामर्शदाता डा॰ अन्ना दुरई ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऐसे राज्य में उप प्रधान मंत्री घोषणा करते हैं कि वह त्रि-भाषा फार्मूला निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करेंगे। इसका अभिप्राय है कि यह सरकार तमिलनाडु की जनता पर हिन्दी थोपेगी। उप प्रधान मंत्री के इस भाषण से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस प्रकार विगत दस अथवा पंद्रह दिन से तमिलनाडु की जनता के दिमाग में भय बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री तमिलनाडु की सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसे वहां की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। सुबह सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य और उनके सहयोगी उत्तर में कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए चिल्ला रहे थे। यदि यह सरकार किसी सरकार को भंग या बर्खास्त करना चाहती है तो तमिलनाडु की सरकार को, जिसे एक चौथाई मतदाताओं का भी विश्वास प्राप्त नहीं है, तुरंत भंग अथवा बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह सरकार कह सकती है: "जब हमारी स्वयं की अल्पमत सरकार है तो हम तमिलनाडु की सरकार को किस प्रकार बर्खास्त कर सकते हैं।" परंतु वे कम से कम तमिलनाडु की जनता के निर्णय को कार्यान्वित करने का प्रयास तो कर सकते हैं। इस चुनाव में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और कांग्रेस (आई) ने हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी को प्रधान मंत्री के रूप में तथा श्रीमती जयललिता को तमिलनाडु की मुख्य मंत्री के रूप में तमिलनाडु के मतदाताओं के सामने खड़ा किया था। इसके लिए तमिलनाडु की जनता ने हमें चुना और उन्होंने एक स्पष्ट निर्णय दिया। हम इस सरकार और प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह जनादेश प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

***श्रीमती राजेन्द्र कौर बुलारा (लुधियाना):** श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अपना समर्थन माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की नैशनल फ्रंट की सरकार को देती हूं। जब बाबा सूच्चा सिंह जी शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो उस समय कांग्रेस (आई) के मेम्बरों के बैंचों की ओर से आवाज आयी कि इन्दिरा गांधी के हत्यारे का पिता है। क्या मैं पूछ सकती हूं कि हत्यारा कौन है। हत्यारा तो मेरे ख्याल से...जब बेअंत सिंह ने इन्दिरा गांधी... बेअंत सिंह को शहीद कर दिया गया। जब 1984 में अनेक लोग मारे गये और उनका कातिल कौन है और उनको आज तक कोई सजा नहीं दी गई है। 1984 में ही मेरा एक देवर जो कि फौज में कप्तान था जिसका विवाह हुए अभी केवल 28 दिन हुए थे और वह अहमदनगर कोर्स करने के लिए जा रहा था। उसने

---

* मूलतः पंजाबी में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आर्मी के कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी। फिर भी उसे मथुरा में इंदिरा कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। 1984 में दिल्ली तथा बोकारो में जो दंगे हुए उसके लिये कांग्रेस जिम्मेदार है। उसके बाद पंजाब में हजारों सिख युवकों का कत्ले आम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। यह मैं पूछना चाहती हूं। मेरे प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह जिनकी मैं पत्नी हूं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होरटीकल्चर विभाग में कार्यरत् थे। पंजाब सरकार ने हरेक सिख को आतंकवादी करार दे दिया। जिसके घर में भी कोई खाना खा गया उसी पर पनाह देने का केस बना दिया गया। एक बुद्धिजीवी पर रेड करवाये गये उन्हें मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। 1987 में जो कुछ पंजाब में हुआ, वह मैं अपनी कहानी सुना रही हूं। उसके बाद मैं दूसरों की कहानी सुनाऊंगी कि इंदिरा कांग्रेस की सरकार के समय क्या हुआ। मेरे ऊपर अनेक जुल्म किये गये। ऐसे-ऐसे पुलिस अफसर लगाये गये। बूचड़ लगाये गये जो कि सिक्खों के दुश्मन थे। जो अधिक से अधिक उन्हें मारे ताकि सिखी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। 4 अप्रैल, 1987 को जब पुलिस ने रेड की तो उन्हें मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। अंडरग्राउंड होना पड़ा। मैं अकेली अपने घर में रहती थी। यदि कोई मेरा रिश्तेदार आता था तो पुलिस उसे उठाकर ले जाती थी। मेरा बच्चा जिससे मैं परदा करती थी उसको भी पुलिस पूछताछ करती थी। जबकि वह केवल 15 वर्ष का भी नहीं था। यहां तक कि मेरी बेटी को भी थाने ले जाया गया। लेडी पुलिस जो यह कार्य करती वह कभी नहीं होती थी। वहां कुछ बूचड़ इन्सपेक्टर लगाये गये थे, सी०आर०पी० पंजाब में थोपी गई थी। उनकी दस-दस गाड़ियां जाती थीं। लुधियाना में बूचड़खाना दूगड़ी खोला गया था जहां मुझे 15 पुलिसवालों ने पीटा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि कौम का हत्यारा कौन है, इन्सानियत का हत्यारा कौन है। पंजाब में यह केवल मेरी कहानी नहीं है। मेरे पति प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह ने अपनी जान बचाई कभी किसी रिश्तेदार के घर में छिपे तो कभी किसी के ताकि कोई एक पैसे का सिपाई मेरी बेजती न करे। क्योंकि वह एमएससी प्रोफेसर थे और वह लाखों करोड़ों की जायदाद का वारिस था। उनको आतंकवादी और अलगाववादी करार देकर घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया।

25 दिसम्बर, 1988, चंडीगढ़ के 15 सैक्टर में से उन्हें पकड़ा गया और उसी समय लुधियाना लाया गया। रात को 9 बजे सी एस स्टाफ में उन्हें देखा गया। पता नहीं क्या किया गया पीट पीट कर मार दिया गया और झूठा पुलिस मुकाबला दिखाया गया। जितने झूठे पुलिस मुकाबले राजीव सरकार के पांच सालों के शासन में हुए हैं कभी भी विश्व के किसी इतिहास में नहीं हुए। 26 जनवरी को हम पर संविधान लागू किया जाता है। लेकिन 26 जनवरी, 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने संविधान का मर्डर किया। प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह और उनके दो साथियों का झूठा एन्काउंटर शो कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि हत्यारा कौन है कांग्रेस सरकार या हम। हमने भारत के संविधान की शपथ उठाई है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से रहना चाहते हैं। परंतु इन्दिरा सरकार, राजीव सरकार ने हमें आतंकवादी कहा। खालिस्तान का नारा इन्होंने लगाया। और हमारे मुंह में डाला। खालिस्तान का मतलब है प्योरेटी। खालसा जहां भी रहता है वहीं खालिस्तान कहलाता है। खालिस्तान कोई मांगता नहीं था लेकिन राजीव सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी सिखों को अलगाववादी कहा गया। हमारा भी कोई स्टेटस है। एशियाई खेलों में जो सिख पंजाब से आ रहे थे उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और कहा गया कि सिख आतंकवादी हैं और यह खेलें नहीं देख सकते। यह कौन सा संविधान है क्या कोई मुझे बतायेगा। यहां बहुत से क्वालीफाईड मैम्बर साहबान बैठे हैं। स्पीकर साहब बैठे हैं। यह कहां का संविधान है।

सरदार बेअंत सिंह की विधवा पत्नी संसद सदस्य चुनी जा चुकी है। ध्यान सिंह मण्ड, जिसके तीन भाई इस बूचड़ सरकार ने मार दिये, वह भी इस पार्लियामेंट का मैम्बर बन चुका है। मैं प्रो० रजिन्द्रपाल सिंह की पत्नी मैम्बर पार्लियामेन्ट बन चुकी हूं। आज आप बताओ कि कौन आतंकवादी और कौन अलगाववादी है। जनता ने मुझे जिताया है और लुधियाना की वोट जो कि कांग्रेस की वोट होती थी वहां से मैं 1,34,000 वोटों से जीती

हूं। आज जनता ने फतवा दे दिया है कि आतंकवादी और अलगाववादी तो राजीव सरकार थी न कि सिख। यह केवल मेरी ही दुख भरी कहानी नहीं है। पंजाब में हर औरत, हर बच्चे जो कि 15 वर्ष से लेकर 25 तक की आयु का है। सरकार उसकी दुश्मन बन गई है। जहां जी चाहे पकड़ लिया जाता था मारा पीटा जाता था बूचड़खाने में। जब कभी पुलिस का मुकाबला होता था तो 20-20 आदमी इनके मरते थे लेकिन उसे अखबार कभी नहीं देते थे। सिख न तो आतंकवादी है और न ही अलगाववादी। वह एक सच्चा और सूच्चा इन्सान है। वह गुरु गोविन्द सिंह जी का पुत्र है। जो सच्चाई के असूलों पर चलता है। कभी किसी बहू बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों ने थानों में हमारी बीबीयों का रेप भी किया है इस सरकार ने। क्या मैं पूछ सकती हूं कि कौन हत्यारा है और हजारों नौजवान...श्रीर श्री वी०पी० सिंह जो कि मेरे प्रधान मंत्री हैं उन पर हमें फेथ है कि वे पूरी लिस्टें बनायें कि कितने हमारे बच्चे मार दिये गये हैं और कितने हवालातों में बंद हैं बूचड़खाने में हैं जिन्हें जेल में नहीं भेजा गया। 9-9, 10-10 महीने हो गये हैं किसी पर कोई केस नहीं चलाया गया। उन्हें ऐसे फतीहे दिये हैं कि वह पागल हो गये हैं। मैं अब नैशनल फ्रन्ट की सरकार से यह आशा करती हूं कि जो कांग्रेस सरकार ने हम पर घाव या जख्म किये हैं वे मलहम लगायें सिखों की भावनाओं को मैं इस सरकार की बहुत शुक्रगुजार होऊंगी। सिख हर समय बगावत करनी जानता है क्योंकि वह न कभी जुल्म सहन करता है और न स्वयं जुल्म करता है और यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर): सभापति महोदय, हमने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनाने के लिये अपना समर्थन दिये जाने की बात पहले ही माननीय राष्ट्रपति जी को बता दी है। न सिर्फ समाजवादी क्रांतिकारी दल बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर क्रियाशील सभी वामपंथी संघटकों ने श्री वी०पी० सिंह के समर्थन में, जिन्हें कि सरकार बनाने के लिये कहा गया था, अपने निर्णय लिये जाने की बात कही है। हम सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद में विश्वास-प्रस्ताव लाया गया है। श्री वी०पी० सिंह द्वारा यहां प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं अपने दल की ओर से पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मंत्रिपरिषद् में पूर्ण विश्वास प्रकट करता हूं।

अच्छा होता यदि इस मुद्दे पर कोई बहस न की जाती। हमारे द्वारा इस प्रस्ताव को मान लिया जाना एक साधारण बात थी। पहले हमने समझा कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी लेकिन कांग्रेस दल की इच्छा के कारण हमें इस पर बहस करनी पड़ी।

हम में से प्रत्येक को यह बात जाननी चाहिए कि हम अपने इतिहास की संकटपूर्ण अवस्था से गुजर रहे हैं और हम इस बात से भी सहमत हैं कि ऐसी स्थिति लोक सभा चुनाव के पश्चात् उभरी है। इस चुनाव के द्वारा भारत की जनता ने स्पष्ट रूप से अपदस्थ कांग्रेस (आई) सत्ता के विरुद्ध मतदान किया है। बल्कि उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) को अस्वीकार कर दिया है। इस परिस्थिति में जब चुनाव समाप्त हो चुका था एक नई सरकार का गठन किया ही जाना था क्योंकि कोई भी देश बिना सरकार के नहीं चल सकता है और इस अवसर पर हमने उनके घोषणापत्र के आधार पर उन्हे अपना समर्थन दिया। हमारे अपने घोषणापत्र हैं। मैं जानता हूं कि उसमें भी ऐसे मुद्दे हैं जहां कि मतभेद हैं। लेकिन फिर भी ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिन पर हमें एकजुट होना ही चाहिए। हमें इन सभी समस्याओं का समाधान करना है और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ऐसा करने के लिए कटिबद्ध है। अब मैं इस विषय का विस्तृत वर्णन करना नहीं चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिये जाने के दौरान हम इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि. वर्तमान सरकार को सत्तारूढ़ हुए अभी एक माह भी नहीं हुआ है और यह सरकार श्री राजीव गांधी के नेतृत्व

वाली अपदस्थ सरकार द्वारा उत्पन्न की गयी बाधाओं के जाल में उलझ गयी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत कम समय में ही इस सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाये हैं।

श्री आर॰एन॰ राकेश: ये क्या हैं?

श्री नानी भट्टाचार्य: प्रचार माध्यम को स्वायत्तता दिये जाने की बात आप जानते हैं। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की बात कही गयी है। पंजाब की समस्या के समाधान के लिये कुछ उपयुक्त कदम उठाये गये हैं। बहुत ही सराहनीय ढंग से हमारे प्रधान मंत्री जी पहले ही अमृतसर का दौरा कर चुके हैं। अनेक दूसरी समस्याओं के निदान के लिये, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, विशेष रूप से बोफोर्स संबंधी घोटाला जिसे कि श्री राजीव गांधी के प्रशासन और व्यक्तिगत रूप से श्री राजीव गांधी के नाम के साथ जाना जाता है, के संबंध में यह सरकार पहले ही उपयुक्त कदम उठा चुकी है।

संक्षेप में, अपने दल की ओर से पुनः एक बार हम इस मंत्रि परिषद को और श्री वी॰ पी॰ सिंह द्वारा लाये गये प्रस्ताव को पूरा समर्थन देते हैं।

श्री चित्त बसु (बारासात): सभापति महोदय, राष्ट्र के प्रधान मंत्री तथा इस सभा के नेता द्वारा लाये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

दुर्भाग्यवश आज सत्र के शुरु में ही सभा को महाराष्ट्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र के एक कुण्ठाग्रस्त राजनीतिज्ञ का भाषण सुनना पड़ा। मुझे दुःख है कि नौंवी लोक सभा चुनावों के दौरान हमारे देश की जनता द्वारा दिये गये जनादेश का वास्तविक अर्थ और महत्व पूरी ही कांग्रेस (आई) पार्टी नहीं समझ पायी है। यह जनादेश बिल्कुल स्पष्ट था। यह निर्णय स्पष्ट था कि जनता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में चल रही सरकार को नहीं चाहती है। स्पष्ट रूप से लोगों ने उन्हें सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। एक परिवर्तन लाने की अपनी इच्छा को हमारे देश के लोगों ने बिना किसी गलती के व्यक्त किया है। यह बात महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट जनादेश है। दुर्भाग्यवश हमारे देश की जनता द्वारा दिये गये इस स्पष्ट जनादेश अथवा उनके फैसले को विपक्ष के सदस्यगण् नहीं समझ पाये हैं।

जनता ने उन्हें सत्ता से हटाने का फैसला किया क्योंकि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में पिछली सरकार ने जन-विरोधी तथा अलोकतान्त्रिक नीतियों को लागू किया था। जनता ने उन्हें सत्ता से हटाने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने हुकूमत करनी चाहा, शासन चलाना नहीं। वे हुकूमत स्थापित करना चाहते थे। वे अपनी हुकूमत स्थापित करना चाहते थे और वास्तव में दमनकारी उपायों द्वारा, संसद सहित हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाओं को भंग करते हुए उन्होंने क्रूरता पूर्वक शासन किया। हमारे देश की न्यायिक संस्थाओं का उच्छेदन कर उन्होंने सत्ता में बने रहने की कोशिश की। हमारे देश के अन्य महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाओं को बदनाम कर उन्होंने सत्ता में बने रहना चाहा। हमारे यहां की जनता लोकतन्त्र पसंद करती है। हमारे लोग विवेकशील हैं। अपने विवेक से उन्होंने स्पष्ट निर्णय किया है। हमारे देश में लागू इस चुनाव प्रणाली के कारण उस दल का स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया है जिसमें लोगों ने अपना मत प्रकट किया है। इस कारण भारतीय राजनीति में एक अद्‌भूत स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनता ने सरकारों को अस्वीकार कर दिया है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के लोगों की आशाओं और इच्छाओं को कार्यरूप देने हेतु किसी एक विशेष दल की पहचान करने के अपने निर्णय में लोग असफल रहे हैं। किसी एक दल का चुनाव करने में स्पष्ट निर्णय के अभाव ने हमारे देश में यह नयी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे कि हम परिचित नहीं हैं। अभी भी वे यह दावा करते हैं कि जनता का विश्वास उन पर है। अपने मि॰ श्री साठे के लिये मैं
एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा क्या यह सत्य नहीं है कि सम्पूर्ण कांग्रेस दल ने कुल मत का 40 प्रतिशत या

40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया है? मैं अपनी बात में संशोधन करता हूं। मैं कह सकता हूं कि इसने 41 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किया है। यह 41 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन 41 प्रतिशत 51 प्रतिशत नहीं हो सकता है और यदि आप अपने हिसाब से इसे 51 प्रतिशत करना चाहते हैं तो मैं लाचार हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने कुल मत का सिर्फ 41 प्रतिशत ही प्राप्त किया है...**(व्यवधान)**...मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि लोगों की आशाओं और इच्छाओं को कार्य रूप देने हेतू किसी एक दल के लिये स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अतः इस देश में एक नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है और हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। 60 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने आपके पक्ष में मतदान नहीं किया है। उन्होंने आपके विरुद्ध मतदान किया है...**(व्यवधान)**...उनका दावा सार्थक नहीं है वे अस्वीकार कर दिये गये हैं। अतः सरकार बनाने का उनका कोई अधिकार या दावा नहीं है। अब प्रश्न होता है कि कौन सरकार बनायेगा।...**(व्यवधान)**...

डा॰ राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर): आप कृपया स्पष्ट करें कि 18 प्रतिशत निर्णय का क्या औचित्य है।

श्री चित्त बसु: मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पाये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनके नेता ही उन्हें समझने की अनुमति नहीं देते हैं।

श्री चित्त बसु: इस संबंध में अनभिज्ञ बना रहना ही ज्यादा बेहतर होगा...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: अन्यथा वे उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु: प्रजातंत्र की विचारधारा में अल्पसंख्यक सरकार की धारणा कोई नई बात नहीं है। विदेशों के प्रजातांत्रिक देशों में अल्पसंख्यक सरकार का अस्तित्व में आना एक आम बात है। हां, वैसी अल्पसंख्यक सरकार का उदाहरण हमारे देश में कोई नहीं था। लेकिन मेरा यह कथन भी पूर्णतया सत्य नहीं है। क्योंकि इस देश में श्रीमति इंदिरा गांधी की सरकार भी अल्पसंख्यक सरकार थी। अतः मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अज्ञानतावश यह रुख अपनाया है। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार है। इस बात से कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार स्वतः इस सदन में पूर्ण बहुमत नहीं रखती है। इस संबंध में सभी को जानकारी है और यह बिलकुल स्पष्ट है। लेकिन आज, देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी ही सरकार की आवश्यकता है जिसे सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त है — चाहे वास्तव में वह अपने आप में अल्पसंख्यक सरकार ही क्यों न हो।

एक माननीय सदस्य: अपने सिद्धान्तों को ताक पर रखकर भी?

श्री चित्त बसु: जी नहीं। इसे सिद्धान्त के आधार पर ही किया जाएगा। यदि आप धैर्य से मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको सिद्धान्तों के बारे में वास्तविक ज्ञान दे सकूंगा।

अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या इस देश के प्रधान मंत्री को सदन का पूर्ण बहुमत प्राप्त है या नहीं। यही एक मात्र उद्देश्य है। और इस संबंध में राष्ट्रपति ने निर्देश जारी किया है और हमलोग राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन को कार्यरूप दे रहे हैं।

अब हमारे मित्र ने नीति विषयक प्रश्न उठाया है। आपके अनुसार ही राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का भी एक चुनावी घोषणा पत्र है। आप अपने आधारभूत कार्यक्रम और मूल नीति के क्रियान्वयन के लिये अपने चुनावी घोषणा पत्र पर निर्भर करते हैं। ऐसे ही आप क्यों नहीं राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र को उनकी सरकार की नीति

संबंधी घोषणा या प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सरकार का गठन किया है। जहां तक मेरे दल फारवार्ड ब्लॉक का संबंध है, तो हमने इस सरकार को बिना शर्त अपना समर्थन प्रदान किया है। इस संबंध में हमने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से एक ही इच्छा जाहिर की है कि जहां तक सम्भव हो सके उन्हें लोगों से किए गए अपने चुनावी वायदों को पूरा करना चाहिए। यह एक ऐसी शर्त है जो सभी को मान्य है। मेरे विचार से राष्ट्रीय मोर्चा दल के सदस्य भी इसके लिये अपने मतदाताओं के प्रति ऋणी हैं।

वित्त मंत्री (प्रो॰ मधु दण्डवते): यह हमारी अपनी शर्त भी है।

श्री चित्त बसु: मैं भी यही कहना चाहता था। आप देखें कि हमारे देश के माननीय वित्त मंत्रीजी की भी यही शर्त है। इसलिये, हमारा समर्थन बिना किसी शर्त का है।

हमें आशा और विश्वास है कि देश की इस संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लोगों से किये गये चुनावी वायदों को क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास करेगी। आपके अनवरत शासन के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिये राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है। आपने कुछ समस्याएं — कुछ बहुत बड़ी राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निर्माण किया है। लोगों ने अपना फैसला राष्ट्रीय मोर्चे के पक्ष में इसलिए दिया है कि आपके द्वारा निर्मित इन समस्याओं को सुलझाया जा सके। अतः उन पर बहुत बड़ा बोझ है। फिर भी, बहुसंख्यक लोगों के समर्थन और सहयोग के कारण, हमें आशा है कि यह सरकार लोगों को दिये गये अपने चुनावी वायदों को पूरा करेगी। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा इन नई नीतियों के क्रियान्वयन से हमारे लोगों की प्रजातांत्रिक विचारधारा सुनिश्चित करेगी और लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये नया मार्ग प्रशस्त करेगी। इस संबंध में, हमें विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी संबंधों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए।

इस सरकार की स्थिरता के लिये भी एक प्रश्न उठाया गया है। आप अभी भी इस सरकार की स्थिरता के संबंध में शक जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सरकार की स्थिरता व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। इस सदन में और कई राज्यों की विधान सभाओं में आपके दल के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां राजनीतिक स्थिरता है? यदि वहां राजनीतिक स्थिरता होती तो वहां के मुख्य मंत्रियों को कैलेन्डर के पत्रों की भांति नहीं बदला जाता। अतः राजनीतिक स्थिरता संसद में और राज्य की विधान सभाओं में उपस्थित सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि सरकार की स्थिरता उनके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। वह राजनीतिक पहलू है। मुझे आशा है कि आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आप इस प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करते थे। आप निष्ठुर शासन में विश्वास करते थे। मैं आशा करता हूं कि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन उनके द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के कारण दृष्टिगोचर होता है। परिवर्तन का दृष्टिकोण नई सरकार द्वारा दर्शाया गया है। वे विरोध का मार्ग नहीं अपितु मतैक्य का मार्ग अपनाना चाहते हैं। आपने जो स्थिति उत्पन्न की है उसे राष्ट्रीय मतैक्य के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। नई सरकार ने लोगों के निर्णय को भली भांति समझा है। इसलिये सरकार की स्थिरता सुनिश्चित है और यदि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये बल देती है तो उसे आगे भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

जहां तक मेरे दल का संबंध है तो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस सरकार को हमने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। हमारा समर्थन लोगों के निर्णय पर आधारित है और लोगों का निर्णय था कि

कांग्रेस (आई) को सत्ता से हटाया जाए। मेरे विचार से आने वाले समय में कांग्रेस दल के समक्ष और भी समस्याएं आएंगी और कांग्रेस दल का सफाया हो जाएगा।

सभापति महोदयः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषण संक्षिप्त में दें क्योंकि प्रधानमंत्री 5 बजे वाद-विवाद का उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): जहां तक सम्भव हो सके, आप कम से कम प्रत्येक दल के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदयः मैं भी यही कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में कहें।

श्री जी० एम० बनातवालाः आपको यह अनुरोध पहले करना चाहिए था। अब, हमें इससे नुकसान है।

श्री प्यारे लाल हन्डू (अनन्तनाग): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही दुःख की बात है कि मेरा नाम लेने के पहले ही मुझे अपने वक्तव्य को संक्षिप्त में कहने के लिये सावधान किया गया है। वास्तव में यह चेतावनी कुछ समय पूर्व दी जानी चाहिए थी। जिससे शायद इस चर्चा के कारण जो माहोल उत्पन्न हुआ था वह नहीं होता। फिर भी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपने आप को संक्षिप्त रखूंगा। लेकिन यहां उठाए गए कुछ मुद्दों के संदर्भ में जो बातें उठायी गयी है उसे सामान्य तौर पर मेरे द्वारा ध्यान में लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हमारे अभिन्न मित्र श्री आडवाणी ने कहा है कि वर्तमान प्रस्ताव की उतपत्ति गणतंत्र के राष्ट्रपति के निर्देश पर हुई है। इस कारण इसकी कुछ अपनी परिसीमाएं हैं जिसके तहत हम इसके पक्ष और विपक्ष में अपना अवलोकन कर सकते हैं। चाहे आप इसे मेरी थोड़ी सी धृष्टता समझें फिर भी, मैं अपनी कुछ बातें कार्यवाही वृतान्त में शामिल करना चाहूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हम जैसे नौसीखियों, जो पहली बार संसद सदस्य चुने गये हैं, की भावनाओं को भली भांति व्यक्त किया है। सुबह से मैंने जो यहां देखा है उससे मुझे प्रसन्नता नहीं मिली है अपितु उसने मुझे परेशान और भयभीत किया है। एक बार फिर हम जोर-जबर्दस्ती की राजनीति, जो हम सड़कों पर महसूस करते हैं को संसद भवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी श्री इन्द्रजीत गुप्त की भान्ति यही चाहूंगा कि जब हम किसी विषय पर वाद-विवाद कर रहे हों तब एक दूसरे के भाषण में बाधा नहीं डालनी चाहिए। एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है जो कि शायद भारतीय संसद पहली बार अनुभव कर रही है कि आठ दिन की सरकार संसद से विश्वास मत प्राप्त कर रही है। यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे राष्ट्रपति के लिए यह शर्त रखना आवाश्यक हो गया जो सन् 1950 से जब संविधान लागू किया गया था, तब से नहीं रखी गयी। इसका भी अपना ही कारण है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय हमें इस विषय पर भी चर्चा करनी होगी। इस समय मैं केवल इतना कहूंगा कि एक अनोखी स्थिति बन गयी थी जिसके कारण यह शर्त लगानी पड़ी। राजा साहब बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उनके ऊपर जो दायित्व सौंपा गया है उसको प्रथम अवसर पर पूरा करके ठीक ही कर रहे हैं।

ऐसा करने के बाद प्रत्येक का यह अधिकार हो जाता है कि वह यह कहे कि हम प्रस्ताव का सर्मथन करते हैं या कहें कि हमें प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहना है या हम इस का विरोध करते हैं। लेकिन इस बीच सरकार की स्थापना के साथ ही एक गलतफहमी शुरू हो गयी और यह हमें परेशान कर रही है।

अभी हमने एक फारवर्ड ब्लाक के साथी का सैद्धान्तिक भाषण सुना कि अल्पमत सरकार नयी बात नहीं है ना ही यह इस देश में और विश्व में नई बात है। लेकिन हमारे देश में जो नई बात है, वह यह है कि

एक अल्पमत सरकार जिसका अपना चुनावी घोषणापत्र है, कम्युनिस्टों का घोषणापत्र है और भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणापत्र है, प्रतयेक पार्टी अपने-अपने घोषणापत्रों, लोगों को दिये गये वचनों को पूरा करना चाहती है। आज जिस बात को सुनकर हैरानी हुई वह यह है कि कामरेड गुप्त ने यह कहा कि विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किसी भी सरकार के लिए मतदान नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान का आशय यह है कि यदि ऐसा फैसला होता है तो हम फिर लोगों के पास जायेंगे और उनका निर्णय प्राप्त करेंगे चाहें वह निर्णय इस दल के पक्ष में हो या किन्ही अन्य दलों के पक्ष में। उदाहरण के लिए राजा साहब के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही जनता दल के एक सम्मानित नेता द्वारा यह कहा गया कि देश का भविष्य अंधकारमय है यह मुझ जैसे व्यक्ति को जो काश्मीर जैसे उत्तरी राज्य का प्रतिनिधि है को सोचने पर मजबूर करता है। यह क्या बात है कि दल के नेता या अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी जाती है और उसी दल के उपाध्यक्ष कहते हैं कि ऐसा निर्णय चाहे ले लिया गया हो लेकिन जो मैं देखता हूँ वह राष्ट्र का अंधकारमय भविष्य है विश्वास कीजिए, जो लोग अभी तक संसदीय जीवन के अभ्यस्त नहीं हुये हैं, सोचने को मजबूर हैं कि "यह क्या हो गया" यदि ऐसी बात है तो जनता दल इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। क्या हम राष्ट्र के अंधकारमय भविष्य के लिए ही उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित कर रहें है?

इसे भूल जाईये। इसके तुरन्त बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। गृहमंत्री की पुत्री का अपहरण हो जाता है। गृहमंत्री मेरे निजी मित्र हैं। हम एक ही जिले और एक ही चुनाव क्षेत्र से हैं, हलांकि दुर्भाग्यवश उन्होंने कश्मीर से चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। वह बनिहाल तक चुनाव लड़ने आये, वह पुंछ में चुनाव लड़ने गये लेकिन उनकी बनिहाल सुरंग से होकर अंनतनाग जिले तक चुनाव लड़ने के लिए पहुंचने का साहस नहीं हुआ जो उनका अपना क्षेत्र है। मैं इस बारे में जब मौका आयेगा अध्याय दर अध्याय बताऊंगा। लेकिन अभी उनकी पुत्री का अपहरण हुआ। यह बहुत अफसोस की बात है लेकिन ऐसा आरोप लगाना कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जैसा कि राष्ट्र पहले लेता आया है, ऐसी बात है जो राजा साहब की सरकार को उनकी सरकार बनने के तुरन्त बाद शोभा नहीं देती। मैं इस बात का उल्लेख करूंगा क्योंकि यह मेरा उत्तरदायित्व है कि सच्चाई को इस पुनीत सदन के समक्ष लाया जाये। मैं यह भी चाहूंगा कि जनता दल के सदस्य भी गृह मंत्री से तथ्यों का पता लगायें और सच्चाई मालूम करें। जो पवित्र है वह है वास्तविक तथ्य। निष्कर्ष आपके अपने हो सकते हैं। आप कोई भी निष्कर्ष कश्मीर सरकार के विरुद्ध, कश्मीर के मंत्रियों के विरुद्ध निकाल सकते है। लेकिन तथ्यों का पता लगाते समय भगवान के लिए कश्मीर के साथ न्याय कीजिए। कश्मीर मंत्रिमंडल के साथ न्याय कीजिए। डा॰ फारूक अब्दुल्ला के साथ न्याय कीजिए। हम आपको पूरी बात बता देंगें और हम यह भी चाहेगें कि गृहमंत्री भी आपको पूरी बात बताएं। दुर्भाग्यवश, आज जब मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो हिमाचल प्रदेश के मेरे परम मित्र ने राज्य के कुछ भागों में पाकिस्तानी झंडों के फहराने का जिक्र किया। ऐसी बात नहीं है कि यह सच नहीं है यह सत्य है ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया शांत रहिये।

श्री प्यारे लाल हन्डू: मैं पूरे दायित्व के साथ यह बात दोहराऊंगा कि एक बार नहीं, अनेकों बार पाकिस्तानी झंडों को कश्मीर की सड़कों पर फहराया गया है लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन मुझे जिस बात पर आपत्ति है वह यह है कि वह यह कह रहे है वह यह पंजाब समस्या का ही परिणाम है। कश्मीर समस्या क्या है? पंजाब समस्या क्या है? मैं पाता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्य संभालने के दिन से एक बार भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंनें कश्मीर में आंतकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है वे पंजाब के संबंध में भी आंतकवाद शब्द ? ? प्रयोग नहीं कर पाये हैं। कश्मीर समस्या क्या है? **(व्यवधान)** पिछले 3-4 वर्षों से वहां आंतक की स्थिति है। वहां के आंतकवाद के संबंध में आप बात क्यो नहीं करते। आप पंजाब में

आतंकवाद की बात क्यों नहीं करते? यदि आप वास्तव में समस्या का समाधान चाहते हैं तो राष्ट्र में वास्तविक समस्या सम्प्रदायिकता की है। जब तक आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि साम्प्रदायिकता देश के लिए खतरनाक है तब तक इस गलतफहमी में मत रहिये कि आप कश्मीर समस्या सुलझा पायेंगे या आप पंजाब समस्या सुलझा पायेगें। यदि आप सभी तो राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान चाहते है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर एक-एक करके मैं आपको इनके बारे में बता सकता हूं। कश्मीर राज्य को पहले ही बहुत क्षति पहुंची है। दिल्ली में आज ही नहीं 1952 से निर्णय लिये जातें रहें है। आपको इन निर्णयों की समीक्षा करनी पड़ेगी और यह मालूम करना पड़ेगा कि हम कितना आगे गये है और कितना पीछे हटे है।

आप ने बार-बार अनुच्छेद 370 का जिक्र किया है इस बात को जानते हुये कि वह दिन अब लद चुके जब इससे निबटा जा सकता था, जब इस बारे में विचार किया जा सकता था। यदि आप अपने भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, उससे प्यार करते हैं। जब कोई अनुच्छेद 370 को नहीं बदल सकता यह कार्य संविधान सभा का था। इसके न किये जाने पर अब कोई ऐसा नहीं कर सकता।

अतः जब आप कश्मीर समस्या की बात करतें है, तब आप कश्मीर में आतंकवाद की बात करते हैं। जब आप पंजाब समस्या की बात करते हैं तब आप पंजाब में आंतकवाद की बात करते हैं। मैंने आज पंजाब की अपनी बहन को सुना। इन बातों को जानकर अफसोस होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सारा भाषण उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। मैं एक होस्टल के कमरे में 18 युवा व्यक्तियों की हत्या को क्या कहूं। क्या यह कांग्रेस का काम है? क्या यह पुलिस राज था? क्या यह पुलिस की ज्यादती थी? आप लोग पंजाब के इस पक्ष को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। इस तरह तो पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। आप समाधान बताइये। हम उसका स्वागत करेंगे हमें आपका साथ देकर खुशी होगी। लेकिन यदि आप आंतकवादियों से पीड़ित लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर देंगे तब आप पंजाब समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। आप कुछ समय के लिए प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन अभी से अवसरवादिता का एक पुट आपकी राजनीति में शुरु होने लगा: है और कौन जानता है कि इसके क्या परिणाम होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब भी कश्मीर की चर्चा हो कृपया इस मूल प्रस्ताव के जरिये कीजिए। इसे अनौपचारिक तरीके से शून्य काल में मत उठाइये।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन (दुमका): सभापति महोदय, मैं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा की ओर से श्री वी॰पी॰ सिंह जी की सरकार को समर्थन देते हुए कहना चाहता हूं कि आज हम यही इस हाउस में जनता से चुन कर आये प्रतिनिधि हैं और हम लोग महसूस करतें हैं कि जनता ने अपने ख्यालात से हमें भेजा है, उनकी सुविधा के लिए और आज हम लोग बहस कर रहे हैं और सरकार के समर्थन पर बहस जारी है। पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।

बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता इस बड़ी विशाल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जनता की पार्टी, गरीबों की पार्टी और पिछड़े लोगों और दलितों की पार्टी नहीं समझती। हम उस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग के लिए बहुत सारा रुपया देश का खर्च होता है। हरिजन आदिवासी, अल्पसंख्यक और हम उस इलाके से आते हैं जहां खनिज-पदार्थ और कल-कारखाने हैं। हम कांग्रेस सरकार, जो बिहार में है, अभी वर्तमान या इसके पहले और केन्द्र की सरकार भी, उसने कभी हम लोगों पर, हमारे विकास पर विचार नहीं किया। इसलिए देशवासियों का ऐसा विवेक रहा है कि देश में ऐसी सरकार बने, जिससे आम लोगों को अपनी बात को कहने का मौका मिले और अपनों की भावना के मंशी रहें तथा उनकी बात को सुना जाए।

यह बहुत स्पष्ट है कि आज एकता और अखंडता की बात हम लोग करते हैं, वह आज हम बिल्कुल सच्चाई से ऊपर देख रहे हैं। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को छोटे-छोटे दलों का समर्थन है। क्यों? क्योंकि छोटे दल हों या इनके साथ और सहयोगी दल हों, जो वामपन्थी बीजेपी दल आदि हैं, वे अब एक स्वर से बोलते हैं, क्या ये सारे लोग मूर्ख हैं। क्यों समर्थन देते हैं, इसलिए कि देश की जनता चाहती है। परिवर्तन चाहती है और न्याय की तलाश में है। महोदय, जहां तक और पार्टियों का सवाल है, हम लोग चुनाव लड़े हैं, पार्टी की बात हम करते हैं, नेताओं की बात हम करते थे, लोग बात करते थे कि अब क्या होगा कि रात-रात भर के अन्दर एक किलो खाद्य पदार्थ का भाव एक रुपया से पांच रुपए बढ़ता है। वे यह महसूस करते हैं। ये सब बातें हम लोग कहते थे, लेकिन अब उन को सांस लेने का मौका मिला है। आज जिस शासनतन्त्र के अन्दर हम लोग रहते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में प्रजातन्त्र नहीं है, यह पुलिसतन्त्र है। अनायास रिइफल लेकर चैकिंग होती। क्या बात है, हम तो भला आदमी है। भले आदमी का कोई मतलब नहीं है, आपकी चैकिंग करना पहले मेरा मतलब है। ये सब चीज़ें जो दिल्ली में होती थीं, और दूसरे राज्यों में होता था, तो अब बदलाव की बात है। सत्ताधारी जो पहले कांग्रेस पार्टी के लोग थे, इनको मान लेना चाहिए कि आज जनता सर्वोपरि है। इसको हम लोग मानकर चलते हैं कि आप कभी इधर और कभी आप इधर। पांच साल का मामला है, तो जनता के मन को, जनता की इच्छा को, इनके अनुसार चलने देना चाहिए। हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, फंसे हुए हैं, हम लोगों को बड़े राज्यों को छोटा राज्य बनाने की बात कही गई है, जनता दल की तरफ से या सभी लोग, बीजेपी के लोगों ने कभी कहा है, हम लोग झारखण्ड अलग प्रान्त मांग रहे हैं। सर्वविदित है, मैं इस आशय से चुन कर आया हूं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह सरकार गहराई से इस पर विचार करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या है। छोटी-छोटी समस्यायें हैं। आज पंजाब की समस्या को हम लोग बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं। हम लोग भी समझते हैं, मैं भी उस वक्त एम पी था। हम समझते हैं कि अगर उनके साथ बार-बार वार्ता की जाती, उनको एहसास होता कि हमारी बात पर, उचित समस्याओं पर विचार होगा, तो ये हालात पैदा नहीं होते। हम लोगों ने आंखों से देखा है। सारे देश में जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बोकारो में तो इनकी बहुत दयनीय हालत रही है।

महोदय, कुल मिलाकर जब इस देश की जनता चाहती है और देश की जनता जब सर्वोपरि है, प्रजातन्त्र में हमें उनकी बात को, उनके आदेश को मानना चाहिए। और शांतिपूर्ण तरीके से सही बातों पर विचार करते हुए सरकार को चलने देना चाहिए। हमारी अलग राज्य की मांग है। मुझे विश्वास है कि हमारी बात पर विचार होगा। पिछड़े लोगों, आदिवासियों, हरिजनों के लिये जो रिजर्वेशन करके छोड़ दिया गया है वह काम पूरा किया जाएगा।

हम लोग विश्वास करते हैं कि यह सरकार विकास की ओर बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करेगी।

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): सभापति महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह सरकार बड़ी विचित्र स्थिति में बनी है जिसकी स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरी मिसाल मिलना संभव नहीं है। इस सरकार की अपनी ही समस्याएं और खामियां हैं। इन समस्याओं के समाधान पर ही यह सरकार बनी रह सकती है। यदि यह इन समस्याओं के समाधान में असफल रहते हैं, तब सरकार के लंबे समय तक चलने की संभावनायें क्षीण हो जाएंगी।

महोदय, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि हाल ही के संसदीय चुनावों में मतदाता ने एक निर्णय दिया है। इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि पिछले चुनावों में मतदाता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया है। उसने राष्ट्र के किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया है। दूसरी बात जो साबित हुई है, वह यह है कि आज श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी सबसे पहली बड़ी पार्टी है। अब जब श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र के प्रधानमंत्री की दौड़ से अपने को हटा लिया है, तब ही श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा और जनतादल के नेता हैं, ने सरकार बनायी है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति ने उनसे इस पुनीत सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा है। अतएव इन परिस्थितियों में सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा राष्ट्र एक बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे सामने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है। जैसा कि इंगित किया जा चुका है पंजाब की समस्या, कश्मीर की समस्या है और इनके साथ हमारे सामने सबसे गंभीर, ज्वलंत समस्या जो कि रामजन्म भूमि बाबरी मजिस्द की है यह सभी समस्याएं मौजूद हैं।

मेरी पार्टी मुस्लिम लीग के मुताबिक हमारे राष्ट्र के सामने गंभीर और चिंताजनक समस्या साम्प्रदायिक हिंसा की है। महोदय, किसी ने यहां कहा था कि साम्प्रदायिकता खतरे में है। साम्प्रदायिकता क्या है? किसी ने अभी तक इसे परिभाषित नहीं किया है और बिना साम्प्रदायिकता को परिभाषित किये किसी अल्पसंख्यक पार्टी की भर्त्सना करने को सहन नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी की भर्त्सना करना चाहते हैं, तो हमें साम्प्रदायिकता की परिभाषा निश्चित करनी चाहिए। बिना साम्प्रदायिकता को परिभाषित किये, हमें इस राष्ट्र के अल्पसंख्यक संगठनों की आलोचना का कोई अधिकार नहीं है। आज राष्ट्र में क्या स्थिति है? इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जान-माल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। भागलपुर में क्या हुआ? मुझे उसे यहां बताने की जरूरत नहीं है। मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि हजारों-हजारों लोग वहां मारे गये हैं। आज तक बुरी हालत में लाशों को निकाला जा रहा है। आज 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस गंभीर समस्या से निबटने की जरूरत है। लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया जाना चाहिए। उन्हें जान-माल की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। अतएव मैं यह कहूंगा कि आज यह राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।

मुझे इस सत्य का अहसास है कि श्री वी० पी० सिंह की वर्तमान सरकार अल्पसंख्यक सरकार है। बहुमत के लिए यह दो पार्टियों बी०जे०पी० और कम्युनिस्टों पर निर्भर है जो विचार धारा और स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत हैं जबकि बी०जे०पी० की विचारधारा फासिस्ट है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। मुझे मालूम है कि इन दोनों पार्टियों की विचारधारायें विपरीत हैं।, विपरीत नीतियां और विपरीत घोषणापत्र हैं। सच्चाई यह है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की दया और कम्युनिस्टों के दान पर टिकी है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो दल सरकार से बाहर रहने वाले दलों के सर्मथन से सरकार बना रहा है, यह एक पूर्ण संसदीय स्वरुप है।

यहां मैं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। यहां तक कि सरकारिया आयोग ने भी

ऐसी संभावनाओं की कल्पना की है। उन्होंने यह बात राज्यों के लिए कही है लेकिन यह केन्द्र के लिए भी उचित ठहरती है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 135 भाग-1 में यह कहा गया है राज्यपाल ऐसी स्थिति की अनुमति दे सकते हैं। प्राथमिकताओं के क्रमअनुसार लेते हुए ऐसी कल्पना की गई है।

"दलों द्वारा चुनाव के बाद का तालमेल, जिसमें गठजोड़ कर कुछ पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और बाकी बची हुई पार्टियां "निर्दलीयों" सहित उन्हें सरकार के बाहर रहकर सर्मथन देती हैं।"

ऐसी ही स्थिति आज सदन में है। इसलिए हम सरकार के स्वरुप पर विवाद नहीं करेंगे, हांलाकि इस बारे में हमारी अपनी आशंकाएं हैं। हम इस सरकार को मुद्दों के आधार पर सर्मथन देना चाहेंगे। हम श्री वी॰ पी॰ सिंह की सरकार के बर्ताव, रवैये और नीतियों पर आने वाले दिनों में नजर रखेंगे। अतएव हम हर मुद्दे को गुण-दोष के आधार पर परखेंगे। सरकार को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए समय देने के उद्देस्य से हम इस समय सदन में विश्वास प्रस्ताव का सर्मथन करेंगे। हमारी अपनी गंभीर शंकायें हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह सरकार की परीक्षा है और इसके कार्यों की हम लगातार समीक्षा करेगें। अतएव हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार कैसा कार्य करती है, मूलभूत राष्ट्रीय समस्याओं को सरकार कैसे सुलझाती है और किस तरह सरकार राष्ट्रीय सहमति बनाती है। राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में जो हल निकाले जायेंगे, उन पर और सरकार के कार्यों पर इस सरकार को हमारा सर्मथन देना निर्भर करेगा। तब तक के लिए मैं सरकार के अच्छे भविष्य की कामना करुंगा।

श्री वामनराव महाडीक (बम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय

अपने दल शिवसेना की ओर से सरकार में विश्वास के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मुझे अपने दल के अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव के समर्थन की अनुमति दी गई है। इस राष्ट्र पर पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस का शासन था। इस राष्ट्र के लोग इस शासन से पूर्णतः निराश हो चुके थे। हम इस शासन का अंत चाहते थे। अतः बिना किसी दूसरे विचार के, हम इस सरकार को अपना समर्थन देते हैं। लोगों का निर्णय, जो कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के पक्ष में गया है, इस बात को दर्शाता है कि लोग कांग्रेसी शासन से तंग हो चुके थे, जिसका मतलब था एक राजनैतिक दल का वर्चस्व।*

महोदय, आवश्यकता है धर्मनिरपेक्ष आधार पर राष्ट्रीय पुर्नगठन करने की। जिसका आशय है कि राष्ट्रीय राजनीति में अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की नीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांधी जी को स्वयं अल्पसंख्यकों की लड़ाई की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि श्री आंए द्वारा उनकी एक पुस्तक का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण समर्थन किया गया था। गांधी जी ने महसूस किया था कि उच्चतम न्यायलय का निर्णय हमारी प्रकट नीतियों के विरूद्ध जाता है।*

[हिन्दी]

अभी तो नहीं हो पाया है। वह कर रहे हैं और करने के लिए जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री होकर हमारे अंतुले साहब ने सर्व धर्म सभा बनाई। भगवान ने उनको जैसे अल्लाह का दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने माइनोरटीज़ प्रोटेक्शन करने का विभाग कैसे स्वीकार किया राजीव गांधी से, यह तो हमें मालूम नहीं। उनको कांग्रेस के नेता रखें या न रखें। जब वह कांग्रेस के बाहर थे तब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी बोला था, वह

* मूलतः पंजाबी में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमने सुना था। फिर भी हमें मालूम है कि उनकी निष्ठा उधर नहीं थी। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए भी बोला था और वह सब सेक्युलरिज्म पार्टी के ऊपर डाल दिया और तभी उन्होंने सिर्फ इन्सानियत के प्रोटेक्शन की बात कही। लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। आज जो बहुजन समाज इस देश में है उनको कोई चीज नहीं मिलती है, लेकिन अल्पसंख्यकों को सब चीजें मिलती हैं। हमारे नेता शिव सेना के बाल ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क में कहा था कि इंदिरा जी ने जो भूल की अमृतसर में पुलिस कार्यवाही करके, तो अभी उनको वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर माफी मांगी यह काम हमारे पी० एम० ने किया। इससे एक अच्छा वातावरण वहां बना है। पांच-छः बरस से जिन्होंने पंजाब को खतरे में डाला है उनकी तरफदारी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार ने पंजाब की समस्या का समाधान करने के लिए जो स्टेप उठाया है हम उनकी मदद करेंगे, यह हमारा काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। उन्होंने जो समर्थन दिया है हम भी वैसा ही कर रहे हैं। मैं बोफोर्स के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं...**(व्यवधान)**... हमारे परम प्रिय एक्स प्राइम मिनिस्टर जब बम्बई आये तो उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए करोड़ों रुपये दिये, लेकिन 40 बरस में जितने दिये उसका 85 प्रतिशत कोई न कोई खाता था। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला, न ही उन्हें पानी मिला। उनमें बेरोजगारी बढ़ती ही गई। जो नई सरकार आई है उसके आने से महंगाई का जो प्राइस लेवल है उसको कम करने की हमारे अर्थ मंत्री ने एलान किया है। इसका मतलब यह है कि जो वर्तमान सरकार है वह कांशिस है वह गरीबों की तकलीफ को कम करना चाहती है। इन्होंने महंगाई को कम करने का प्रयत्न नहीं किया था, उसका प्राइस इंडैक्स नीचे नहीं किया था। हमारे यहां बेलगांव सीमा का प्रश्न है। तीस साल हो गये, उसका समाधान नहीं हुआ। कर्णाटक में इनका राज है, महाराष्ट्र में भी इनका राज है चाहे तो दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री बैठकर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने न कियां और न करेंगे। हमारे बैरिस्टर अंतुले ने भी नहीं किया। यह एक अच्छे लायर हैं। लेकिन इन्होंने यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं इसका माइंड नहीं करता। हालांकि वह एक अच्छे बैरिस्टर हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसी महाजन ने आह्वान आवाज की, तो वैसे ही इस बारे में कुछ करें तो अच्छा होगा। फिर राम जन्म भूमि का उन्होंने प्रश्न किया कि क्या करेंगे। राम जन्म भूमि के बारे में सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय दिया है, वह सुप्रीमकोर्ट का निर्णय मानना है या नहीं, जब एक बैरिस्टर कानून की बात बोलता है, उसे मानने के लिए हुकुमत चाहिए कि जब उस कानून के विरोध में या उस निर्णय के विरोध में कोई जाता है, उसको क्या करना चाहिए, वह सलाह भी कांग्रेस को मिले, तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा हो जाएगा।

5.00 म० प०

दूसरी बात यह है कि कानून सब लोगों के लिए एक होना चाहिए कॉमन सिविल लॉ, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। एक शाहबानो केस में सुप्रीमकोर्ट ने उसे मैंटिनेंस दिया, लेकिन इधर इन्होंने, कांग्रेस वालों ने कानून ऐसा बनाया कि उसको बदल दिया और कानून के बजाय शरायत से काम लिया। जब कांग्रेस की ऐसी स्थिति रही है, तो यह ठीक नहीं है। इसी तरह से हमारी सरकार जो होगी वह कानून के अनुसार काम करने की कोशिश करेगी। वह सब समस्याओं को कानून और न्याय से हल करेगी और उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि जो यहां राज-करेगा वह ऐसा करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वह देश जिन्दा रहेगा। इन्होंने हमको सिखाया है — मेरा देश महान, वह हम मानते हैं, हमारा देश महान है और उसका नाम हिन्दुस्तान है, लेकिन इन्होंने पैसे में ध्यान नहीं रखा है,...**(व्यवधान)**... इसलिए स्वतंत्रता मिले, तो हमें सबका ध्यान रखना है। यही मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदयः अब माननीय विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल द्वारा एक वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री दिनेश सिंह (प्रताप गढ़): सभापति महोदय, इससे पहले कि आप माननीय विदेश मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहें, मैं आपका ध्यान आज सुबह संसदीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा। पनामा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पनामा में संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं। सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया पहले ही दे दी है। अब जब कि संसद का सत्र चल रहा है, यह सरकार की परंपरा है कि इस तरह का वक्तव्य पहले संसद में दिया जाये न कि बाहर। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह वक्तव्य बाहर दिया गया था और यह कहां दिया गया था और क्या यह वही वक्तव्य है जो मंत्री महोदय देने जा रहे हैं या यह कोई और वक्तव्य है।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): इस मुद्दे पर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान दिलाया है। अभी तक सदन के बाहर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह पहली बार है कि सरकार कोई अधिकारिक वक्तव्य दे रही है।....**(व्यवधान)**

सभापति महोदयः वह इससे इनकार कर रहे हैं, इतना पर्याप्त है।

श्री पी० चिदम्बरमः महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। मैं समझता हूं, हमने ऐसा ही सुना। हमें आलेख मिल गया है। आलेख में वही कहा गया है, जो हमने सदन में सुना कि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया पहले ही जारी कर दी है। यदि इसकी प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है, तब उन्होंने सदन को गुमराह किया है या उनको यह पता नहीं है कि सरकार क्या कर रही है? यदि इसे सदन के बाहर जारी किया गया है तब यह विशेषाधिकार का हनन है और यदि यह बाहर जारी नहीं किया गया है तो यह सदन को गुमराह करना है।

श्री इन्द्र कुमार गुजरालः सुबह जब वक्तव्य तैयार किया गया था, तब मैं इसे सदन के ध्यान में लाया था और मैं यह कहूंगा और आपकी अनुमति से मेरा निवेदन है।

5.05 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पनामा में अमरीकी हस्तक्षेप के बारे में

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): 20 दिसम्बर को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह लगभग 11.30 बजे अमरीकी सेनाओं ने पनामा में सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति बुश ने पनामा में अमरीकी सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था ताकि "वहां रहने वाले अमरीकियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जा सके, पनामा कैनल संधियों की अखण्डता बनाए रखी जा सके और जनरल मैनुअल अंतोनियो नोरिइगा को हिरासत में लिया जा सके"।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पनामा में अमरीकी सैनिक कार्रवाई चल रही है और लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार पनामा में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप के प्रति अत्यन्त चिन्तित है और वह इस कार्रवाई की

निन्दा करती है। हमें इस बात का भी दुख है कि इस कार्रवाई से पनामा में भोले भाले लोगों की जानें गई हैं। **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम): यह सार्वजनिक भाषण क्या हो रहा है? वह क्या कह रहे हैं? हमें कोई प्रति नहीं मिली। **(व्यवधान)** महोदय, आप कैसे इसकी अनुमति दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: वक्तव्य समाप्त होने पर प्रतियां बाँट दी जाएंगी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: जैसा कि सदन को मालूम है भारत राज्यों के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त और विवादों के समाधान के लिए शक्ति का इस्तेमाल न करने के सिद्धान्त के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। भारत ने हमेशा यह कहा है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए बातचीत हीं सबसे बढ़िया रास्ता है और यही बात पनामा की स्थिति और मध्य अमरीका की समस्याओं पर भी समान रूप से लागू होती है। हमारी स्थिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप भी है जिसका कि संयुक्त राष्ट्र के सभी देश समर्थन करते हैं।

भारत सरकार आशा करती है कि अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप शीघ्र समाप्त होगा और अमरीकी सेनाओं को शीघ्र ही हटा लिया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि सदन यह चाहेगा कि जनता के लिए पनामा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना शीघ्र संभव हो सकेगी।

पनामा की आन्तरिक स्थिति भ्रामक बनी हुई है और हम अपने राजदूत से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्री पी॰ चिदम्बरम (शिवगंगा): महोदय, सरकार अब एक नई प्रथा कायम कर रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कभी नहीं...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: जब उनसे अन्तिम खबर मिली थी उस समय हमारी चांसरी के समीप गलियों में लड़ाई चल ही रही थी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मिशन के सभी लोग सुरक्षित हैं। जहां तक पनामा में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों का संबंध है उनकी जान हानि की कोई भी खबर हमारे मिशन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली): महोदय....

सभापति महोदय: यहां इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरा एक निवेदन है। मैं जानता हूँ कि...

[हिन्दी]

यहां की जो परम्परा है उसमें मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। मैं यहां का एक कनिष्ठ सदस्य हूं, जूनियर मैम्बर हूं। लेकिन मैं उस सदन में इतने साल रहा हूं कि मुझे लगता है कि उस सदन में जो परम्परा बरसों से बनी हुई है और जिसको वहां पर बनाए रखा गया है उसको अगर यहां पर भी आरम्भ कर दिया जाए तो अच्छी बात होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यदि आप सभी सहमत हैं, तो नियम समिति इन सभी मामलों पर निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवानीः मेरा सुझाव है कि नियम समिति इस पर विचार करे कि मंत्री जी के जो वक्तव्य होते हैं तो उस समय स्पष्टीकरण का एक अवसर सब सदस्यों को मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री आडवाणी, आप की बात अच्छी तरह समझ आ गई है। इसको नियम समिति के समक्ष रखा जा सकता है जहां हम निर्णय ले सकते हैं। यदि आप सभी स्वीकार करते हैं तो मझे कोई आपत्ति नहीं है।

अब हम विश्वास मत पर पुनः चर्चा आरंभ करते हैं।

5.08 म॰ प॰

मंत्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव— (जारी)

श्री गोपालराव मायकर (पणजी): सभापति महोदय, मैं सब से छोटे राज्य और सब से छोटे दल महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल के इकलोते सदस्य के रूप में वाद-विवाद में अपना तर्क प्रस्तुत करने नहीं किंतु अपनी जनता अथवा दल के विचारों को व्यक्त करने उठा हूँ। मैंने विभिन्न दलों के वरिष्ठ सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुन लिए हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि विपक्षी दलों ने जिन दलों की सदस्यता के संबंध में शंका व्यक्त की थी उन्होंने प्रधान मंत्री तथा उनके दल के प्रति अपना पूरा पूरा समर्थन सुस्पष्ट रूप से इसलिए व्यक्ति किया है क्योंकि राजनीतिक निन्दक सामान्यतः एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो बाहर से अविश्वास का होता है और इस प्रकार भी धारणा रखते हैं कि यह मिली जुली सरकार की सर्वसम्मति टूट जाएगी। वरिष्ठ सदस्यों और पंजाब से आई हुई बहन द्वारा दिए गए भाषणों को सुनकर इस बात का ढाढस बंध गया कि सरकार दृढ़ता से कार्य आरंभ कर रही है।

सभापति महोदय, गोआ के सदस्य के रूप में, मैं गोआ की जनता के विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि चुनाव प्रचार में यद्यपि हमने महाराष्ट्रवादी गोमान्तक दल के सदस्यों के रूप में क्षेत्रीय मुद्दों को दाँव पर लगाया, हमने राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों अर्थात आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बराबर काम किया है, अतः यह मेरा कर्त्तव्य है कि संसद सदस्य के रूप में और जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं केन्द्र में बनी हुई नई सरकार को अपना पूरा-पूरा समर्थन व्यक्त करूँ।

सभापति महोदय, इस से जनता के मन में नई आशा उत्पन्न हुई है। मुझे सड़कों पर आम आदमी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसको कोई राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी किंतु सत्ता में आने वाले भावी व्यक्ति पर पूरा विश्वास है। उसने हमारे नए प्रधान मंत्री पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और मेरा विचार है कि जहां तक भारत की जनता का संबंध है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महोदय, श्री अन्तुले ने जो कुछ आज सवेरे कहा मैंने वह तन्मयता से सुन लिया। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस बात से क्या हानि होगी कि यदि विपक्षी दल एक होकर अल्पसंख्यक सरकार का समर्थन करें। क्या सम्बद्ध दलों की ओर से राष्ट्र के हित में ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यदि हम इसको एक प्रयोग भी

कहें, तो सम्भवतः यह देश के लोकतांत्रिक जीवन में एक ऐतिहासिक अवसर है और मैं समझता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए अन्य सभी देशों के समक्ष यह एक उदाहरण होगा। श्री अन्तुले द्वारा प्रस्तुत किया हुआ तर्क सभा के लिए नई बात नहीं है। मुझे कांग्रेस (इ) द्वारा दो पृष्ठों पर चुनाव प्रचार के रूप में प्रकाशित विज्ञापन याद है जिसमें श्री अन्तुले द्वारा कही गई बातें थीं। इसे जनता ने पूर्ण रूप से अस्वीकार किया और इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। श्री देवीलाल और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति का जो मजाक किया गया था वह सभा के लिए शुभ नहीं था।

महोदय, जनता के मन में एक नई आशा उत्पन्न की गई है और मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष इस बात को लोकतान्त्रिक ढंग से स्वीकार करेगा। मैं इस बात की भी आशा करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि वे सदा सरकार को रचनात्मक समर्थन देंगे। गोआ से एक सदस्य के रूप में मैं गांधी जी के अहिंसा, सच्चाई और प्रेम के सिद्धांतों को दोहराना चाहता हूँ। मैं श्री अन्तुले की इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हुआ जब उन्होंने कांग्रेस का उल्लेख किया और इसे गांधी और नेहरू की कांग्रेस बताते हुए इस का गुणगान किया। यदि आप गोआ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस कांग्रेस-इ मंत्रालय द्वारा सभी स्थानों पर मधुशालाएं और मदिरा की दुकानें खोल दी गई हैं। वहां इस कांग्रेस-इ सरकार द्वारा मदिरा की दुकानें अधिक हैं और कॉफी और चाय की दुकानें बहुत कम हैं अतः मैं समझता हूं कि उन्हें महात्मा गांधी का नाम लेने का न तो कोई कानूनी और न ही नैतिक अधिकार है। श्री वामनराव महाडीक ने महाराष्ट्र-कर्नाटक की समस्या का उल्लेख किया। गत तीस वर्षों से वे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा महाराष्ट्र विलय हो जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह नई सरकार लोकतन्त्र पर पूरा विश्वास करेगी और इस समस्या की ओर उचित ध्यान देगी जिससे महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी।

महोदय, अपनी जनता की इच्छा से मैं महाराष्ट्र के एक अत्यन्त महान आध्यात्मिक नेता, श्री ध्यानेश्वर के एक महान भजन का आह्वान करता हूं। उन्होंने **गीता** की अपनी व्याख्या, "**ध्यानेश्वरी**" में यह कहा:—

"दुरिताथे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो।
जो जे वाछील तो ते लाहो। प्राणीजात।"

कितनी महान प्रार्थना है यह विश्व भर के लिए। वह कहते हैं: "हमारे जीवन से पाप का अन्धकार अथवा बुराई का अन्धकार मिट जाए; सदाचारी का सूर्य सदा हमें अपना प्रकाश देता रहे; प्रत्येक व्यक्ति न केवल मानव परन्तु प्रत्येक प्राणी की इच्छाओं की पूर्ति हो।" मेरे विचार से सम्भवतः इस पुनीत सदन में हमारे आने का यही आदर्श वाक्य है। मैं पुनः एक बार सरकार के प्रति अपना पूरा विश्वास व्यक्त करता हूं और प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, यद्यपि केरल कांग्रेस दल को एक ही स्थान प्राप्त है, फिर भी यह वह सभी स्थान प्राप्त कर सका है जिन पर इसने चुनाव लड़ा है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। अब सत्तारूढ़ दल की सरकार, जो बहुमत प्राप्त अल्पसंख्यक सरकार है जैसा कि उनके नेताओं ने स्वीकार किया है तथा दोहराया है। यदि हमारे संविधान ने इसे माना है, स्वीकार किया है तथा मान्यता प्रदान की है परन्तु हमारी ऐसी सरकार है जिसको परस्पर विरोधी तथा विनाशक ताकतों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों को विदेशी एजेंट बताती है। मैं यह नहीं सोचता की हमारे प्रधान मंत्री देश का शासन चलाने के लिए "विदेशी एजेंटों" का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार बदले में कम्युनिस्ट कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक

ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं नहीं सोचता कि उस पक्ष के मेरे विद्वान साथी इस देश का शासन चलाने के लिए साम्प्रदायिक ताकतों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात् इन दलों के समर्थन से सरकार इस देश की ज्वलंत समस्याओं का किस प्रकार सामना करेगी। हमारा अनुमान है कि सरकार ने विश्वास के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा से पहले प्रस्तुत किया है जैसा कि दूसरों ने कहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए क्यों उत्सुक थी यद्यपि राष्ट्रपति ने केवल यही कहा था, "अपना बहुमत सिद्ध कीजिए।" बहुमत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के, जिसे सभा जल्द ही शुरू करेगी, पारित होने पर सिद्ध किया जा सकता था परन्तु सम्भवतः हमारे प्रधान मंत्री और सरकार यह मालूम करना चाहते थे कि भा॰ज॰पा॰ और वामपंथी मोर्चा दल उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह संदेहास्पद है जैसा कि कुछ विद्वान साथियों ने कहा है कि जब मुद्दे उठाये जायेंगे तो कम्युनिस्ट और भाजपा एक साथ ऐसे मुद्दों का समर्थन करेंगे। **(व्यवधान)** मैंने केवल यही कहा था कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में वे एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरी बात सुनने में क्या कठिनाई है। **(व्यवधान)**

मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या यह मंत्रिपरिषद् कसौटी पर खरी उतरेगी क्योंकि इसका ऐसी ताकतें समर्थन कर रही हैं जो इस देश के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों पर, एक मत नहीं हैं। उदाहरणार्थ ऐसी स्थिति में भी जब देश के समक्ष ज्वलंत समस्याओं पर एक साथ विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता है तथा हल नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ मामलों पर समर्थन देने वाले दलों का एक समान दृष्टिकोण नहीं होगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार का यह विचार है कि वे आम सहमति प्राप्त करेंगे। परन्तु यह आम सहमति किस प्रकार जुटायी जायेगी? यदि सभी दल तथा विभिन्न दल एक साथ विचार-विमर्श कर सामान्य विचार व्यक्त करेंगे तभी केवल आम सहमति जुटायी जा सकती है। हमें विश्वास है कि महत्वपूर्ण समस्याओं के संबंध में उनमें आम सहमति नहीं हो सकती है। वे सामान्य कार्यक्रम के बारे में मतदाता के सामने यह घोषणा नहीं कर सके कि हम सब ऐसी नीति का अनुमोदन करते हैं तथा हम सब अमुक नीति का समर्थन करते हैं। हमें इस मंत्रिपरिषद में कतई यह विश्वास नहीं है कि वे इस देश को अच्छा शासन प्रदान कर सकते हैं। समय के अभाव के कारण मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान से अनुपस्थिति रहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री ए॰ के॰ राय बोलें।

श्री ए॰ के॰ राय (धनबाद): सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

हमारे प्रधान मंत्री ने विश्वास के इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करके हममें से अनेक के सामने कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। विगत में हमने अच्छी, बुरी, बहुमत वाली और मजबूत सरकार देखी हैं परन्तु प्रत्येक सरकार के विरुद्ध कुछ ऐसे व्यक्ति अथवा दल होते हैं जो समर्थन अथवा विरोध के लिए मतदान किया करते थे। परंतु यह अल्पमत की सरकार है और मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि इस सरकार के विरुद्ध मतदान करने का किसी में साहस नहीं है। कम से कम उनमें इसके विरुद्ध मतदान करने का साहस होना चाहिए परंतु उस दल में, जो सत्ताधारी था और अब विपक्ष में है, भी इसके विरुद्ध मतदान करने का साहस नहीं है तथा उन्होंने अनुपस्थित रहने का निश्चय किया है। कुछ ऐसी विवशतायें हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस चुनाव ने पूर्व सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध निश्चित रूप से एक राय व्यक्त कर दी है। उन्होंने किसी एक दल में विश्वास व्यक्त नहीं किया है परन्तु परिवर्तन का निर्णय दिया है। परिवर्तन का यह निर्णय ऐसी

विवशता है जिसके कारण किसी में भी इस सरकार का विरोध करने का साहस नहीं है तथा यह इस तथाकथित कमजोर और अल्पमत की सरकार की अन्तर्निहित ताकत है।

विपक्षी दल के प्रस्तावक ने अनेक समस्यायें पैदा कर दी हैं तथा मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस-आई में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कम विवादास्पद व्यक्ति होने चाहिए। वर्तमान में कांग्रेस-आई विवादास्पद व्यक्तियों की प्रतिनिधि होने की शुरुआत कर चुकी है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह भी कहा गया है कि हमने विपक्षी तथा जनता दल सरकार चलाने के लिए एक कांग्रेसी उधार लिया है। प्रत्येक स्थान पर मुझसे कहा गया है कि कांग्रेस का विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेसी कहां हैं? उस तरफ कांग्रेस नहीं है। परन्तु केवल कांग्रेस-आई है। व्यक्ति बदल गये हैं, उनका चरित्र, प्रतीक, नाम और घोषणापत्र बदल गया है। वे पुरानी कांग्रेस की विरासत का दावा नहीं कर सकते। कुछ के अतिरिक्त वे कांग्रेस दल की, जिसने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है, विरासत का दावा नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्रता के लिए कष्ट उठाने वाले व्यक्ति उस पक्ष अर्थात विपक्ष से इस तरफ (सरकार की तरफ) अधिक हैं।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि वे समस्यायें जैसे बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि, पंजाब तथा साम्प्रदायिकता की समस्याएं और अन्य दूसरी बातें, जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, ऐसी नहीं हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सके। उन्हें रातोंरात हल नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं। परन्तु मैं यह भी नहीं कहता कि उन लोगों को अधिक आशा भी है। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ये समस्यायें विरासत में मिली हैं। उन्हें जनता के उत्थान के लिए उन सभी सामाजिक-राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी राजनीतिक इकाइयों में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस सरकार का असीमित दल है परन्तु उनके सीमित उद्देश्य हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री की योग्य प्रशासक अथवा कल्पनाशील नेता आदि के रूप में प्रशंसा नहीं करता। मैं नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के बारे में उनके प्रयास का निश्चित रूप से स्वागत करता हूं। यदि यह सरकार नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति शुरू करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कोई अच्छी सामाजिक और राजनैतिक योजना चलाने के लिए दूरगामी कदम उठाने पड़ेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन दलों के नेताओं तथा सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सभा के समक्ष प्रस्ताव के संबंध में इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन दलों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सभा में तथा सरकार बनाते समय अपना समर्थन व्यक्त किया है। कुछ आगे कहने से पहले मैं सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा के संबंध में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूँ। इसी सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जल्दबाजी में श्यामाप्रसाद जी के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं। परन्तु कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं सभा में खड़े होकर कहा था: "शायद मुझे ये टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए इसलिए इस भाग को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए।" तत्पश्चात श्यामाप्रसाद जी ने खड़े होकर कहा: "तथ्य यह है कि यह विचार श्री जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया है इसलिये इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने की आवश्यकता नहीं है।" हम यहाँ अनर्गल बातों के लिए चर्चा नहीं करते हैं। आज देश के समक्ष गम्भीर समस्या है तथा सभा का यह समय—मेरे विचार से हम जनता के, जिसने हमें देश तथा जनता विशेषत: श्रमजीवी वर्ग के समक्ष प्रमुख समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसके प्रत्येक मिनट का उपयोग करने के लिए भेजा है, आभारी हैं।

महोदय, उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी के शपथ ग्रहण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गयी हैं। शपथ ग्रहण के समय इस सभा में कुछ असंगत टिप्पणियां की गयी थीं। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया। आपतियां उठायी गयीं। उन्होंने विनिर्णय दिया कि यदि शपथ ग्रहण करते समय कुछ असंगत बातें कही गयीं तो शपथ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा'। मामला उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने भी अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का समर्थन किया।

5.30 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब राष्ट्रपति ने स्वयं ही अधिसूचना जारी कर दी है कि सभी शपथ व्यवस्थित हैं, तो मेरे विचार से बहस समाप्त हो जाती है। इस बारे में और बहस करने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस पार्टी की दलीलों को पुख्ता बनाने के मामले में मैं श्री अन्तुले जी की विशेषता से वाकिफ हूँ। मैं देखता हूं कि इसमें रेत अधिक और सीमेन्ट कम है। रेत की ही भान्ति उनकी दलीलें भी नहीं जुड़ रही हैं।

सरकार बनाने की दावत देकर विपक्ष के नेता ने जो कथित दरिया दिली दिखाई है, मैं जानना चाहता हूं कि यह दरिया दिली उस समय क्यों नदारद थी जब अन्तुलेजी इस बात के लिए परेशान थे कि यह सरकार बन कैसे गई।

वास्तव में मेरे बारे में शायद आपने इसी लिए कहा है कि मुझे उधार लिया गया है। बेशक, इस बात की उम्मीद न रखें कि यदि आप उधार लेते हैं तो आप वापस ले सकते हैं। किन्तु मुझे मनोविज्ञान की थोड़ी समझ है—और मनोविज्ञान यह है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता और जब भी चुनाव आता है, विपक्षी दल टिकटों के बंटवारे को लेकर अलग-अलग हो जाते हैं। वास्तव में वामपन्थी दलों और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों के सहयोग से आज जो कुछ हुआ है—उनकी भावनाओं को ठेस लगी है कि यह सरकार बन कैसे गई। उन्हें एक आशा थी। जिस समय राष्ट्रीय मोर्चे का गठन हुआ उस समय यह कहा गया था कि यह टिकेगा नहीं और इसे राष्ट्रीय टकराव कहा गया। यह हमारा मोर्चा था। हमें आत्म विश्लेषण करना होगा कि लोग राष्ट्रीय मोर्चे को क्यों भेजना चाहते थे और उस समय यह कहा गया "टिकटों का बंटवारा होने दो, जनता दल बिखर जाएगा।" मेरे विचार से इसी विचारधारा की वजह से विपक्षी दलों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इनके लिए नेता चुनना सम्भव नहीं होगा; उसके बाद वामपन्थी दलों और भारतीय जनता पार्टी दोनों का समर्थन पाना संभव नहीं होगा और यदि यह संभव हुआ तो वह मंत्रिमण्डल नहीं बना पाएंगे। और उस समय वह लोगों से यह कहेंगे कि इसी लिए वह यह सब कह रहे थे। वास्तव में, सारा खेल बिगड़ गया। इसलिए इतनी कड़वाहट है।

किन्तु, सवाल अब अल्पमत सरकार का है। जी हां, यह अल्पमत सरकार है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। हम यह बात स्वीकार करते हैं।

किन्तु, हमें यह केवल इसी संदर्भ में ही नहीं देखना है। हमें चाहिए कि हम इसे देश व्यापक राजनैतिक हालात के परिप्रेक्ष्य में देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस स्वतंत्रता आन्दोलन के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरी और इसके राजनैतिक ध्रुवीकरण ने हर चीज़ अपनी ओर खींच ली। अन्य दल इसके इर्द-गिर्द थे—और शायद जन आन्दोलन से उत्पन्न एक स्वतंत्रता आन्दोलन के पश्चात् एक विकासशील देश की स्थिरता के लिए वह स्थिति ठीक थी।

किन्तु दशक दर दशक वहीं स्थिति बनी रही और लोगों की इच्छाएं जागृत हुईं। मैं उनकी संख्या के

बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। जब हम देश की राजनैतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो यह केवल संख्या तक सीमित नहीं है। संख्याओं की जरूरत प्रक्रिया संबंधी मामलों में होती है किन्तु देश की स्थिरता के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती।

लोगों की आकांक्षाओं के कारण ही वास्तविक राजनैतिक विकल्प आते हैं और इन वास्तविक राजनैतिक विकल्पों के कोई फल प्राप्त नहीं हुए। हां, 1977 में ऐसा हुआ; किन्तु मेरा विचार है कि यह अभी विकास की प्रक्रिया में था। मैं यह नहीं मानता कि यह है ही नहीं। यह विकास की प्रक्रिया में है और इस समय अन्य दलों ने निर्णय लेना है जिन्होंने देश के सम्पूर्ण संदर्भ में काफी सोच विचार के बाद राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का निर्णय लिया है। मैं उनका आभारी हूं। इस बारे में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं; क्योंकि जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि लोग यह सरकार चाहते थे। आडवाणी जी ने कहा यह कुछ नीतियों और कुछ मुद्दों पर है। सोमनाथ जी ने भी यही कहा और कुछ सदस्यों ने अभी यही विचार प्रकट किए हैं। मेरे विचार से यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से भारतीय राजनीति की यह सर्वाधिक सुखद घटना है। इसलिए एक बार जब राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाया गया है कार्यक्रम कार्यान्वयन की बात उठी है और किसी भी स्थिति में आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: एक व्यक्ति को।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: जी हां, हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम भारतीय राजनीति को व्यक्तिगत राजनीति के स्तर से उठाकर मूल्यों पर आधारित राजनीति में परिपक्व होते हुए देखना चाहते हैं। आज मुझे यह देख कर खुशी है कि संख्याओं से ऊपर उठकर, पक्ष तथा विपक्ष में बैठे दलों से ऊपर उठकर इस देश में एक मुद्दा, एक बहस उठी है कि राजनैतिक समर्थन, नीतियों, कार्यक्रमों और उनके वास्तविक कार्यान्वयन के आधार पर दिया जाना चाहिए। किसी देश का भविष्य एक नाम के हिज्जों पर नहीं अटका होता बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किस दशा में है। क्योंकि, महोदय, मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन भर मेहनतकश लोगों के लिए जूझते रहे हैं। मैं जानता हूं कि केवल नामों में उनकी कोई रूचि नहीं है। यदि प्रधान मंत्री का नाम बदल गया है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अन्तर पड़ता है; या मंत्री का नाम बदल गया है तो इससे कोई अन्तर पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि सरकार बदली है, या प्रधान मंत्री या मंत्री बदले हैं या नहीं। किन्तु सवाल यह है कि मशक्कत करने वाले लोगों का जीवन बदलेगा या नहीं। मेरे विचार से जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं उन्होंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और संसद से बाहर लोगों के लिए यह सबसे बड़ी गारंटी है, जो यह सोचतें हैं कि इस सदन में केवल चर्चाएं ही नहीं होंगी बल्कि कुछ ऐसा होगा जिससे उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ेगा और उन्हें हम आशा की किरण दे पाएंगे। इसलिए, आज जो राजनैतिक ताकतों का नाजुक सन्तुलन प्रतीत होता है, हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए एक शानदार अवसर सिद्ध हो सकता है, व्यक्तिगत राजनीति से मुद्दों पर आधारित राजनीति में बदल सकता है। हां, कुछ समस्याएं हैं। स्थिति, विचार और संदर्श में मतभेद हो सकते हैं। जब सामाजिक-आर्थिक प्रणाली बहुमुखी है, तो राजनैतिक प्रणाली एकरूप कैसे हो सकती है। जब सामाजिक-आर्थिक प्रणाली बहुमुखी है, हमें समरूपी राजनैतिक प्रणाली की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के यह विरोधाभास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लक्षित होते हैं, किन्तु जब इन मतभेदों को आवाज दी जाती है और यह राजनैतिक प्रबन्ध का ही अंग है और राजनैतिक प्रबन्ध की दूरदर्शिता की यह परीक्षा होती है कि क्या विषमता में समानता पाई जा सकती है? वह समानता हमने पा ली है। यह हमारा सामूहिक प्रयत्न है, जब हम सर्वसम्मति की बात करते हैं, जब हम

सामंजस्य की बात करते है तो सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष से बढ़कर देश है और हम उन मुद्दों पर सर्वसमति और सामंजस्य की तालाश में हैं। यह अपने आदर्शों और सिद्धान्तों को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह कोई सौदेबाजी नहीं है और मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कि उनको कितनी कीमत अदा की गई है, अत्यंत विद्वेषपूर्ण और द्वदर्थक है। मेरे विचार संदेश की अखण्डता को बनाए रखने के लिए, कोई भी कीमत दी जा सकती है और यही वह कीमत है।

अतः, हम देख चुके हैं कि सरकार की विश्वसनीयता उसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, पिछली सरकार के सदस्यों की संख्या, स्वतंत्रतता के बाद, अब तक के इतिहास में सबसे अधिक थी। परन्तु वह संख्या भी कुछ नहीं कर सकी। इस सभा में जो संवाद है वह इस सभा की दीवारों तक ही सीमित नहीं है इसे 80 करोड लोगों तक पहुंचाना है, वह ही वास्तविक सभा है और राजनीतिक शक्ति वहीं से पैदा होती है, वहीं पर यह विश्वास और विश्वसनीयता है — किसी सरकार का वह ही आश्वासक है और कुछ नहीं, और मेरे विचार में, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम शेखी मारना नहीं चाहते हैं, हम विनम्रता से, आए हैं। और वहीं हमारा लक्ष्य होगा और वही हमारा प्रयास होगा।

और विचारों के बारे में उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में जब कोई वाद-विवाद नहीं होगा उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र, प्रकृति से ही तर्कसंगत है। हमें इसके स्वरूप को समझना चाहिए। विचारों का टकराव इसकी कमजोरी नहीं है बल्कि इसकी शक्ति है और हम देख चुके हैं जब विचारों का यह टकराव समाप्त हो गया तभी लोकतंत्र की हत्या भी हुई। न केवल लोकतंत्र बल्कि राष्ट्रीय हित भी खतरे में पड़ गया। हमें ऐसी एकता को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र ही कुचला जाए। लोकतंत्र के बहुत से मकबरों के पत्थरों पर 'एकता' खुदा हुआ है, अतः लोकतंत्र की राजनीतिक जीवंतता को बनाए रखना होगा जबकि राष्ट्रीय मुद्दों पर एकता होनी चाहिए। यही हमारा परिप्रेक्ष्य होगा और इस सरकार की राजनीति के प्रबन्ध की यही हमारी व्यापक मार्ग दर्शक रोशनी होगी।

अंतुलेजी ने मुझसे कई प्रश्न पूछे हैं। मुझसे पंजाब के बारे में पूछा गया है, मुझसे जम्मू और कश्मीर के बारे में पूछा गया है, मुझसे राम जन्मभूमी और बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा गया है। लेकिन अंतुलेजी, आपने प्रश्नों की पूरी सूची समाप्त नहीं की जोकि हमें विरासत में मिली है। शायद आप यहां कुछ देरी में आए हैं, अन्यथा आपको प्रश्नों की पूरी सूची की जानकारी होती, ठीक है, ये सभी प्रश्न हैं। जैसे ही हम इस पद पर आए और यहां तक कि हम इस पद पर भी नहीं आए थे बल्कि जब हम लोगों में थे, हमें उनकी जानकारी थी। हम भी उन प्रश्नों को स्वयं को सम्बोधित करते हैं। ऐसी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं। कई बार अथवा हर समय मुझसे कहा गया है, आपका विचार क्या है? लेकिन यदि ये आज ज्वलंत समस्याएं हैं तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह आग बहुत पहले की लगी हुई है तभी तो वे आज ज्वलंत समस्याएं हैं।

मेल-मिलाप की भी आवश्यकता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केवल युद्ध के समय इस प्रकार का प्रयास किया जाता है, यह युद्ध की ही स्थिति है जोकि बाहरी युद्ध नहीं है, यदि आप जम्मू और कश्मीर की स्थिति को देखें, अथवा पंजाब या आर्थिक, स्थिति को देखें कि इसे किस स्तर तक बिगड़ने दिया गया है, यदि आप भुगतान सन्तुलन की स्थिति को देखें, यदि आप बजट घाटे को देखें और विदेशी ग्रहन को देखें — मैं विपक्ष पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता बल्कि मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं विपक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे साथ बैठें तथा इन समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करें। मैं उन्हें अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं।

श्री राजीव गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ बैठकर और इन प्रश्नों

को हल करने के लिए इस आमंत्रण को स्वीकार करता हूं और उनको हल करने में हम रचनात्मक कार्य करेंगे। लेकिन हमें कुछ आश्वासन की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए एक आश्वासन यह कि वे लोग जो खालिस्तान की मांग करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अथवा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के संबंध में नरमी बरत रही है अथवा नहीं।

महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या धार्मिक कट्टरता जो कि फिर से बढ़ रही है, जब मीट की दुकानें और शराब की दुकानें बन्द करा दी जाती हैं, जब हिन्दुओं में पंजाब में छात्रावासों और अन्य चीजों को छोड़ने के लिए कहा गया है, उनसे किस प्रकार से निपटा जा रहा है? यह बात गत दो सप्ताहों में शुरू हुई है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार धार्मिक संस्थाओं में हथियारों और पृथकतावदियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कर रही है। ऐसे बहुत से अन्य प्रश्न हैं जोकि मैं पूछूंगा — जोकि शायद मैं किसी अन्य अवसर पर पूछूंगा — लेकिन माननीय प्रधान मंत्री ने इन प्रश्नों को टाल दिया है और उनका उत्तर नहीं दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब में 'पृथकतावाद ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुख की बात है, **(व्यवधान)** हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं केवल इसका उल्लेख कर रहा हूँ।

लेकिन प्रधान मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन कश्मीर में वे पांच आंतकवादियों को छोड़ने के लिए तैयार थे जबकि इसके लिए कम कीमत हो सकती थी यह खेद का विषय है कि प्रधान मंत्री ने इन प्रश्नों के उत्तर देना आज टाल दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं सादर यह कहना चाहता हूँ कि अपने उत्तर को पूरा करने से पूर्व ही उसका पूर्व अनुमान लगा लिया गया है।

प्रो॰ मधु दण्डवते: उन्होंने आपके भाषण से ऐसा ही अनुमान लगाया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: जी नहीं मैं यह नहीं कहूंगा। मैं इन विषयों पर स्वयं ध्यान दूंगा और पहले ही हम उन पर ध्यान दे रहे हैं।

हाल ही में, हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इन विषयों पर हमने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी थी। हमने यह बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई थी कि पृथकतावादियों से समझौते का कोई प्रश्न ही नही है। हमने यह बात बहुत ही स्पष्ट ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव गांधी: लेकिन महोदय, उन्होंने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: महोदय, मैं अपील करुंगा कि विपक्ष के नेता कम से कम मुझे पांच दिन भी नहीं दे रहे हैं जबकि उन्होंने पांच वर्ष का समय लिया था।

श्री राजीव गांधी: आपकी अनुमति से, महोदय, जब कि राष्ट्र-विरोधी वक्तव्य दिया गया है, यह पांच दिनों का प्रश्न नहीं है, यह शायद पांच मिनट का प्रश्न है। यदि मैं अपनी बात को जारी रखूं तो जिन लोगों ने खालिस्तान की मांग की है, उन लोगों को पकड़ने के लिए पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल को अनुमति नहीं दी गई। प्रधान मंत्री हिचाकिचा रहे थे। भूतपूर्व राज्यपाल ने एक के बाद एक कई सन्देश भेजे। परन्तु उन्हें प्रधान मंत्री से कोई उत्तर नहीं मिला। भूतपूर्व राज्यपाल ने यहां तक कि प्रधान मंत्री से टेलीफोन पर भी बात की। प्रधान मंत्री ने उनको टेलीफोन करने का वायदा किया था और फिर उन्होंने उनसे बात नहीं की और परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति जोकि खालिस्तान की मांग कर रहा था, वह इस सरकार की हिचकिचाहट की वजह गिरफ्तार से नहीं किया जा सका।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: महोदय, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। मैं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। मैं इस सभा के प्रति उत्तरदायी हूं। और महोदय मुझे उत्तर देने में पांच मिनट का समय भी नहीं लगता यदि बीच में ही हस्तक्षेप न कर दिया जाता।

पंजाब के संबंध में हमारा पहला प्रयास यह होगा कि वहाँ ऐसा वातावरण पैदा करें.......**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: इससे सरकार की अनिश्चितता की स्थिति का पता चलता है

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: इसे सरकार की हिचकिचाहट या अनिश्चितता की स्थिति नहीं माना जाना चाहिए। जब हमने इस सदन से बहिर्गमन किया था तब हमारी संख्या 104 थी और आप सबने हमें कहा था कि बाहर निकल जाओ। तब हमने ही आपको अपना यह निर्णय सुनाया था कि बाहर आप ही जांएगें। और वह बात सच सिद्ध हो गई है। **(व्यवधान)** अतः उस संदर्भ में बात मत कीजिए। देश में किसी तरह का समझौता करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम पंजाब के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगें। हम सबके साथ न्याय करेंगे और यदि कहीं अन्याय हुआ है, तो उसे समाप्त करना होगा। जम्मू और कश्मीर के संबंध में.....**(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य: इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।**(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं तैयार हूँ......**(व्यवधान)**....एक मिनट रुकिए.....**(व्यवधान)** महोदय, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम वहाँ पहल कर रहे हैं। हम पंजाब गए थे और वहाँ पंजाब में बंदूकों की नहीं अपितु विश्वास की जरूरत है। यही अंतर है। यदि विचारधारा भिन्न है तो मैं, हम सब उस विचारधारा का समर्थन करते हैं....**(व्यवधान)** जब तक पंजाब की जनता के मन में विश्वास नहीं पैदा किया जाता तब तक वहाँ की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता और विश्वास से ही मैं पंजाब के समाज के हर व्यक्ति को.....**(व्यवधान)** महोदय, जहाँ तक होस्टल आदि का संबंध है, राज्यपाल को पूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। उस संबंध में कोई समझौता नहीं किया गया है। निर्देश दिए गए हैं और उसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं किया गया है। साथ ही, मैं समझता हूं कि......**(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी: स्पष्टीकरण कितना संक्षेप में किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं नहीं चाहता कि हर वाक्य के बाद मेरी बात में व्यवधान डाला जाए।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: शांति बनाए रखें और कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाएँ।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएँ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उन्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय: हाँ, श्री राजीव गांधी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए। मैं चाहता हूं कि वाद-विवाद सुव्यवस्थित ढंग से हो। प्रधानमंत्री ने उन्हें बोलने का अवसर दे दिया है। अब मैं श्री राजीव गांधी को बुला रहा हूँ। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी: मैंने यह समझा था कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल के अनुरोधों और उनके द्वारा भेजे गए तारों का जबाव देने में बिल्कुल विलम्ब नहीं किया गया था। क्या यह ठीक है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: नहीं, यह बात होस्टल के बारे में कही गई थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह ठीक नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तब आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जी हाँ, श्रीमान प्रधानमंती ......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने नेता की बात माननी चाहिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

6.00 म॰प॰

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं समझता हूँ यह वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक उपलब्धि ही है कि पंजाब से निर्वाचित हमारे सदस्य, मान दल, के सदस्य संसद में उपस्थित हुए है। उन्होंने शपथ ली है और वे वाद-विवाद में भी भाग लेंगें। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ।

हमने यह भी कहा है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा जाएगा। लेकिन हमारे देश की भूमि के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। साथ ही यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे न्याय दिया जाना चाहिए। हमने यह निर्णय लिया है कि जिस कानून के तहत जीवन का अधिकार निलंबित किया जा सकता है अर्थात संविधान (59 वां संशोधन) अधिनियम, के संबंध में हम सभा में कुछ कानून रखेंगें क्योंकि हम इस देश में ऐसा कानून नहीं रहने दे सकते जहाँ जीवन के अधिकार को निलम्बित किया जा सकता है। जीवन का अधिकार केवल एक ही जगह छीना जा सकता है और वह जगह बुचड़खाना के

अलावा और कोई नहीं है। लेकिन संविधि पुस्तिका में ऐसा कहा है और हमने इसे निरस्त करने का वचन दिया है।

हमने यह भी वचन दिया है कि 1984 के दंगों में हुए अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना है वह न्याय और दृढ़ता का रास्ता है।

जम्मू और कश्मीर के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर हमें अतिरिक्त समय देना चाहिए।

यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है कि इन मामलों पर ध्यान दिया जाए। उस बारे में हमारे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। देश के विरुद्ध यदि कुछ किया जाता है तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। किन्तु साथ ही, युवाओं की समस्याओं तथा ग्रामीण स्तर पर विकास न होने की समस्याओं आदि पर भी ध्यान देना होगा। मैं चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में युवक भागीदार हों। जम्मू और कश्मीर की जनता ने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। कोई कारण नहीं है कि वे लोग किसी भी तरह से स्वयं को दुःखी महसूस करें।

ऐसे समय में, सरकार का मुख्य तौर पर यह प्रयास रहेगा कि समानता के मामले की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करें। आर्थिक समानता का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर हमें सीधे विचार करना होगा। मेरे विचार से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल विकास ही केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि विकास के साथ-साथ समानता के मसले पर भी ध्यान देना होगा। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान सरकार इसे महत्व देने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए आवश्यकता है राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्रिकरण लाने की।

राजनैतिक लोकतंत्रिकरण की प्रक्रिया में, जनता और दफ्तरशाही के बीच, जनता और राज्य, और सरकार के बीच जो मतभेद की दरार पड़ गई है उसे दूर करना होगा। इस दरार को कैसे पाटा जाए और इस अन्तर्विरोध को कैसे कम किया जाए?

इसके लिए जयप्रकाश जी, विनोबा जी, गांधी जी और लोहिया जी ने कुछ ठोस मापदण्ड निर्धारित किए हैं और लोगों को न केवल सरकारी खजाने से ही कुछ देने में ही शामिल किया जाए बल्कि उन्हें इस देश के भाग्य निर्धारण में भागीदार बनाया जाए। हमारा प्रयत्न होगा कि हम उन्हें केवल धन ही न दें बल्कि सत्ता में शरीकं भी करें। बहुत समय पहले हमने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, किन्तु गरीबी अभी भी है। निर्धनों को खुद अपनी देखभाल करने का अवसर मिलना चाहिए और या तो फिर वह गरीबी दूर करेंगे या फिर अपने हालात से संतुष्ट रहेंगे। किन्तु उन्हें यह सब करने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए हम ग्रामीण स्तर तक विकेन्द्रीकरण लाएंगे, यह एक ऐसा विकेन्द्रीकरण होगा जो संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और निचले स्तर पर लोगों को सत्ता प्रदान करेगा। इसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं आ सकती। मेरे विचार से यदि आर्थिक केन्द्रीकरण होगा, तो हम राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हैं और आर्थिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने की परिकल्पना को देश के श्रम संबंधों में फैलाना होगा। इस प्रकार यह औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकृत उत्पादन की प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिकों को प्रमुख भूमिका निभानी है। यहीं पर वैज्ञानिकों को नई प्रौद्योगिकी विकसित करने का आमंत्रण दिया गया है, जिससे आर्थिक उत्पादन का विकेन्द्रीकरण हो सके। इसी केन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी से ही सामाजिक और आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न होते हैं। हमारी आधुनिक प्रोद्योगिकी इसे

विकेन्द्रीकृत कर सकती है। हम जिस सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं वह इसी से ही प्राप्त होगा और वैज्ञानिकों को मेरा निमंत्रण इसी आधार पर है कि उन्हें आत्मनिर्भरता और भारत के लोगों की सेवा करने में पूरी भूमिका निभानी होगी।

आरक्षण के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को और दस वर्ष बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश कर रहे हैं। मुझे इस संबंध में कोई अफसोस नहीं है। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं और यदि विपक्षी सदस्यों को कोई आपत्ति है तो वह इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं...

श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): **आप यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? (व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मेरे विचार से हमें इस विषय पर भी गहराई से सोचना होगा। यदि हम सामाजिक-आर्थिक ढांचे को देखते हैं तो यह एक शोषणकारी ढांचा है। किसान, श्रमिक, युवक, कारीगर, बुनकर आदि जो देश के लिए सम्पदा पैदा करते हैं, उन्हें उनके श्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता।...**(व्यवधान)** मैं उसी बात पर आ रहा हूं...**(व्यवधान)**

इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति जब चौदह या पंद्रह घण्टे हल चलाता है या काम करता है तो यह सच्चाई है। कल्पनाथ जी, मेरे विचार से आपके गांव में भी यही स्थिति है...**(व्यवधान)** यह काम उन्हीं के लिए आरक्षित है। व्यवस्था में ही कुछ वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक आरक्षण है। काम करने के अधिकार के अतिरिक्त उन्हें और कोई अधिकार नहीं है। उन्हें और कोई अधिकार नहीं है। वह इस अधिकार से भी वंचित है...**(व्यवधान)** प्रत्येक वाक्य के पश्चात् जो यह व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उससे बड़ी कठिनाई हो रही है **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

अब हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे की वर्तमान व्यवस्था में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन श्रमिक का बेटा विद्यालय नहीं जा सकता। कुछ समय पश्चात् उसे परिवार की आजीविका चलाने में सहायता करनी होती है। यह व्यवस्था ही है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है और फिर इसी व्यवस्था में उसे दूसरों का मुकाबला करने और उनके बराबर आने के लिए कहा जाता है। जब तक इस असमानतापूर्ण व्यवस्था को नहीं बदला जाता—और इसे बदलना होगा — तब तक कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लोगों को सहायता किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं और इसका समर्थन करता हूं...**(व्यवधान)** अब मैं
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रश्न पर आ रहा हूं ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: सेवाओं में आरक्षण का क्या हुआ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: हां, आरक्षण के बारे में आप बहुत बोल रहे हैं।

डा॰ अम्बेदकर ने इसी भवन में संविधान की स्थापना की थी और उन्हें ही यहां कोई स्थान नहीं है। आरक्षण के प्रति आपकी यह वचनबद्धता है। यह बात सच है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: यह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो एक मंदिर के लिए मूर्ति बनाता है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना के पश्चात् उसे ही अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। इसी प्रकार

डा० अम्बेदकर ने संविधान की रचना की होगी किन्तु केन्द्रीय कक्ष में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। महोदय, यह आपका अधिकार क्षेत्र है और मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय कक्ष में उनका एक चित्र लगाया जाए...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री महोदय, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं।

(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है— और आडवाणी जी ने इसकी विशेष रूप से आलोचना की है। हम सभी इस बात से सहमत हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली का प्रश्न है और इस सदन के तल पर हम इस सदन, न्यायपालिका, नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक, लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं और योजना आयोग की गरिमा बहाल करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए हम लोकपाल विधेयक तथा जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के लिए विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राजनैतिक जंग, युद्ध-भूमि में नहीं लोगों के दिमागों में लड़े जाते हैं। यहां राजनैतिक जंग लड़े जाते हैं और इनमें संचार माध्यम महत्वपूर्ण हैं। लोगों को हर राजनैतिक पहलू जानने का अधिकार है। हम लोगों को सही और उचित जानकारी देने की प्रतिज्ञा करते हैं और उन्हें इसका अधिकार है।

हमने देखा हैं कि सरकारी गोपनीयता के पर्दे में बहुत से राष्ट्रीय हितों का अहित हुआ है। हम देश की सुरक्षा की रक्षा करते हुए, पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और जहां हमारे विदेशी संबंधों का प्रश्न है, हम वहां भी सरकार के कार्य पालन में स्पष्टता सुनिश्चित करेंगे; और जितनी अधिक स्पष्टवादिता होगी उतना ही लोकतांत्रिक होगा और सरकार के भटकने की संभावना उतनी ही कम होगी।

आर्थिक मुद्दों पर आज चाहे चर्चा न हुई हो किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह भी किसी अन्य समस्या की ही भान्ति एक ज्वलंत समस्या है। हमें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी और इसके लिए यदि हमें जनता का अह्वान करना होगा तथा हमें लोगों को यह बताने का साहस होना चाहिए कि आज यह स्थिति क्यों है। हम कोई आर्थिक बन्धन स्वीकार नहीं करेंगे किन्तु हम देश की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। किन्तु आज हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां तुरंत कार्यवाही करने की, न केवल तुरंत कार्यवाही बल्कि सामूहिक कार्यवाही की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सब सदस्यों और दलों, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, तथा उन सबका जिन्होंने नहीं दिया है, धन्यवाद करता हूं और अपनी इस प्रतिज्ञा को दोहराता हूं कि हम सब मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: अब महासचिव महोदय।

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

6.17½ म०प०

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव: महोदय, मैं संविधान (बासठंवा संशोधन) विधेयक, 1989, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है

6.18 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1989/1 पौष, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।